Par. S. 17. 1. 8 52
285

अंक १
संख्या ८

बुधवार,
२८ मई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

[हिन्दी संस्करण]

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग ३८३]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३८३—४३३]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४३४—४५०]

(मूल्य ४ आने)

3D

लोक सभा

दस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुरसत्तार, श्री (कलनां—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित — अनुसूचित जातियां)
कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)
कांबले, श्री देवरोआ नामदेव रोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित —)
काचि रोयर, श्री डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण फश्चिम)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)
काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)
गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)
गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटनम्(मु)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)
गोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
गोहैन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम—जन जाति क्षेत्र)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (वर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डॉ० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
चडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चाको, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
चाडक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चावड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)
चुरिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटव वीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेन्कनाल—पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

चांदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर—उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर—दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दबान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री वेली राम (बारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा —पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीशजीराव, (दिक्षण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदा-बाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेह-सना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्षमण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूरुणन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रजमी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल० (खम्मम)
राव, श्री राघासमं शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सौरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसन्द (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ़्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जल जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, २८ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री नित्यानन्द क़ानुनगो (केन्द्रपाड़ा)

श्री राज बहादुर (जैपुर-सवाई माधो पुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

परिवार अयोजन योजना

*२२७. **श्री वैलायुधन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई परिवार आयोजन योजना की प्रगति; तथा

(ख) इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों की संख्या ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) सरकार ने तीन केन्द्रों के स्थापित किये जाने की अनुमति दी है : एक लेडी हार्डिंग मेडीकल कोलिज में, एक लोदी कालोनी, नई दिल्ली में तथा तीसरा मैसूर राज्य के रामनगरम् हैल्थ यूनिट में । इन केन्द्रों में परिवार आयोजन की एक विशेष प्रणाली,

जिसे अंग्रेजी में "रिद्म प्रणाली" कहते हैं, के प्रयोग पर शिक्षा दी जाती है ।

(ख) अमरीका से दो महिलायें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिये अभी तो एक वर्ष के लिये आई हैं । संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग ने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अध्ययन कार्यालय के संचालक डा० सी० चन्द्रशेखर की सहायता के लिए जो रामनगरम् केन्द्र के प्रभारी हैं, एक जनवर्णक की सेवायें भी अर्पित की हैं ।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उपरोक्त प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य प्रणाली की सिफारिश इंग्लैण्ड के कुछ विशेषज्ञों द्वारा की गई थी ?

राजकुमारी अमृत कौर : अन्य प्रणालियां हैं तो अवश्य, किन्तु मुझे किसी के बारे में सुझाव नहीं दिये गये हैं ।

जनाब अमजद अली : क्या माननीय मंत्री हमें बतला सकती हैं कि इस परिवार आयोजन की मोटी मोटी बातें क्या हैं? क्या इसमें 'सन्तति निग्रह' भी शामिल है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जनसंख्या आयोजन, अर्थात् परिवार नियमन तथा परिसीमन, स्वभावतः 'सन्तति निग्रह' के ही अन्तर्गत आता है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार भारत में कहीं सन्तति निग्रह केन्द्र

चला रही है, तथा यदि चला रही है तो ऐसे केन्द्रों की संख्या क्या है ?

राजकुमारी अमृत कौर : ऐसा कोई केन्द्र नहीं चल रहा है ।

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार को ज्ञात है कि यह पद्धति विशेष, जिसे अंग्रेजी में 'रिद्म प्रणाली' कहते हैं, डा० मेरी स्टोप्स द्वारा अनुपयुक्त घोषित की जा चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह तो अपनी राय देना हुआ ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि विश्व स्वास्थ्य संघ की परिवार आयोजन समिति ने यह निर्णय किया था कि यह मद विशेष कार्यावलि में से निकाल दिया जाये, तथा यदि किया था, तो क्या भारत सरकार भी इस मद को निकाल देने का विचार रखती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी नहीं ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अमरीकी विशेषज्ञ हमें भारतीय परिवार आयोजन के सम्बन्ध में कहां तक परामर्श दे सकते हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : अनुभव से तो किसी भी देश में, वहां की दशाओं के अनुसार, लाभ उठाया जा सकता है ।

आंध्र देश के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*२२८. **श्री वैलायुधन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आंध्र देश के अकालग्रस्त क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण; तथा

(ख) मद्रास सरकार को सहायता कार्यों के निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का ध्यान २० मई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रायला सीमा में अकाल सम्बन्धी सहायता देने के लिये मद्रास सरकार को कोई विशेष अनुदान दिया गया है, तथा यदि दिया गया है तो कितना ?

श्री करमरकर : ठीक ठीक राशि तो मुझे ज्ञात नहीं है, किन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि भारत सरकार कमी वाले क्षेत्रों में खोले गये दलिया आदि बांटने वाले केन्द्रों का ५० प्रति शत व्यय उठाने को राजी हो गई है, परन्तु यह राशि ४८ लाख रुपये से अधिक नहीं होगी ।

श्री वैलायुधन : मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के अकाल सहायता कोष में से अनुदान के रूप में कितना धन दिया गया है, तथा उक्त धन किसे दिया गया है—मद्रास सरकार को या किसी अन्य असरकारी संस्था को ?

श्री करमरकर : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में तो मुझे यह कहना है कि प्रधान मंत्री द्वारा सामान्य सहायता कोषों में से ३७३ लाख ५ हजार रुपये दिये गये हैं। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इस धन का उपयोग किस संस्था द्वारा किया जायेगा ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं समझता हूं कि २५,००० रुपये के अतिरिक्त शेष धन मद्रास के राज्यपाल के द्वारा दिया गया है ।

श्री राघवाचारी : क्या अकालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

श्री करमरकर : प्रश्न अकाल सम्बन्धी सहायता के विषय में है ।

श्री पुन्नूस : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को त्रावनकोर-कोचीन सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सहायता सम्बन्धी कार्यवाहियां उक्त राज्य के कतिपय समुद्रतटीय क्षेत्रों में भी की जायें ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि मूल प्रश्न तो आंध्र देश से सम्बन्ध रखता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न के क्षेत्र के बाहर है ।

रूसी गेहूं (मूल्य)

*२२९. **श्री वैलायुधन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत द्वारा खरीदे गये रूसी गेहूं का मूल्य;

(ख) रूसी रूबल और भारतीय रुपये के मध्य विनिमय दर किस प्रकार निश्चित की गई; तथा

(ग) क्या भारत तथा रूस की मुद्राओं के विनिमय दर के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई क़रार हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) गत वर्ष रूसी गेंहू वस्तु-विनिमय आधार पर प्राप्त किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

(ग) जी नहीं ।

श्री वैलायुधन : क्या भारतीय रुपये तथा रूसी रूबल की विनिमय दर स्टर्लिंग के आधार पर निर्धारित की जाती है ?

श्री करमरकर : रूस के साथ हमारा व्यापार स्टर्लिंग में होता है, परन्तु इस समय उपलब्ध सामग्री के आधार पर मैं यह नहीं कह सकता कि रुपये का मूल्य रूबल में कितना है ।

श्री टी० के० चौधरी : रुपया रूबल विनिमय के आधार पर वस्तु-विनिमय किस प्रकार होता है ?

श्री करमरकर : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा, वस्तु-विनिमय तो विनिमय के आधार पर होता है तथा रुपये और रूबल की विनिमय दर का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । रूस ने हमें निम्न भारतीय वस्तुओं के बदले में १००,३९९ मीट्रिक टन गेंहू दिया : कच्चा पटसन ५,००० मीट्रिक टन; चमड़ा २,५०० मीट्रिक टन; चाय १,८५० मीट्रिक टन तथा तम्बाकू ५,५०० मीट्रिक टन । दोनों के मूल्य बराबर २ थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : संयुक्त राज्य अमरीका से खरीदे गये गेहूं के मूल्य की तुलना में यह मूल्य कैसा है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि यह सौदा सब सौदों की तुलना में अच्छा ही रहा है ।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रूसी रूबल और भारतीय रुपये की विनिमय दर निश्चित न किये जाने के कारण व्यापार में कोई कठिनाई होती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो कल्पना के आधार पर ऐसा कह रहे हैं ।

श्री वैलायुधन : जी नहीं । माननीय मंत्री ने बतलाया था कि विनिमय दर अभी निर्धारित नहीं हुई है तथा उसी के आधार पर मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो यह कहा था कि विनिमय दर निश्चित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सामान की अदला-बदली वस्तु-विनिमय के आधार पर की जाती है ।

डा० एम० एम० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भारत सरकार ने रूस की सरकार को रूसी साम्यवाद के बदले में क्या क्या वस्तुए भेजी हैं ?

श्री करमरकर : मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को सुना नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

चारे की स्थिति

*२३०. **डा० राम सुभग सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में पशु-चारे की स्थिति क्या है; तथा

(ख) क्या सरकार ने भारत में घास के मैदानों का विकास करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) देश में जितना चारा उत्पन्न होता है वह मात्रा में इतना नहीं होता कि उससे देश के समस्त पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। कुल कमी इस प्रकार की नहीं कही जा सकती कि उससे जीवन हानि का खतरा हो। हां, सन् १९५१ में वर्षा न होने के कारण पंजाब, अजमेर, राजस्थान, सौराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली तथा पैप्सू राज्यों से चारे की भारी कमी के समाचार प्राप्त हुए थे। पंजाब (हिसार ज़िला) को छोड़ कर सभी राज्यों में स्थिति पर काबू पा लिया गया है । हिसार ज़िले की स्थिति के मार्च के मध्य में और भी अधिक बिगड़ने के समाचार आये थे । तब से चारा सब तरफ़ से वहां भेजा गया है तथा स्थिति धीरे धीरे सुधरती जा रही है

(ख) प्रारम्भिक रूप से, घास के मैदानों के विकास करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है । हां, भारत सरकार पशु-पोषण से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं तथा चरागाहों की विकास सम्बन्धी अनुसन्धान योजनाओं के लिए, जो कि सदन पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं, धन दे रही हैं ।

विवरण

(१) कतिपय देसी घासों तथा पत्तीदार चारों की पोषण-शक्ति निर्धारित करने की योजनायें ।

(२) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में घास के मैदानों की जांच करने तथा देसी और विदेशी खासों तथा फलियों के इकट्ठे करने, जांच करने तथा बांटने की योजनायें ।

(३) बम्बई राज्य में चरागाह की घासों तथा फलियों की क़िस्म सुधारने की योजना ।

(४) मध्य प्रदेश में चरागाह की घासों तथा फलियों की किस्म सुधारने की योजना ।

(५) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में भारतीय प्यूरारिया किस्मों के परीक्षण के लिये तथा कुदज़ू वाइन को उगाने से सम्बन्ध रखने वाली बातों पर खोज करने की योजनायें ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या हिसार में वास्तव में कुछ पशु मरे हैं ?

श्री करमरकर: इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैं ने तो यह कहा था कि कुल कमी इस प्रकार की नहीं कही जा सकती थी कि उस से जीवन हानि का खतरा हो । सामान्य रूप से स्थिति यह है । किसी क्षेत्र विशेष में पशु मरे हैं या नहीं, यह बतलाना मेरे लिए सम्भव नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं घास विकास योजनाओं पर व्यय हुए धन की रक़म जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : इसकी मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): कठिनाई घास विकास योजनाओं पर व्यय की इतनी नहीं है जितनी कि इस बात का निर्णय करने की है कि अमुक भूमि का उपयोग खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिये किया जाये या चरागाह बनाने के लिये । प्राय: यही कठिनाई सामने आती है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह घास विकास योजनायें किस क्षेत्र में या देश के किन किन राज्यों में चालू की गई हैं ?

श्री करमरकर : बम्बई तथा मध्य प्रदेश में । भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती: क्या हम किन्हीं प्रकार के घास के बीजों का निर्यात करते हैं ?

श्री करमरकर : मेरे ज्ञान में नहीं है ।

बाबू रामनारायण सिंह : अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की तरह अधिक घास उगाने के आन्दोलन की ज़रूरत सरकार समझती है या नहीं ? यदि समझती है तो इसके लिए कौन कौन से उपाय हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के सम्बन्ध में नहीं है । यह तो विशिष्ट रूप से चारे के विषय में है ।

श्री एम० वी० रामस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोयम्बटूर ज़िले के धरापुरम तालुक़े में चारे की भारी कमी है जिसके फलस्वरूप कंगयम के बैलों की बहुत सी अच्छी अच्छी नस्लें नष्ट हो गई हैं ?

श्री करमरकर: इन दोनों बातों के सम्बन्ध में मैं सूचना एकत्रित करूंगा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री ने पंजाब सरकार की उस विज्ञप्ति को देखा है जिसमें उस ने इस बात को मंजूर किया है कि हिसार में हज़ारों जानवरों की जानें चली गई हैं और इस समय वहां की परिस्थिति कैसी है ?

श्री करमरकर : सरकार को ज्ञात है कि बहुत से जानवरों को उन के मालिकों ने यों ही छोड़ दिया था । अतएव भारत सरकार ने ऐसे जानवरों की समुचित देखभाल करने के लिये कुछ केन्द्र स्थापित करने की दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही की थी । मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि क्या कुछ जानें भी गई हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार

*२३१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अन्तर्गत, क़रार के लागू होने के बाद, विदेशों से कुल कितना खाद्यान्न मंगाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के १ अगस्त, १९४९ को लागू होने के समय से २० मई, १९५२ तक भारत ने क़रार के अन्तर्गत कुल ३५·७७ लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात किया ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या लन्दन सम्मेलन के असफल रहने के कारण, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार का पुनर्विलोकन करने के लिये हाल ही में हुआ था, हमारे गेहूं आयात के कार्यक्रम को कुछ हानि पहुंचेगी ?

श्री करमरकर : जी नहीं ।

श्री दाभी: इस अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार की शर्तें क्या हैं ?

श्री करमरकर : इस क़रार के अन्तर्गत गेंहू की एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर दी जाती है, जिसको हम आयात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सन् १९४९-५० में प्रत्याभूत मात्रा १० लाख ४० हजार टन थी;

१९५०-५१ में यह १५,००,००० टन थी; १९५१-५२ तथा उसके अगले वर्ष भी मात्रा इतनी ही है। इसके लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य सीमायें निश्चित कर दी गई हैं। उदाहरण के लिए चार वर्षों में निम्नतम मूल्य १.५०, १.४०, १.३० और १.२० डालर प्रति बुशल रहा है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं ?

श्री करमरकर : जिन देशों को गेहूं कि आवश्यकता है और जो देश गेहूं का उपयोग करते हैं वही इस क़रार में शामिल हैं। अब रही देशों के नाम बतलाने की बात, तो इसके लिए तो मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

डा० पी० एस० देशमुख : प्रत्येक वर्ष में गेहूं का प्रति टन मूल्य क्या था ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री वी० बी० गांधी : अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका से जिस गेहूं का आयात किया गया था, क्या उसका मूल्य उस मूल्य से अधिक है जो हमें अन्तर्राष्ट्रीय गेंहू क़रार के अन्तर्गत देना पड़ता है ? क्या सरकार यह दोनों मूल्य बतलायेगी ?

श्री करमरकर : गेंहू उधार क़रार के अन्तर्गत हमें जो गेहूं प्राप्त हुआ उसका मूल्य तो मैं इसी समय बतला नहीं सकता। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार के अधीन प्राप्त हुए गेहूं के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि उसका मूल्य खुले बाज़ार भाव से काफी कम था।

कीड़ा लग जाने तथा अन्य रोगों के कारण हुई खाद्यान्न की हानि

*२३२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में प्रति वर्ष फसलों में कीड़ा लग जाने तथा अन्य रोगों के कारण कितने प्रति शत खाद्यान्न की हानि होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : मैं समझता हूं कि इस समय इन हानियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। मैं इस बात की जांच करवा रहा हूं कि ऐसी हानि का अनुमान लगाने के लिये किसी 'न्यादर्श प्रणाली' का निकाला जाना कहां तक संभव है; परन्तु इस सम्बन्ध में उस पर होने वाले व्यय पर भी ध्यान दिया जाना है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार फसलों के रोगों पर काबू पाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर : जैसा कि मैं ने अभी बतलाया, एक विस्तृत योजना विचाराधीन है; परन्तु, स्पष्टतया, यह खर्चे की राशि पर निर्भर करेगी।

गोबर

*२३३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने गोबर से खाना पकाने की गैस तथा खाद तैयार करने की, जैसा कि संयुक्त राज्य सरकार के इंजीनियरिंग विभाग ने सुझाव दिया है, सम्भावनाओं पर खोज किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये हैं; तथा

(ख) यदि किये हैं, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) मैं नहीं जानता कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के इंजीनियरिंग विभाग ने इस के बारे में कोई ऐसा

सुझाव दिया है । इस विषय पर भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में सन् १९४० से अनुसन्धान कार्य किया जाता रहा है ।

(ख) एक साधारण डिमांस्ट्रेशन प्लांट से किये जाने वाले प्रयोगों से पता लगता है कि ४ या ५ जानवरों के गोबर (लगभग १३०-१५० पौंड प्रति दिन) से लगभग ७०-८० घन फुट जलने वाली गैस तैयार की जा सकती है । फिर जो चीज बचती है उस में भी खाद का अंश रहता है और उस से एक वर्ष में ३ टन सूखा खाद तैयार किया जा सकता है, जिस में लगभग १.५ प्रति शत नाइट्रोजन होता है । इतनी गैस एक औसत परिवार की खाना पकाने सम्बन्धी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त होती है ।

उक्त संस्था में एक बड़ा संयंत्र (प्लांट) लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, जिसके द्वारा यह मालूम किया जा सके कि इस प्रकार गैस तैयार करना लाभदायक सिद्ध होगा या अलाभदायक ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक ऐसा संयंत्र (प्लांट) लगाने में क्या खर्च पड़ेगा और क्या आर्थिक दृष्टि से यह ठीक होगा ?

श्री करमरकर : जी हां । उदाहरण के लिये एक गैस प्लांट ए० वी० जोशी एण्ड कम्पनी, पूना द्वारा तैयार किया गया है । दो और चार व्यक्तियों वाले परिवारों की आवश्यकतानुसार गैस तैयार करने वाले प्लांटों की क़ीमत उन्होंने क्रमश: १२०० रुपये और १८०० रुपये रखी थी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री बतलायेंगे कि क्या दिल्ली से १२ मील के फ़ासले पर एक ऐसा प्लांट लगाया गया है या लगाया जा रहा है ? अगर लगाया गया है, तो उसका क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे पता है, निर्माताओं द्वारा एक प्लांट प्रयोग के रूप में दिल्ली राज्य के शमीलपुर गांव में स्थापित किया जा रहा है; वहां की दशाओं में इसका परीक्षण किया जायेगा ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

*२३४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का कोई निर्णय किया गया है ; तथा

(ख) यदि किया गया है तो इस प्रस्थापना के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) इस काम को शीघ्र ही हाथ में लेने का विचार है तथा यह १९५३-५४ में पूरा हो जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नई दिल्ली स्टेशन के रीमाडल करने पर कितना व्यय होगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : करीब ५१ लाख ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद मुसाफिरों को कौन कौन सी सुविधायें दी जावेंगी, विशेषकर तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को ?

श्री एल० बी० शास्त्री : सब तरह की सुविधायें, जो कि संभव हैं, और जो ऐसे रटेशनों पर आज कल नहीं हैं, देने का इरादा है, खास तौर पर थर्ड क्लास के मुसाफिरों के लिये पैसेंजर शैड्स और वेटिंग हाल्स (मुसाफिर खाने) बनेंगे । माननीय सदस्य जानते हैं

कि थर्ड क्लास के मुसाफिरों को काफी दिक्कतें होती हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के ख्याल से नये वेटिंग हाल बनेंगे और लैवेटरीज़ (शौचालय) वगैरा भी काफ़ी अच्छे ढंग की बनाई जायेंगी। इसके अलावा खास तौर पर जो बाहर के हमारे यहां टूरिस्ट्स (भ्रमिक) वगैरा आते हैं उनके लिये दिल्ली स्टेशन काफी तकलीफ़देह (कष्टदायक) है। उनके ख्याल से भी खास इन्तज़ाम इस में किया जायेगा। और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जायेगा कि थर्ड क्लास के और इंटर क्लास के मुसाफिरों के लिये अच्छे क़िस्म के वेटिंग रूम और दूसरे इन्तज़ामात किये जायें।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि इस स्टेशन के बन जाने के बाद वहां के स्टाफ़ (कर्मचारी वर्ग) में वृद्धि हागी और यदि हां, तो उसमें कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी इसकी पूरी इत्तिला नहीं है और यह कहना भी अभी कठिन है कि कितना खर्चा हमारा बढ़ जायेगा। लेकिन बढ़ेगा तो भी बहुत थोड़ा।

सेठ गोविन्द दास : जो ट्रेनें अभी नई दिल्ली स्टेशन पर नहीं आती हैं, खास कर इलाहाबाद की तरफ़ से, तो क्या वह, इस स्टेशन के बन जाने के बाद, सब स्टेशनों से इस स्टेशन पर भी आयेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में इस अवस्था पर इतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्टेशन बने तो !

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस स्टेशन पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए विश्रामगृहों (रिटाइरिंग रूम्स) की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं समझता हूं इस पर विचार किया जायेगा।

विशेष अनुयोग संस्था

*२३५. **श्री हुक्म सिंह** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विशेष अनुयोग संस्था ने सन् १९५१ में सन् १९५० की बाकी बचे सभी अनुयोगों का निपटारा कर दिया था;

(ख) यदि नहीं, तो अब भी कितने अनुयोगों का निपटारा किया जाना है; तथा

(ग) सन् १९५० में प्राप्त नवीन अनुयोगों की संख्या क्या थी तथा ३१ मार्च, १९५२ को कितने अनुयोग विचाराधीन थे ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, अनुयोग संस्था सन् १९५० या इससे पहले के किसी अनुयोग की जांच नहीं कर रही है।

(ख) ३१ मार्च, १९५२ को विचाराधीन अनुयोगों की संख्या २७३ थी।

(ग) जनवरी से लगा कर मार्च के अन्त तक २९६ अनुयोग प्राप्त हुए थे। जिन में से २०७ अनुयोग ३१ मार्च, १९५२ को विचाराधीन थे।

श्री हुक्म सिंह : क्या इस संस्था में विभाग में से ही लिये गये पदाधिकारी हैं या वह बाहर से भी लिये जाते हैं ?

श्री जगजीवन राम : वह विभाग तथा बाहर दोनों से लिये जाते हैं।

श्री पाटसकर : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि विशेष अनुयोग संस्था पर कितना खर्चा होता है ?

श्री जगजीवन राम : मुझे खेद है कि यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

सेवामुक्त रेलवे कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति

*२३६. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि साउथ इण्डियन रेलवे श्रम संघ के सभापति श्री कल्याण-सुन्दरम् एम० एल० ए० (मद्रास) ने रेल सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा परित्राण नियम) (१९४९) के अन्तर्गत सेवामुक्त रेलवे कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति के बारे में ३१ दिसम्दर, १९५१ को रेल मंत्रालय के नाम एक पत्र भेजा है;

(ख) यदि भेजा है, तो क्या उस पत्र की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जायेगी;

(ग) सरकार ने उस सम्बन्ध में, विशेषकर मद्रास उच्चन्यायालय द्वारा सी० सम्बन्दम बनाम भारत सरकार वाले मुकदमे में निर्णय दिये जाने के बाद, क्या कार्यवाही की; तथा

(घ) क्या सरकार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का विचार रखती है जिसमें इन नियमों के अन्तर्गत भारत की किसी भी रेलवे से निकाले गये कर्मचारियों के बारे में पूर्ण विवरण दिये हों और प्रत्येक सेवामुक्त किये गये व्यक्ति के निकाले जाने का कारण भी दिया हो ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) निर्दिष्ट पत्र रेल मंत्रालय को प्राप्त हुआ मालूम नहीं होता है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) श्री सी० सम्बन्दम बनाम भारत संघ के मुकदमे में मद्रास उच्चन्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाली स्थिति की भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

(घ) जी नहीं ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इसकी जांच करने में कितना समय और लगेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय को निर्णय दिये एक वर्ष बीत चुका है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस मुकदमे के सम्बन्ध में उच्चतम-न्यायालय में अपील दायर करने की अवधि बीत चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो विधि सम्बन्धी प्रश्न है, यह ऐसी सूचना नहीं है जो माननीय मंत्री दे सकते हों ।

श्री नम्बियार : क्या श्री सम्बन्दम् का मामला भारत में इसी प्रकार के अन्य सब मामलों पर लागू हो सकेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कम से कम उसी राज्य के छै अन्य मामलों पर ।

श्री गुरुपादस्वामी : मैसूर स्टेट रेलवे से कितने व्यक्ति निकाले गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं ।

खाद्य उत्पादन (लक्ष्य)

*२३७. **श्री एस० एन० दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अतिरिक्त खाद्य उत्पादन का सन् १९५१-५२ के लिये निश्चित किया गया लक्ष्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उत्पादन लक्ष्य से कितना कम रह गया ; तथा

(ग) वर्ष १९५२-५३ के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). मैं माननीय सदस्य का ध्यान अपने उस उत्तर की ओर दिलाता हूं जो मैंने २३ मई, १९५२ को श्री

बाल्मीकी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४३ के सम्बन्ध में दिया था ।

(ग) पिछले वर्ष के उत्पादन से १३ लाख टन अधिक ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अधीन योजनाओं की क्रियान्विति के कारण कुल वार्षिक उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान लगाया जाता है ?

श्री करमरकर : लक्ष्य तो मैं ने बतला दिया है, परन्तु इस बात का पता लगाने में अभी कुछ समय लगेगा कि 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनओं के फलस्वरूप वार्षिक उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के पूरे हो जाने के कारण खाद्यान्नों के वार्षिक उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि मैं ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है । खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि होने का पता तो जून १९५२ के बाद लगेगा जब कि हमें सब रिपोर्टें प्राप्त हो चुकेंगी । परन्तु लक्ष्य जैसा कि मैं ने बतलाया, पूर्व वर्ष के उत्पादन से १३ लाख टन अधिक है ।

श्री एस० एन० दास : यह तो इस वर्ष का लक्ष्य है । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इन वर्षों में कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ है ।

श्री करमरकर : इसकी मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के कार्यकरण का निरीक्षण करने के हेतु जो समिति नियुक्त की थी, क्या उसकी उपपत्तियों के फलस्वरूप यह पता चला है कि सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्राक्कलनों का आधार कुछ ग़लत धारणायें और दोषयुक्त आंकड़े थे ?

श्री करमरकर : समिति का कार्य अभी जारी है, और उसने अभी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार यह बतलाने की स्थिति में है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन के जिन आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है क्या वह उन मात्राओं को घटा कर निकाले गये हैं जिनकी फसलों की अदला-बदली के कारण कम होने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को प्रश्न स्पष्ट है ?

श्री करमरकर : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल उसका सार बतला सकता हूं । उनका कहना यह है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के फल-स्वरूप हुए अतिरिक्त खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार कुछ आंकड़े देती है । वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह कुल आंकड़े हैं या इन में से उतनी मात्रा निकाली हुई है जो अन्य क्षेत्रों में भूमि पर दूसरी फसल उगाने के कारण कम पैदा होती है ।

श्री करमरकर : अन्तिम आंकड़ा घटा बढ़ा कर ही निकाला जाता है । सच तो यह है कि हमें जो आंकड़े मिलते हैं वह भिन्न-भिन्न राज्यों में अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन के सम्बन्ध में होते हैं । उदाहरण के लिये वर्ष १९५१-५२ में, सिंचाई योजनाओं के अधीन ९५,१८४ एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य था, परन्तु केवल ४३,४२४ एकड़ भूमि ही वास्तव में सिंचाई

के अन्तर्गत लाई जा सकी। मैं समझता हूं कि भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा दिये गये आंकड़े इस बात पर निर्भर करेंगे कि विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप कितनी अतिरिक्त भूमि पर कृषि की गई। परन्तु, जैसा कि मैं ने अभी कहा, अन्तिम आंकड़ा तो घटा बढ़ा कर निकाला जाता है।

श्री हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि जैसे जैसे देश में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा है वैसे वैसे वास्तविक उत्पादन में कमी हुई है ?

श्री करमरकर उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस प्रश्न के उत्तर दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

खाद्य अभाव वाले क्षेत्रों को खाद्यान्न की प्रदाय

*२३८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी से अप्रैल १९५२ तक विदेशों से कितने खाद्यान्न का आयात किया गया; तथा

(ख) उसी काल में भारत सरकार ने खाद्य अभाव वाले भिन्न भिन्न क्षेत्रों को कितना खाद्यान्न भेजा (क्षेत्रवार तथा महीनावार) ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९ लाख टन।

(ख) एक विवरण, जिसमें यह बतलाया गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल १९५२ में खाद्य अभाव वाले विभिन्न क्षेत्रों को आयात किया गया खाद्यान्न किस किस मात्रा में भेजा गया, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५**] में यह और बतला दूं कि कुल १९ लाख टन में से लगभग १८,००० टन पाकिस्तान को भेजा गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन चार मासों में पाकिस्तान से कुछ खाद्यान्न हमारे देश में आया भी है ?

श्री करमरकर : जी नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से मुझे यह ज्ञात होता है कि जनवरी में मद्रास को कुछ भी खाद्यान्न नहीं भेजा गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि बावजूद इस बात के कि मद्रास में खाद्यान्न की इतनी कमी है उसे खाद्यान्न क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री करमरकर : इसका तो मुझे पता लगाना पड़ेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विवरण में उल्लिखित कुल मात्रा, अर्थात् १६,४६,००० टन, अन्तर्राष्ट्रीय क़रार के ही अन्तर्गत मंगाई गई या कुछ निजी रूप से व्यवस्था करके भी मंगाई गई ?

श्री करमरकर : मेरा ख्याल है कि निजी रूप से व्यवस्था करके तो कोई खाद्यान्न नहीं मंगाया गया। कुल आयात अन्तर्राष्ट्रीय क़रार तथा भारत सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार ही हुआ है।

श्री नामधारी : क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सफल न होने का कारण वर्षा का कम होना या बिल्कुल ही न होना नहीं है ?

श्री करमरकर : मैं माननीय सदस्य का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह बात बतलाई। वास्तव में बात यह है कि बावजूद इस बात के, कि हम अधिक अन्न उपजाते हैं, हमें काफ़ी अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है। इसका कारण अकाल तथा दूसरी ऐसी ी स्थितियां

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या दक्षिण भारत के उत्तरी आर्काट ज़िले को और अनाज भेजा गया है, क्योंकि आज कल वहां अकाल जैसे स्थिति है ?

श्री करमरकर : विशेष रूप से उत्तरी आर्काट के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, परन्तु हां, जहां जहां अनाज की कमी थी वहीं अनाज भेजा गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि औद्योगिक उपक्रमों को कितना खाद्यान्न भेजा गया ?

श्री करमरकर : यह मैं पता लगा कर बता सकता हूं । परन्तु मैं यह नहीं जानता कि चाय के बगीचों के अलावा औद्योगिक उपक्रमों को खाद्यान्न दिया गया था या नहीं ।

उड्डयन क्लब

***२३९. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सन् १९४७-४८ में कितने उड्डयन क्लब (फ्लाइंग क्लब), ग्लाइडिंग क्लब तथा एयरो क्लब थे तथा अब कितने हैं (क्लबवार) ;

(ख) उन क्लबों को सन् १९४७-४८ में कितनी आर्थिक सहायता दी गई तथा १९५२-५३ में कितनी सहायता दिये जाने की प्रस्थापना है; तथा

(ग) वर्ष १९५२-५३ में इन क्लबों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के वायुयानों के कितने चालकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सन् १९४७-४८ में ८ उड्डयन क्लब, १ ग्लाइडिंग क्लब तथा १ एयरो क्लब था । अब १२ उड्डयन कलब, २ ग्लाइडिंग क्लब तथा १ एयरो क्लब है ।

(ख) सन् १९४७-४८ में ६·९ लाख रुपये उड्डयन क्लबों को तथा ३,००० रुपये ग्लाइडिंग क्लबों की दिये गये थे ।

१९५२-५३ में निम्न आर्थिक सहायता दी जाने की प्रस्थापना है--

उड्डयन क्लबों को १२·३४ लाख रुपये
ग्लाइडिंग क्लबों को २·४१ लाख रुपये
एयरो क्लबों को २५,००० रुपये ।

(ग) सन् १९५२-५३ में इन क्लबों में विभिन्न वर्गों के ३०० 'ए' लाइसेंस वाले ५० 'बी' लाइसेंस वाले तथा ४० ग्लाइडर चालकों के प्रशिक्षित होने की आशा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि वाणिज्यिक चालकों के प्रशिक्षण में उड़ान क्लबों ने क्या भाग लिया है ?

श्री जगजीवन राम : वह ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं जिन्हें बाद में वाणिज्यिक चालकों की भी शिक्षा मिलती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि असरकारी व्यक्तियों, विद्यार्थियों तथा प्रविधिक को शिक्षार्थियों में असैनिक नभश्चरण के प्रति रुचि और उत्साह उत्पन्न करने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री जगजीवन राम : सरकार इन उड्डयन क्लबों को इसी दृष्टि से चला रही है, रुपया दे रही है और उत्साहित कर रही है जिससे कि अन्य व्यक्तियों को भी उड़ान में दिलचस्पी लेने के हेतु सुविधायें मिल सकें ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मन्त्री ने कहा कि उड्डयन क्लब तथा ग्लाइडिंग क्लब सारे देश में फैले हुए हैं । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इनकी कोई केन्द्रीय संस्था है या सरकार निकट भविष्य में ऐसी कोई संस्था स्थापित करने वाली है ?

श्री जगजीवन राम : किस बात के लिए, श्रीमान ?

अध्यक्ष महोदय : उनका समन्वय एवं संगठन करने के लिए ।

श्री जगजीवन राम : निस्सन्देह, असैनिक नभश्चरण विभाग यह कार्य कर रहा है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह इस आधार पर दिये जाते हैं :

(१) ३०,००० रुपये की एक निश्चित वार्षिक सहायता क्लब के स्थायी व्यय को चलाने के लिये ।

(२) क्लब या उसके अधीन हवाई अड्डों के हैडक्वार्टर्स पर क्लब द्वारा, एक वर्ष में १००० घंटे के अतिरिक्त प्रशिक्षणात्मक उड़ान पर (क्लब के सदस्यों--अकेले या दो जनों--द्वारा) ५ रुपये प्रति मिनट ।

(३) क्लब के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये, जो ३५ वर्ष से कम आयु का भारतीय नागरिक हो और जिसे क्लब द्वारा क्लब के या क्लब को केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा दिये गये वायुयानों पर प्रशिक्षण दिया गया हो, निम्नानुसार बोनस दिया जाता है :—

प्राइवेट चालक लाइसेंस ("ए" लाइसेंस) के लिए २५० रुपये ।

(४) क्लब के ऐसे सदस्यों के लिये जो भारतीय नागरिक हों और २८ वर्ष से अधिक आयु के न हों, निम्न दर से बोनस दिया जाता है :—

(१) ६५/१०० अश्व शक्ति प्रकार के वायुयान पर १५ रुपये प्रति घंटा ;

(२) १०१/१२९ अश्व शक्ति प्रकार के वायुयान पर १८ रुपये प्रति घंटा ;

(३) १३०/१८५ अश्व शक्ति प्रकार के वायुयान पर २० रुपये प्रति घंटा ।

श्री जयपाल सिंह : ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनके कारण सरकार उन उड्डयन क्लबों को भी जिन्हें आवश्यकता नहीं है अब भी आर्थिक सहायता दे रही है ?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझता कि यह धारणा बना लेने का कोई कारण है कि आर्थिक सहायता ऐसे उड्डयन क्लबों को दी जा रही है जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है । ३०,००० तो प्रत्येक क्लब को दिये जाते हैं और अन्य आर्थिक सहायता इस आधार पर फैलाई जाती है जो मैं ने अभी पढ़ कर सुनाया है ।

कर्नल जैदी : क्या यह सच है कि इन उड्डयन क्लबों द्वारा प्रशिक्षित चालकों के लिए देश में हवाई कम्पनियों में चालकों का पद प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो बहुत कठिन हो जाता है ?

श्री जगजीवन राम : इस सम्बन्ध में तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है, परन्तु मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत मांग है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि अन्य देशों में हवाई कम्पनियों के चालकों को सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है ? क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यहां भी हवाई कम्पनियों के चालकों को उसी प्रकार प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है तथा जो असरकारी संस्थायें हवाई कम्पनियों के चालकों को प्रशिक्षण देती हैं उन्हें आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री जगजीवन राम: इस सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मुझे मामले की छानबीन करनी होगी ।

रेलगाड़ियों में चोरी

*२४०. **श्री बाल्मीकी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रैल १९५१ तथा अप्रैल १९५२ में रेलगाड़ियों में कितनी चोरियां या डकैतियां हुईं ; तथा

(ख) उनको रोकने के हेतु क्या क्या कार्यवाहियां की गईं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) अप्रैल १९५२ में रेलगाड़ियों में ८४९ चोरियां तथा डकैतियां हुईं जब कि अप्रैल, १९५१ में ९१६ हुईं थीं ।

(ख) चोरियों तथा डकैतियों को रोकने के जो प्रयत्न किये गये उनमें यह शामिल हैं : ऊंचे दर्जों के डब्बों की तथा सब दर्जों की टट्टियों की खिड़कियों में सलाखें लगाना, डब्बों में खिड़कियों के खटकों की बराबर जांच करते रहना, जिन क्षेत्रों में चोरी तथा डकैती आदि का खतरा हो उनमें सवारी या मालगाड़ी के साथ साथ चलने के लिये रक्षकों की व्यवस्था करना, डब्बों में रिवट आदि लगाने की पद्धति में सुधार करना तथा स्टेशनों और यार्डों में वाच एण्ड वार्ड (सुरक्षा तथा प्रतिपालन) की और अधिक अच्छी व्यवस्था करना ।

श्री बाल्मीकी : इस सम्बन्ध में रेल डकैतियों के कारण कितनी जानें गईं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इसकी ठीक संख्या तो मैं नहीं बतला सकता ।

श्री बाल्मीकी : स्पेशल पुलिस का कब से प्रबन्ध किया गया है और उससे स्थिति में क्या सुधार हुआ है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : पिछले पांच वर्षों से स्पेशल पुलिस का इन्तज़ाम किया गया है और उसकी वजह से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है । यह पुलिस उस वक्त मुक़र्रर की गई थी जब कि सन् १९४७ के बाद ट्रेनों में बहुत घटनायें होने लगी थीं, और बहुत लोगों पर हमले हुए थे । इसकी वजह से रेलवे सुरक्षा (प्रोटेक्शन) पुलिस मुकर्रर की गई; उसने बहुत बड़ा काम किया और उस वक्त जो काफ़ी वाकयात हो रहे थे वह फौरन रुक गये ।

श्री जांगड़े : क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि रेलवे विभाग ने चोरी होने वाली वस्तुओं के बदले में उन वस्तुओं के मालिकों को कितना रुपया हरजाने के रूप में दिया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : रक़म तो वैसे ही बतलाना मुमकिन नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई सवाल पूछें तो उसका जवाब दिया जायेगा ।

जनाब अमजद अली : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन डकैतियों तथा चोरियों के करने का मुख्य ढंग क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह तो एक बहुत लम्बा उत्तर हो जायेगा और इसके अलावा यह बतलाना जनहित के विरुद्ध भी होगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया, उन पर मुकदमे चलाये गये तथा उन्हें दंड दिया गया ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं ठीक ठीक आंकड़े तो बतला नहीं सकता, किन्तु हां इतना कह सकता हूं कि बहुत से मामलों में अपराधियों को पकड़ कर दण्डित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं ।

ऋतु अनुसन्धान वेधशालायें

*२४१. **श्री बाल्मीकी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अण्डमान और निकोबार टापुओं में कितनी ऋतु अनुसन्धान वेधशालायें स्थापित की जा रही हैं और किन किन स्थानों पर;

(ख) उनमें से कितनी तैयार हो चुकी हैं; तथा

(ग) उनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) दस; सात स्थल वेधशालायें—पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, कुन्डल, ननकौरी, टेबिल आयलैण्ड, माया बन्दर तथा लौंग आयलैण्ड में एक-एक; पोर्ट ब्लेयर तथा कार निकोबार में दो पाइलट बैलून वेधशालायें ; और पोर्ट ब्लेयर में एक रेडियो सौंड वेधशाला ।

(ख) कार निकोबार की पाइलट बैलून वेधशाला के अतिरिक्त शेष सब तैयार हैं।

(ग) मैं एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखता हूं।

विवरण

विभिन्न प्रकार की वेधशालाओं में से प्रत्येक की स्थापना तथा संचालन पर हुआ अनुमानित व्यय यह है :—

	अनावर्ती	आवर्ती
	रु०	रु०
धल वेधशाला	१,५००	१,७००
पाइलट बैलून वेधशाला	५,५००	३१,६००
रेडियो सौंड वेधशाला	६,०००	३५,०००

श्री बाल्मीकी : क्या सरकार इस प्रकार की और वेधशालायें भी खोलना चाहती है, यदि हां, तो किन किन स्थानों पर ?

श्री जगजीवन राम : इस तरह की वेधशालायें तो मुल्क में हैं और अभी उनको ज्यादा बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है ।

खाद्यान्नों का आयात

*२४२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मई १९५१ से मई १९५२ तक की अवधि में भारत में किन किन देशों से खाद्यान्न मंगाया गया;

(ख) इस अवधि में कितना खाद्यान्न आयात किया गया; तथा

(ग) इस अवधि में विदेशों से खाद्यान्न मंगाने के लिये भारत सरकार को कितना रुपया खर्च करना पड़ा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) मई १९५१ से अप्रैल १९५२ तक के बारह मासों में इन इन स्थानों से खाद्यान्न मंगाया गया :—

(१) आस्ट्रेलिया
(२) संयुक्त राज्य अमरीका
(३) कनाडा
(४) अर्जेन्टाइना
(५) रूस
(६) ब्रह्मा
(७) थाइलैण्ड
(८) मिस्र
(९) चीन तथा
(१०) पाकिस्तान ।

(ख) ५४ लाख टन ।

(ग) कुल भुगतान का पूरा हिसाब तो अभी नहीं मिला है, परन्तु प्राप्य सूचना के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लगभग २५४·७ करोड़ रुपया होगा ।

श्री बाल्मीकी : क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि बाहर से आये हुए अन्न की प्रति देश के अनुसार प्रति मन क्या क्या कीमतें हैं ?

श्री करमरकर : यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है । यदि माननीय सदस्य

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न रखें तो उन्हें उक्त सूचना प्राप्त हो जायेगी ।

श्री ए० एम० टामस : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोई ऐसी शिकायत भी की गई है कि कमी वाले कुछ राज्यों को उनके अभ्यंश में अधिकतर बाहर से आयात किया गया अनाज ही दिया जा रहा है तथा उन्हें उसका अधिक मूल्य देना पड़ता है, और यह कि उन्हें वहीं से समाहार किये गये खाद्यान्न में से उनके भाग के अनुसार भी खाद्यान्न नहीं दिया जाता है ?

श्री करमरकर: मैं समझता हूं कि देश में खाद्यान्न के वितरण का प्रश्न इस प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता है; और यदि आता भी है तो मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष ब्रह्मा और थाइलैण्ड से कितना चावल मंगाया गया ? क्या आयात के विषय में कोई सुधार हुआ दिखाई दिया है ? गत वर्ष दिये गये मूल्य की तुलना में अब के मूल्य कैसे हैं ?

श्री करमरकर : मेरे पास ब्रह्मा और थाइलैण्ड से आये चावल के आंकड़े मौजूद हैं। ब्रह्मा से ३४९,८६१ टन चावल आया था तथा उसका २०,७५,०७,६६४ रुपये मूल्य दिया गया था। इसी प्रकार थाइलैण्ड से १८८,५५९ टन चावल आया था तथा उसका १०,७१,२७,७७१ रुपये मूल्य दिया गया था। जहां तक इन कीमतों की गत वर्ष की कीमतों से तुलना करने का प्रश्न है, मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि बाहर से मंगाये गये खाद्यान्न की कीमत देश में उपलब्ध खाद्यान्न की कीमत से अधिक थी या कम ?

श्री करमरकर: मेरे ख्याल से मेरे माननीय मित्र यह जानते हैं कि बाहर से मंगाये गये खाद्यान्न का औसत मूल्य देशी खाद्यान्न के मूल्य से अधिक ही होता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: यदि मूल्य अधिक है तो सरकार यहां खाद्यान्न का मूल्य क्यों नहीं बढ़ा देती ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या २५४.७ करोड़ रुपये में नौपरिवहन व्यय आदि शामिल हैं ?

श्री करमरकर : मैं तो यही समझता हूं; परन्तु फिर भी मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० के० चौधरी। परन्तु माननीय सदस्य खड़े नहीं रहे ।

श्री आर० के० चौधरी: मैं आप को दिखलाई नहीं पड़ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय: आप तो बैठे हुए भी अच्छी तरह से दिखलाई पड़ते रहते हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ब्रह्मा से आने वाले चावल की किस्म में कुछ सुधार हुआ है ? पहले तो इसमें निरे कंकड़ हुआ करते थे ।

श्री करमरकर: मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

विश्व गेहूं परिषद्

*२४३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विश्व गेहूं परिषद् के वर्तमान क़रार के अन्तर्गत भारत प्रति वर्ष कितना गेहूं खरीदता है ?

(ख) क़रार कितने काल के लिए है तथा क्या चालू अथवा आने वाले वर्षों में

इस मात्रा में वृद्धि किये जाने की कोई प्रस्थापना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार के अन्तर्गत भारत का वर्तमान प्रत्याभूत अभ्यंश १५ लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। क़रार के अन्तर्गत वर्ष १ अगस्त से ३१ जुलाई तक का होता है ।

(ख) क़रार चार वर्ष के लिए है अर्थात् अगस्त १९४९ से जुलाई १९५३ तक । क़रार के अनवासित काल के लिये भारत का प्रत्याभूत मात्रा में वृद्धि करवाने का कोई विचार नहीं है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या सन् १९५१ में हमने गेहूं का पूरा अभ्यंश लिया था ? अब १९५२ में अभ्यंश का कितना भाग खरीदा जा चुका है ?

श्री करमरकर : खरीदे गये गेहूं की ठीक ठीक मात्रा बतलाने के लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस क़रार में भाग लेने वाले गेहूं उत्पादक देश हमें गेहूं की कुल कितनी मात्रा दे सकते हैं ?

श्री करमरकर : मैं ने एक और प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़ी देर पहले ही इस का उत्तर दिया था। मैं समझता हूं कि गत तीन वर्षों में यह मात्रा १५ लाख---मुझे आंकड़े याद नहीं रहे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सब देशों से आने वाले गेहूं या चावल की कीमत एक जैसी ही है ?

श्री करमरकर : मेरे ख्याल से कीमतें अलग अलग हैं; मुझे इस विषय में कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या इस क़रार की अवधि को सन् १९५३ के आगे बढ़ाने की काई प्रस्थापना है ?

श्री करमरकर : हम ने क़रार के चार वर्ष के लिए और बढ़ाये जाने की इच्छा प्रकट कर दी है; अधिकतम और न्यूनतम मूल्य वही होंगे जो इस समय चालू हैं और प्रत्याभूत मात्रा भी वही १५ लाख मीट्रिक टन होगी ।

श्री गुरुपाद स्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि बहुत से लोग अपना गेहूं का राशन इसलिये नहीं ले रहे हैं क्योंकि गेहूं बहुत घटिया किस्म का मिल रहा है ?

श्री करमरकर : मैं बतला तो सकता हूं; परन्तु इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री झुनझुनवाला : बाहर से मंगाये जाने वाले गेहूं के मूल्य तथा भारत में समाहृत गेहूं के मूल्य में तथा नियंत्रण मूल्य में क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : समाहार का नियंत्रण मूल्य ?

श्री झुनझुनवाला : जी हां ।

श्री करमरकर : मोटे तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि बाहर से आने वाले गेहूं की कीमत देशी गेहूं की कीमत से अधिक होती है तथा नियंत्रण मूल्य लगभग उन दोनों मूल्यों के बीच होता है। इन तीनों प्रकार की कीमतों के बारे में इस समय ठीक ठीक आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जहां तक देश की कुल खपत का प्रश्न है, सरकार उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने का कब और किस प्रकार प्रयत्न करेगी ?

श्री करमरकर: जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, योजना आयोग ने निश्चित योजनायें बनाई हैं। अनुमान है कि पांच वर्ष बाद हमारा उत्पादन ७६ लाख टन अधिक हो जायेगा। इस पर भी चार-पांच वर्ष तक २० लाख टन बाहर से मंगाना पड़ता रहेगा।

विश्व का चावल (वितरण)

*२४४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विश्व के चावल के उचित वितरण के विषय में सिंगापुर में मार्च, १९५२ में जो सम्मेलन हुआ था उसका परिणाम क्या निकला;

(ख) भारत को कितना अभ्यंश स्वीकृत किया गया तथा क्या उससे भारत की चालू वर्ष की आवश्यकता पूरी होती है; तथा

(ग) इस सम्मेलन में कौन कौन से देशों ने भाग लिया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का निर्देश चावल सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की चौथी बैठक की ओर है जो २५ तथा २६ मार्च, १९५२ को सिंगापुर में हुई थी । इस बैठक का मुख्य अभिप्राय सन् १९५२ में चावल की प्रदाय तथा मांग पर विचार करना था ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जिन देशों ने इस बैठक में भाग लिया था उनकी एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

अदन
आस्ट्रेलिया
लंका
फ्रांस
हांगकांग
भारत
इण्डोनेशिया
जापान
लाओस
मलाया फेडरेशन
मारीशस
नीदरलैण्ड्स
उत्तरी बोर्नियो
पाकिस्तान
फिलिपीन्स
पुर्तगाल
सारावक
साईक्लीस
सिंगापुर
थाइलैण्ड
संयुक्त राज्य अमरीका
वियटनाम

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस सम्मेलन में कौन कौन से चावल-उत्पादक देशों ने भाग लिया था ?

श्री करमरकर : पूरी सूची दे दी गई है । जहां तक चावल-उत्पादक देशों के नामों का प्रश्न है, यह तो मुझे मालूम करना होगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : चावल-उत्पादक देश क्रय तथा उचित विक्रय के लिए कुल कितना चावल दे सकते हैं ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : स सम्मेलन में ब्रह्मा को क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री करमरकर : मुझे निश्चय नहीं कि जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं वह ठीक है या नहीं । ब्रह्मा को आमन्त्रित किया गया था; परन्तु ब्रह्मा सरकार कोई प्रतिनिधि न भेज सकी । उसने यह प्रार्थना की थी कि उसे रिपोर्ट की प्रतिलिपि भेज दी जाये और मैं समझता हूं कि ऐसा कर दिया गया था ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : भारत को किस किस देश से चावल खरीदने की आज्ञा मिली थी ?

श्री करमरकर : जिन देशों से हमने वस्तुतः चावल मंगाया उनके नाम एक और प्रश्न के उत्तर में मैं अभी अभी बतला चुका हूं । आज्ञा मिलने या न मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । जो कुछ भी उपलब्ध हो, हम मंगा सकते हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस क़रार के अन्तर्गत ?

श्री करमरकर : निस्सन्देह ।

श्री वीरस्वामी : क्या खाद्य मंत्रालय मद्रास राज्य को अधिक चावल भेजेगा क्योंकि चावल वहां का मुख्य खाद्य पदार्थ है ?

श्री करमरकर : यह विषय सिंगापुर सम्मेलन की कार्यावलि में तो नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : चूंकि हम पाकिस्तान को गेहूं दे रहे हैं, अतः क्या उसके बदले में वहां से चावल प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री करमरकर : उस दिन मैं ने बतलाया था कि हम गेहूं के बदले में कुछ चावल प्राप्त करने की आशा तो कर रहे हैं । परन्तु देखना यह है कि हमारी यह आशा पूरी होता है या नहीं ।

कोयला उद्योग

***२४५. डा० एम० एम० दास :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार कोयला उद्योग की यातायात सम्बन्धी कठिनाई से परिचित है, जिसका सामना उद्योग को पिछले कुछ मासों से करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि है, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं या किये जाने की आशा है ; तथा

(घ) क्या यह सत्य है कि रेल के डब्बे प्राप्त न होने के कारण व्यापारियों को मोटर ट्रकों का उपयोग करने के लिये विवश होना पड़ा है और इससे उन्हें सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कोयला उपकर को बचाने का मौक़ा भी मिल गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) से (ग). रेल द्वारा कोयला लाने, ले जाये जाने के सम्बन्ध में गत कुछ मासों में कोई विशेष कठिनाई सामने नहीं आई है । इसके विपरीत, पश्चिमी बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से सन् १९५१ में प्रतिदिन लादे जाने वाले डब्बों की औसत संख्या सन् १९५० की अपेक्षा लगभग १७२ अधिक थी और सन् १९५२ के पहले चार मासों में भी प्रतिदिन लादे जाने वाले डब्बों की औसत संख्या सन् १९५१ के पहले चार मासों की अपेक्षा १२७ अधिक थी । इसी प्रकार पेंच, चांदा घाटी, सी० आई० सी० और सिंगरैनी कोयला खानों में भी सन् १९५२ में लादे गये डब्बों की संख्या सन् १९५१ के उसी काल की तुलना में अधिक रही है ।

परन्तु, यह तथ्य है कि कोयला यातायात के लिये कुल जितने डब्बे चाहियें उन की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन डब्बों की संख्या कम है जो हम इस समय, अन्य प्रकार के यातायातों के लिये भी डब्बों की व्यवस्था करने के बाद, इस हेतु उपलब्ध हो सकते हैं । कुछ सैक्शनों में विशेषतया दक्षिण की ओर, कोयला यातायात, अन्य यातायातों के साथ साथ, लाइन की क्षमता के कारण भी सीमित है । बहुत से नये डब्बे तो प्राप्त हो चुके हैं और कुछ हज़ार के लिये आर्डर दिया हुआ है । कुछ कठिनाई वाले सैक्शनों में लाइनों की कार्य-क्षमता में वृद्धि करने के लिये भी समुचित कार्यवाही की

जा रही है । अस्तु, स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होने की आशा है ।

(घ) कोयला आयुक्त द्वारा निर्गमित अनुज्ञा के अधीन कोयले का सड़क मार्ग से आना जाना अनुमत है तथा सामान्यतया इस प्रकार जाने वाले कोयले पर भी कल्याण उपकर लिया जाता है । हां, कुछ दशाओं में हो सकता है कि उक्त कर बचा लिया जाता हो ; परन्तु कर वसूल करने की व्यवस्था पर और अधिक कड़ाई से पालन करने के प्रश्न पर श्रम और निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही के कुछ मासों में कलकत्ता के समाचारपत्रों में बहुत से लेख प्रकाशित हुए थे जिन में कोयला उद्योग की यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे ज्ञात नहीं है ; परन्तु हो सकता है कुछ ऐसी शिकायतें की गई हों ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि कोई चालीस-पचास लाख टन कोयला बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के कोयला क्षेत्रों में इसलिये पड़ा है क्योंकि उसको ले जाने के लिये कोई समुचित यातायात व्यवस्था नहीं है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि हमारे पास डब्बों की कमी है तथा हमारे लिये अपने लक्ष्य को बढ़ा सकना भी सम्भव नहीं है क्योंकि हमें बाहर से आये हुए खाद्यान्न के लाने, ले जाने जैसी अन्य आवश्यक मांगों को भी पूरा करना पड़ता है ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को कोयला उद्योग की ओर से कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया हो कि रेलों के पुनर्वर्गीकरण के कारण उन्हें और अधिक कष्ट हो जायेगा तथा यातायात सम्बन्धी कठिनाई और जटिल बन जायेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, प्राप्त हुआ है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि गत वर्ष प्रति मास औसतन कितना कोयला निकाला जाता था और खानों से कोयला ले जाने के लिये कितने डब्बे दिये जाते थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : सन् १९५१ में प्रति दिन लादे जाने वाले डब्बों की संख्या सन् १९५० में प्रति दिन लादे गये डब्बों की संख्या से लगभग २०० अधिक रही है । मैं माननीय सदस्य को केवल यही बतला सकता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : परन्तु मेरा प्रश्न तो यह था कि प्रति दिन औसतन जितना कोयला निकाला जाता है क्या औसतन उतना ही लाद दिया जाता है तथा क्या डब्बों की कमी के कारण खानों पर काफ़ी कोयला जमा हो गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इसके लिये तो मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार को दक्षिण के उद्योगपतियों की ओर से कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं ह कि उनका अभ्यंश उन्हें नियमित रूप से नहीं मिल रहा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, किन्तु हां, दक्षिण से कुछ शिकायतें प्राप्त ज़रूर हुई हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है क्या वह मध्य प्रान्त की कोयला खानों पर भी लागू होता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं ने पूर्ण आंकड़ा तो दे दिया है, किन्तु विशेष रूप से मध्य प्रदेश की कोयला खानों के विषय में बतलाना मेरे लिये कठिन होगा ।

डा० एम० एम० दास : क्या सरकार हमें कोई अनुमानित तिथि बतलाने की स्थिति में है जिस तक कि कोयला यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : ठीक ठीक तिथि बताना तो कठिन है, परन्तु जैसा कि मैं बतला भी चूका हूं, हमने हज़ारों कोचों के मंगाने का आर्डर दे रखा है, और ज्यों ही काफ़ी संख्या में माल डब्बे प्राप्त हो जायेंगे, यह कठिनाई भी दूर हो जायेगी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि माननीय मंत्री को जो शिक़ायतें प्राप्त हुई हैं उन पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : सरकार मामले की छानबीन कर रही है और जो कुछ भी आवश्यक समझेगी करेगी ।

श्री नम्बियार : क्या मैं पूछ सकता हूं, श्रीमान्, कि कोचें (सवारी के डब्बे) कब से कोयला ढोने लगे ?

अमरावती का मुख्य रेलवे लाइन के साथ मिलाया जाना

*२४६. **डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या रेल मंत्री नागपुर से बम्बई तक की मुख्य रेलवे लाइन के साथ अमरावती के मिलाये जाने का व्यय बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस प्रस्थापना की इस समय स्थिति क्या है ?

(ग) क्या सरकार को इस विषय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(घ) यदि हुआ है, तो क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) अमरावती को की मुख्य रेलवे लाइन के साथ मिलाने के व्यय का अनुमान सन् १९४६ में ३७.३३ लाख रुपये लगाया गया था ।

(ख) बम्बई-नागपुर मुख्य रेलवे लाइन को अमरावती हो कर लाने के प्रश्न पर सन् १९४६ में विचार किया गया था परन्तु परियाण जांच प्रतिवेदन में यह बतलाये जाने पर कि आर्थिक रूप से यह प्रस्थापना लाभदायक नहीं रहेगी, उसे छोड़ दिया गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) जैसा कि भाग (ग) के उत्तर में बतलाया जा चुका है, उक्त परियोजना को छोड़ देने का निश्चय किया जा चुका है, अतः सरकार उस निश्चय में फेर बदल करना उचित नहीं समझती है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या यह तथ्य नहीं है कि नागपुर-अमरावती शाखा लाइन पर भारत भर में सब से अधिक खर्चा हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो तर्क कर रहे हैं अब हम अगला प्रश्न लें ।

राजकुमारी चौक रोड, अमरावती में हुई दुर्घटना

*२४७. **डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि २२ अगस्त, १९५१ को डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की असावधानी के फलस्वरूप अमरावती के एक आम रास्ते में श्री शक्ति

कांत नवाथे के साथ, जब कि वह भीड़ से भरे राजकुमारी चौक से हो कर जा रहे थे, एक दुर्घटना हो गई, उन से सड़क पर पड़े टेलीफ़ोन के तार छू गये थे, और उस से उनकी मृत्यु हो गई थी ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि विभाग के गैंग-कर्मचारी बिजली के तारों को बिजली की करैंट बन्द किये बिना ही ठीक ठाक कर रहे थे और न केवल उनके पास ज़रूरी औज़ार ही मौजूद नहीं थे, बल्कि वह काम भी सावधानी के साथ नहीं कर रहे थे ?

(ग) क्या ज़िला मजिस्ट्रेट ने दुर्घटना की जांच-पड़ताल की है, तथा यदि की है, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

(घ) क्या अब तक कोई हर्जाना दिया गया है, तथा यदि नहीं दिया गया है, तो क्यों नहीं ?

(ङ) उक्त दुर्घटना का जिन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है उनको सहायता देने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

(च) क्या सरकार इस मामले की पूर्ण तथा विस्तृत जांच करेगी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मुझे यह बतलाते हुए दुःख होता है कि यह तथ्य है कि अमरावती के श्री शशि-कांत नवाथे के साथ राजकुमारी चौक के समीप एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी । उन के पैरों के नीचे कुछ टेलीफ़ोन के तार आ गये थे जिनमें से एक में, किसी विद्युत करैंट वाले तार के साथ अचानक मिल जाने के कारण, बिजली आगई थी ।

(ख) विभाग के मिस्त्री टेलीफ़ोन के दो फ़ालतू तार निकाल रहे थे जिसमें से एक में, किसी विद्युत करैंट वाले तार के साथ अचानक मिल जाने के कारण बिजली आ गई थी क्योंकि बिजली के तार का इन्स्युलेटर टूटा हुआ था । मिस्त्रियों के पास ज़रूरी औज़ार तो थे परन्तु दुर्घटना के समय वह एक रुकावट को हटाने के लिये एक मकान के भीतर गये हुए थे ।

(ग) मुझे ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच का पता नहीं है ।

(घ) तथा (ङ). मृत व्यक्ति के माता पिता ने सरकार के खिलाफ़ दीवानी में दावा दायर कर दिया है तथा उन्हें अनुग्रह-स्वरूप कुछ रक़म दिये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

(च) घटना की जांच डाक तथा तार विभाग के पदाधिकारियों द्वारा, पुलिस द्वारा तथा मध्य प्रदेश सरकार के इलैक्ट्रिकल इन्स्पैक्टर द्वारा की जा चुकी है । अब इस मामले में अग्रेतर जांच करने का विचार नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या सरकार ने कोई रक़म निश्चित कर ली है जो वह मृत व्यक्ति के पिता को देना चाहती है ?

श्री जगजीवन राम श्रीमान्, इस अवस्था पर मैं यह बात बतलाने को तैयार नहीं हूं । मैं ने विभाग के कर्मचारियों से कह दिया है कि वह मृत व्यक्ति के माता-पिता से बातचीत करें ।

ग्रामीण डाकघर (बरार)

*२४८. **डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बरार (मध्य प्रदेश) में कोई ऐसे गांव भी हैं जिन की जन संख्या २,००० या इससे अधिक है और जहां डाकघर नहीं हैं ?

(ख) क्या ऐसे गांवों में डाकघर खोलने की कोई प्रस्थापना है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री ए० एम० टामस: क्या देश के किसी भाग में यह लक्ष्य पूरा हो गया है ?

श्री जगजीवन राम: अभी नहीं, श्रीमान्। अभी तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।

खाद्यान्नों का आयात तथा समाहार

*२४९. **श्री पी० टी० चाको**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५१-५२ में बाहर से मंगाये गये खाद्यान्नों की मात्रा;

(ख) सन् १९५१-५२ में देश में समाहृत खाद्यान्नों की मात्रा;

(ग) क्या सन् १९५१-५२ में अतिरिक्त उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तथा यदि किया गया था, तो वह कितना था; तथा

(घ) क्या उक्त लक्ष्य पूरा हो गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) १ अप्रैल, १९५१ से ३१ मार्च, १९५२ तक ५२ लाख ४० हज़ार टन खाद्यान्न का भारत में आयात किया गया।

(ख) सन् १९५१ में देश में कुल ३,७७० हज़ार टन खाद्यान्न का समाहार किया गया। सन् १९५२ में, २६ अप्रैल, १९५२ तक, १९२७ हज़ार टन खाद्यान्न का समाहार हुआ।

(ग) जी हां, सन् १९५१–५२ में १९५०-५१ की अपेक्षा अधिक उत्पादन का लक्ष्य १४ लाख टन निर्धारित किया गया है।

(घ) इस अवस्था पर यह बतलाना कि सन् १९५१-५२ में परिणाम क्या हुआ संभव नहीं है। उत्पादन-लक्ष्य कृषि वर्ष के लिये निर्धारित किये जाते हैं तथा कृषि वर्ष जून १९५२ के अन्त में समाप्त होगा।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार खाद्यान्नों का समाहार सब राज्यों से कर रही है, तथा यदि कर रही है, तो क्या समाहार का आधार सब राज्यों में एक जैसा है ?

श्री करमरकर: इसकी मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न का घंटा समाप्त हो चुका है। अब मैं अल्प सूचना प्रश्नों को लूंगा। इस प्रसंग में मैं यह बतला दूं कि मुझे छै माननीय सदस्यों से एक ही विषय सम्बन्धी प्रश्नों की पूर्वसूचना मिली थी। मैं ने एक प्रश्न को स्वीकार कर लिया है और उसे मैं अभी रखने वाला हूं। यह प्रश्न विस्तृत है तथा इसके क्षेत्र में वह सभी अनुपूरक प्रश्न आ जायेंगे जो अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछे जा सकते हैं। जिन दूसरे सदस्यों के अल्प सूचना प्रश्न अस्वीकृत कर दिये गये हैं उन्हें इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौक़ा दिया जायेगा।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बीकानेर के निकट रेल की टक्कर

डा० राम सुभग सिंह: क्या रेल मंत्री प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य की ओर जो उन्होंने सदन में २० मई, १९५२ को बीकानेर के निकट हुई रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में दिया था, निर्देश करने और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वह अब इस स्थिति में हैं कि इस विषय पर कोई और वक्तव्य दे सकें ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां । मैं निम्न सूचना और देता हूं :—

(१) हताहत व्यक्तियों के बारे में नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :—

(क) हत—४५

(ख) आहत—६७

(ग) २४-५-५२ तक अस्पताल में—४७

(घ) हताहत व्यक्तियों के नामों तथा पतों की सूचियां सदन-पटल पर रखी गई हैं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६**]

(२) २०-५-१९५२ के सुबह ११ १/२ बजे के लगभग गाड़ियों का सीधा आना जाना पुनः चालू हो गया था ।

(३) दुर्घटना का प्रभाव इन सवारी गाड़ियों के आने जाने पर पड़ा :

१९-५-१९५२: १८-५-१९५२ की २४ डाउन गाड़ी के यात्रियों को दुर्घटना के स्थान से एक रिलीफ़ ट्रेन में बैठाकर दूसरे दिन प्रातः बीकानेर लाया गया ; इसी गाड़ी के साथ दुर्घटना हुई थी ।

१९-५-१९५२: २३ अप—गाड़ी नहीं गई ।

१९-५-१९५२: ६ डाउन—यात्रियों को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया ।

१९-५-१९५२: ५ अप—यात्रियों को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया ।

१९-५-१९५२: २४ डाउन—पलना में दूसरी गाड़ी के साथ जोड़ दी गई और दुर्घटना के स्थान पर यात्रियों को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया ।

२०-५-१९५२: ६ डाउन—पलना में दूसरी गाड़ी के साथ जोड़ दी गई और दुर्घटना के स्थान पर यात्रियों को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया ।

२०-५-१९५२: २३ अप—गाड़ी नहीं गई ।

(४) रेलवे के बम्बई स्थित सरकारी निरीक्षक ने २२ मई, १९५२ से दुर्घटना की जांच करना प्रारम्भ कर दिया है । इस जांच के पूर्ण हो जाने पर और बातों के साथ साथ यह भी ज्ञात हो जायगा कि दुर्घटना का कारण क्या था, इसका उत्तरदायित्व किस पर है, सहायता कार्य कहां तक शीघ्रता और कुशलता से किया गया तथा दुर्घटना-ग्रस्त २४ डाउन गाड़ी में प्रथमोपचार सम्बन्धी सामान था या नहीं ।

दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में रेलवे के सरकारी निरीक्षक की अस्थायी उपपत्ति यह है कि दुर्घटना का कारण मानवी रेलवे कर्मचारियों की अकुशलता थी ।

(५) दुर्घटना के समय पलना तथा बीकानेर स्टेशनों पर जो स्टेशन मास्टर कार्य पर थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में वह जमानत पर छोड़ दिये गये । रेलवे प्रशासन ने उन्हें मुअत्तिल कर दिया है ।

(६) गाड़ी के टूटे फूटे डब्बों में से निकाली गई या मृत व्यक्तियों के पास पाई गई ऐसी समस्त सम्पत्ति, जिस के बारे में कोई दावे नहीं थे और जो पुलिस ने रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इकट्ठी की थी, पुलिस के पास जमा है तथा वह उसे उसके वास्तविक स्वामियों को लौटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

(७) इस दुर्घटना के फलस्वरूप जो हर्जाने के दावे किये गये (जनता तथा रेल कर्मचारियों दोनों के द्वारा) उनकी जांच करने के लिए तथा उनकी रक़म निश्चित

करने के लिये जैपुर के जुडीशियल कमिश्नर, श्री दुर्गा शंकर दवे को क्लेम्स कमिश्नर नियुक्त किया गया है ।

(८) रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमानित ब्योरा इस प्रकार है :

	रुपये
इंजन	७०,०००
माल और सवारी गाड़ी के डब्बे	३८,०००
स्थायी रेल पथ	१,०००
योग	१,०९,०००

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि दोष दोनों में से किस स्टेशन मास्टर का है ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, अभी उत्तर में यह कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है । यह बात तो जांच के समाप्त होने पर ज्ञात होगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि मैं ने ठीक सुना है, तो क्या दुर्घटना का कारण मानवी अकुशलता बताया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : रेलवे कर्मचारियों की अकुशलता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री भंडारी ।

श्री भंडारी : क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि..

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं आप से अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिये नहीं कह रहा हूं--वह तो अस्वीकृत हो ही चुका है । क्योंकि आप ने प्रश्न रखना चाहा था, अतः आप चाहें तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री भंडारी : क्या दुर्घटना के समय इन में से किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस विषय में जांच प्रारम्भ हो चुकी है, इन सब बातों के बारे में पूर्ण ब्योरा जांच समाप्त होने पर ही प्राप्त हो सकता है, उससे पहले नहीं ।

श्री भंडारी : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पहली रिलीफ़ ट्रेन घटनास्थल पर कब पहुंची ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दो दिन पहले अपने वक्तव्य में मैं समय बतला चुका हूं--क़रीब तीन चार घंटे बाद ।

श्री एल० बी० शास्त्री : रिलीफ़ ट्रेन घटनास्थल पर कोई तीन-चार घंटे बाद पहुंच गई थी ।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप जनता को बहुत से सन्देह हो गये हैं, क्या घटना से सम्बन्धित रेलवे कर्मचारियों को जिन पर मक़दमा चलाया जा रहा है, सरकार विशेष क़ानूनी सहायता और सफ़ाई पेश करने का मौक़ा देगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस समय तो यह प्रश्न काल्पनिक सा होगा । पहले जांच का नतीजा तो निकले, मुक़दमा चलाने का प्रश्न तो तभी उठेगा ।

श्री नम्बियार : जी नहीं श्रीमान्, प्रश्न तो उठ चुका है--दोनों स्टेशन मास्टर गिरफ्तारी में हैं...

अध्यक्ष महोदय : गिरफ्तारी में रहने का अर्थ है जांच के अधीन रहना--मुक़दमा चलाने का अर्थ तो न्यायालय में कार्यवाही करना होता है ।

श्री बादशाह गुप्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ऐसे मृत व्यक्तियों की जिनके पास कुछ सामान मिला था फोटो ले ली

गई थी जिससे कि यह मालूम हो सके कि अमुक सामान अमुक व्यक्ति का है ? यदि फोटो ले ली जातीं तो यह सिद्ध हो जाता कि ....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । आप यह पूछ सकते हैं कि फोटो ली गई थीं या नहीं—यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि फोटो क्यों ली जानी चाहिये थी ।

श्री एल० बी० शास्त्री : इस विषय में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या सभी मृत व्यक्तियों को पहचान लिया गया या कुछ ऐसे शव भी थे जिन्हें पहचाना नहीं जा सका ।

श्री एल० बी० शास्त्री: ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी शव को न पहचाना जा सका हो ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या जांच समाप्त करने के लिये कोई समयावधि निर्धारित की गई है, तथा यदि की गई है, तो क्या ?

श्री एल० बी० शास्त्री: वैसे तो कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु रेलवे इंस्पैक्टर ऐसी जांचों को प्रायः एक मास में समाप्त कर देते हैं ।

श्री धुलेकर : क्या मिनिस्टर महोदय बतलायेंगे कि जहां पर एक्सीडेंट (दुर्घटना) हुआ उसके पास कोई गांव थे और उन गांवों से रिलीफ़ ट्रेन के आने के पेश्तर, खाने पीने की चीज़ें उन्हें मिली थीं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: क्या गाड़ियों को लाइन क्लियर ब्लौक यंत्र द्वारा दिया गया था या तार की मोर्स पद्धति द्वारा ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी जांच का विषय है । अब हम अगली कार्यवाही करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अगिया घास के तेल आदि का विकास, उत्पादन तथा निर्यात

*२५०. **श्री पी० टी० चाको** : **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को यह कार्य सौंपा गया था कि वह इस बात की जांच करे कि अगिया घास के तेल, काजू, अदरख और इलायची के उत्पादन तथा निर्यात का कितना प्रसार और विकास करना सम्भव है ;

(ख) क्या परिषद् ने कोई प्रतिवेदन दिया है ; तथा

(ग) यदि दिया है, तो परिषद् की मुख्य सिपारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). मामले की जांच करने के लिये परिषद् ने एक उपसमिति-नियुक्त की है । यद्यपि उस ने काफ़ी प्रारम्भिक कार्य कर लिया है, तथापि वह अभी स्थानीय दशाओं की जांच समाप्त नहीं कर पाई है ।

देशस्थ जलाशय (मीन क्षेत्रों) का विकास

*२५१. **श्री पी० टी० चाको**: **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देशस्थ जलाशयों में मत्स्यग्रहण के बड़े पैमाने पर विकास करने की सम्भावना की जांच की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : जी हां । इस हेतु भारत सरकार राज्य सरकारों को अनुदान तथा ऋण देती आई है ; देश के भीतर मत्स्यग्रहण के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर ही है । यह अनुदान

और ऋण 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत इन बातों से सम्बन्ध रखने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में दिये जाते हैं : (१) संग्रह-क्षेत्रों का पर्यालोकन, (२) मछली के बीजों के लिये पूर्वेक्षण, (३) मछली के बीजों और छोटी छोटी मछलियों का पालना तथा वितरण करना, तथा (४) ताज़े पानी का संग्रह ।

भागलपुर-बौंसी रेलवे लाइन

*२५२. **श्री झुनझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भागलपुर-बौंसी रेलवे लाइन के फिर से चालू किये जाने में विलम्ब होने के कारण; तथा

(ख) मुलीपुर-मुरलीगंज रेलवे लाइन के बनाये जाने में विलम्ब होने के कारण?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) केन्द्रीय यातायात पर्षद् के निर्णय के अनुसार भागलपुर-मंदार पहाड़ी (बौंसी) लाइन के फिर से चालू किये जाने का काम सन् १९५२-५३ में किया जाना है । सन् १९५२-५३ के आयव्ययक में इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिये एक लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है । आशा की जाती है कि काम सन् १९५३-५४ में समाप्त हो जायेगा । अतएव लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य नार्थ-ईस्टर्न रेलवे पर दौरम माधेपुरा से ले कर मुरलीगंज तक की प्रस्तावित रेल लाइन के निर्माण की ओर संकेत कर रहे हैं । इस लाइन के निर्माण में भी कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि इसकी स्वीकृति केन्द्रीय यातायात पर्षद् ने अपनी जुलाई १९५१ में हुई बैठक में ही दी है । तदनुसार, सन् १९५२-५३ के आयव्ययक में इस कार्य के लिये दस लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है । इस बीच, बिहार सरकार को गत वर्ष यह अधिकार दे दिया गया था कि वह, अकाल सहायता कार्य के रूप में, प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिये ज़मीन ऊंची करवाने का काम प्रारम्भ कर दे; तथा रेलवे प्रशासन से भी यह कह दिया गया था कि इस सम्बन्ध में बिहार सरकार को जिस सहायता की आवश्यकता पड़े वह उसे दे । आशा की जाती है कि उक्त लाइन का निर्माण कार्य सन् १९५३–५४ में पूरा हो जायेगा ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

*२५३. **श्री झुनझुनवाला** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या भारत सरकार भारत में खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार कर रही थी ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसमें देर होने के क्या कारण हैं तथा सरकार इसे कब पुरःस्थापित करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां ।

(ख) विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने में विलम्ब होने का कारण यह है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाना आवश्यक है । विधेयक को अगले सत्र में पुरःस्थापित करने का विचार है ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र जल यातायात पर्षद्

*२५४. **श्री बर्मन** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गंगा-ब्रह्मपुत्र जल यातायात पर्षद् का

पाकिस्तान क्षेत्रस्थ जल पर कितना अधिकार होगा ?

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार के साथ कोई क़रार किया गया है ?

(ग) इस पर्षद् द्वारा कौन कौन सी कम्पनियों का निरीक्षण अथवा विनियमन किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) पर्षद् का पाकिस्तान क्षेत्रस्थ जल पर कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पर्षद् को किसी कम्पनी का निरीक्षण या विनियमन नहीं करना पड़ेगा; वह तो केवल भाग लेने वाली सरकारों की अन्तर्देशीय जल यातायात सम्बन्धी कार्यवाहियों का समन्वय करेगा ।

अण्डमान के जंगल

*२५५. **श्री बर्मन** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अण्डमान में किस किस प्रकार की दुष्प्राप्य लकड़ी पैदा होती है ?

(ख) इस प्रकार की दुष्प्राप्य लकड़ी को फिर से पैदा करने और विकसित करने के सम्बन्ध में क्या योजना है ?

(ग) अण्डमान के जंगलों का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा उस का कितना भाग एक असरकारी सार्थ को उसमें से लकड़ी काटने के लिये पट्टे पर दे दिया गया है ?

(घ) उस क्षेत्र में वैभागिक रूप से लकड़ी निकलवाने में क्या कठिनाई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) दुष्प्राप्य लकड़ी की यह क़िस्में पाई जाती हैं :

साधारण नाम	बोटेनीकल नाम
(१) पाड़क	टैरोकारपस डैलबरग्यो इड्स ।
(२) सिवरग्रे	टर्मिनेलिया बायलेट
(३) मार्बल वुड	डीसपायर्स मरमोराटा
(४) स्टेन वुड	मुररायो एक्सोटिका

(ख) अण्डमान के लिये एक योजना तैयार की गई है जिसमें पुराने वृक्षों से लकड़ी प्राप्त करने तथा जिन क्षेत्रों में वृक्ष उगाये जा चुके हों उनमें फिर से वृक्ष उगाने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है । फिर से वृक्ष उगाने की प्रणाली के अन्तर्गत कटे हुए जंगलों में पांच वर्ष के लिये कुछ बीज वाले वृक्ष छोड़ दिये जाते हैं । नये वृक्ष पैदा हो जाने पर उन की देखभाल की जाती है और पुराने बीज वाले वृक्षों को नष्ट कर दिया जाता है ।

(ग) कुल क्षेत्रफल कोई २,५०० वर्ग मील है । लकड़ी निकालने के लिये पट्टे पर ७०७ वर्ग मील का क्षेत्र दिया गया है ।

(घ) इसमें मुख्य कठिनाई यह थी कि टेक्नीकल व्यक्ति काफ़ी संख्या में प्राप्य नहीं थे और आरम्भ में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता थी ।

राज्यों में चारे की कमी

*२५६. **पंडित एम० बी० भार्गव** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने विभिन्न अकालग्रस्त राज्यों को चारा देने के लिये क्या क्या प्रबन्ध किये हैं ?

(ख) चारे को शीघ्र तथा कम खर्च पर भेजने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न राज्यों को क्या रियायतें दी गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) यह प्रबन्ध किये गये हैं :

(१) कमी वाले तथा अतिरेक वाले क्षेत्रों से चारे के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया गया है ।

(२) अतिरेक वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को चारे का आवंटन सम्बन्धित राज्य-सरकारों के परामर्श से किया गया।

(३) कमी वाले क्षेत्रों को, चारे की नियत मात्रा प्राप्त करने में सहायता दी गई तथा दी जा रही है ।

(ख) अधिमान्य यातायात के अन्तर्गत चारे का कमी वाले क्षेत्रों को भेजा जाना एक प्रमुख प्रबन्ध है और खाद्य अर्थात् २ (ग) के बाद उसका ही नंबर आता है । जब कभी भी आवश्यक समझा गया विशेष गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई जिससे कि चारा कमी वाले क्षेत्रों को शीघ्रता के साथ भेजा जा सके । भाड़े के रियायती दर लागू कर दिये गये हैं ।

कृषिसारों का आयात

***२५७. पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में बाहर से कितने तथा कितने मूल्य के कृषिसार मंगाने की प्रस्थापना है तथा उसका डालर तथा स्टर्लिंग क्षेत्रों से किये गये आयात का परस्पर क्या अनुपात होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : भारत सरकार ने लगभग ३,३१,८४,००० रुपये के मूल्य के, जो सब का सब स्टर्लिंग में होगा, ८२,००० टन सल्फेट आफ़ अमोनिया के आयात की व्यवस्था, की है । इसके अतिरिक्त अमेरिकी सरकार टेक्नीकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत ८८,००० टन सल्फ़ेट आफ़ अमोनिया और २०,००० टन अन्य प्रकार के कृषिसार भेजने वाली है, जिसका मूल्य अमेरिकी सरकार द्वारा की गई वित्तीय व्यवस्था के अधीन चुकाया जायेगा । उक्त कृषिसारों का पूर्ण मूल्य बतलाना या उन का डालरों तथा स्टर्लिंगों में अलग अलग मूल्य बतलाना सम्भव नहीं है, क्योंकि अभी यह खरीदा नहीं गया है ।

रेलों का बिजली से चलाया जाना

***२५८. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिजली से चलने वाली रेलों पर भाप से चलने वाली रेलों की अपेक्षा कम खर्च होता है तथा क्या वह अधिक तेज चलती हैं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या और अधिक रेलों को बिजली से चलने वाली बनाने का काम चालू है;

(ग) क्या बिजली से चलने वाली रेलों के इंजन भारत में बनाये जाते हैं;

(घ) बिजली से चलने वाली रेलों के इंजन तथा डब्बे किन किन देशों से मंगाये जा रहे हैं; तथा

(ङ) बिजली से चलने वाली रेलें किन-किन लाइनों पर चालू की जा रही हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) रेलों को बिजली से चलने वाली बनाने में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है । बिजली से चलने वाली रेलों तथा इंजनों का प्रारम्भिक व्यय भाप से चलने वाली गाड़ियों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है ; हां, उनका संचालन

व्यय अपेक्षाकृत कम होता है—किन्तु यह भी केवल उसी दशा में होता है जब कि बिजली सस्ते दामों पर मिलती हो। बिजली की रेलें अधिक तेज़ चल सकती हैं; और जिन क्षेत्रों में गाड़ी को जल्दी जल्दी रुकना होता है, उन क्षेत्रों में तो उन से समय में भी काफ़ी बचत हो जाती है।

(ख) तथा (ङ). जी नहीं। रेलों का बिजली से चलाया जाना मुख्यतः आर्थिक बातों पर निर्भर होता है तथा प्रत्येक पहलू पर अनेक दृष्टिकोणों से विचार करना होता है, जैसे कोयले का ख़र्चा, बिजली का खर्चा, यातायात का विस्तार तथा, सब से अधिक, देश के पूंजी साधन जिन की इस समय अन्य अधिक आवश्यक कार्यों में अधिकाधिक ज़रूरत है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इंगलैंड।

बिजनौर-चांदपुर-सियाउ रेलवे लाइन

***२५९. श्री एन० एस० जैन:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या बिजनौर-चांदपुर-सियाउ (पुरानी ई० आई० आर०) की उखाड़ी हुई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, तथा इसके कब तक पूरे हो जाने की आशा है; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि पहले कुछ दूरी तक रेल लाइन बिछा ली गई थी, किन्तु बाद में उसे उखाड़ दिया गया, तथा यदि ऐसा किया गया है, तो क्यों?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां। उसके जनवरी, १९५३ के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है।

(ख) जी नहीं।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी

***२६०. श्री विद्यालंकार:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को किन किन रेलों के प्लेटफ़ार्मों पर किताबों की दुकानें चलाने का एकाधिकार प्राप्त है;

(ख) उक्त सार्थ को इन लाइनों पर यह एकाधिकार कितने वर्षों से प्राप्त है;

(ग) उपरोक्त एकाधिकार के लिये उक्त सार्थ से कितना अधिकार-शुल्क और किराया प्राप्त होता है;

(घ) क्या उक्त सार्थ को एकाधिकार दिये जाने से पूर्व मूल्यवेदन-पत्र मांगे गये थे;

(ङ) जिन लाइनों पर मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को एकाधिकार प्राप्त है, क्या उन लाइनों पर किताब की दुकानें खोलने के लिये सरकार टेंडर मांगेगी; तथा

(च) क्या पुस्तकों तथा अथवा पत्रिकाओं के उक्त सार्थ द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों पर रेलवे प्रशासन का कोई नियंत्रण है?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को ईस्टर्न, नार्थ-ईस्टर्न, सैंट्रल, वैस्टर्न तथा नार्दर्न रेलों पर किताब की दुकानें चलाने की अनुज्ञायें प्राप्त हैं। वैस्टर्न और नार्दर्न रेलों पर इस प्रकार की दुकानें अन्य ठेकेदारों द्वारा भी चलाई जाती हैं तथा सदर्न रेलवे पर इस सार्थ की कोई दुकान नहीं है।

(ख) इस सार्थ के पास किताबों की दुकानें चलाने की अनुज्ञा ईस्टर्न, सैंट्रल तथा नार्दर्न रेलवे के कुछ भागों पर तो ५० वर्ष

से अधिक समय से तथा वैस्टर्न रेलवे पर लगभग ३० वर्ष से है ।

(ग) उक्त सार्थ से सन् १९५०-५१ में अधिकार-शुल्क के रूप में प्राप्त रक़म लगभग ५०,००० रुपये थी । अधिकार-शुल्क के अलावा कोई किराया नहीं लिया जाता है;

(घ) रेलों की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् की सिपारिश के अनुसार, किताबों की दुकानें चलाने के ठेके देने के विषय में टेंडर प्रणाली का अनुसरण न करके अनुज्ञा प्रणाली का ही अनुसरण किया जाता है ।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(च) जी हां ।

बिलासपुर-मंडला रेलवे लाइन

*२६१. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि बिलासपुर से मंडला तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिये मिट्टी डालने आदि का काम कुछ वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया था तथा उस समय से अब तक कोई काम नहीं किया गया है ?

(ख) क्या सरकार सदन को यह बतलायेगी कि उक्त कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि बरवार्डीह (ई० आई० आर०) से चिरिमिरी (बी० एन० रेलवे) तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिये मिट्टी आदि डालने का काम सन् १९४८ में पूरा हो चुका था तथा तब से यह काम बन्द पड़ा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) बिलासपुर-मंडला रेलवे लाइन के लिये कोई मिट्टी डालने इत्यादि का काम नहीं किया गया था; सन् १९०० में केवल १५ मील की दूरी में बिलासपुर तथा खवर्डा के बीच कुछ काम किया गया था । यह कार्य अकाल सहायता के रूप में चालू किया गया था ।

(ख) बिलासपुर तथा मंडला के बीच रेलवे लाइन बनाने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

(ग) बरवार्डीह-चिरिमिरी परियोजना के बरवार्डीह-सरनाडीह सैक्शन में मिट्टी डालने आदि से सम्बन्ध रखने वाले कार्य का अधिकांश भाग फ़रवरी १९५० में पूरा हो चुका था । उस समय से काम बन्द पड़ा है तथा अब अक्तूबर १९५२ में परियोजना का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया गया है ।

छोटी सिंचाई योजनायें

*२६३. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष से छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये अपने अनुदानों को कम करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि किया है, तो कितना कम करने का निश्चय किया है ;

(ग) क्या इसके कारण राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों में भी कमी हो गई है ; तथा

(घ) क्या इस का 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन पर भी प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी नहीं । छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये दी जान वाली आर्थिक सहायता की राशियों में कोई कमी नहीं

की गई है ; हां, असरकारी योजनाओं के लिये, जैसे कुओं तथा तालाबों आदि का निर्माण और मरम्मत करने के लिये दी जाने वाली अर्थ सहायता की रक़म में कुछ कमी कर दी गई है, ताकि धीरे धीरे किसानों की परनिर्भरता कम की जा सके और 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के लिये ऋणों द्वारा ही धन दिया जा सके। जहां तक सार्वजनिक छोटी-सिंचाई-योजनाओं का प्रश्न है, आर्थिक सहायता के आधार में कोई फेर-बदल नहीं हुआ है।

(ख) असरकारी योजनाओं में २५ प्रति शत ।

(ग) आवश्यक रूप से नहीं। यदि कोई राज्य सरकार अधिक प्रतिशतता पर अर्थसहायता देना चाहे तो वह अपने आय-व्ययक में से दे सकती है।

(घ) जी नहीं।

दरवाह–पुसाद रेलवे लाइन

*२६४. **श्री जी० एस० भारती :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दरवाह तथा पुसाद के बीच उखाड़ी हुई रेलवे लाइन को पुनः कब चालू किया जायेगा ?

(ख) इसे फिर से चालू करने का निर्माण कार्य इस समय किस अवस्था पर है ?

(ग) क्या सन् १९५२-५३ के आयव्ययक में इसके लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) दरवाह तथा पुसाद के बीच उखाड़ी हुई रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के प्रश्न पर केन्द्रीय यातायात पर्षद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५० की बैठक में पुनः विचार किया था, किन्तु यह प्रस्थापना स्वीकृत नहीं हुई।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

आबू गिरि का राजस्थान में संविलयन

*२६५. **श्री जी० डी० सोमानी :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान के राज्य विधान मण्डल द्वारा एकमत से पारित किये गये उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें राष्ट्रपति से आबू गिरि को राजस्थान में संविलीन करने की प्रार्थना की गई है, तथा

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है या कर रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख). भारत सरकार को संकल्प की एक प्रतिलिपि मिली है। सरकार उस पर अवश्य कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

रायागोडा कस्बे को पानी

३४. **श्री संगण्णा :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रेल प्राधिकारी (बी० एन० रेलवे) रायागोडा कस्बे को रुपया लेकर पानी देने को तैयार हो गये हैं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस प्रस्थापना को प्रायः किस तिथि तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

चलिष्णु रेडियो सेवायें

३५. **श्री पी० एन० राजभोज**: क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में चलिष्णु रेडियो सेवाओं के लिये कितनी अनुज्ञायें दी गईं ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): सन् १९५१ तथा १९५२ में चलिष्णु रेडियो सेवाओं के लिये दी गई अनुज्ञाओं की संख्या इस प्रकार थी :—

	१९५१	१९५२ २२-५-५२ तक
(क) समुद्रीय चलिष्णु सेवा।	१०३	१०९
(ख) वैमानिक चलिष्णु सेवा।	१९३	२०५
(ग) स्थल चलिष्णु सेवा।	९६३	९६४
	१२५९	१२७८

बरार डिवीजन टेलीफ़ोन

३६. **डा० पी० एस० देशमुख**: (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के बरार डिवीजन में दरयापुर, अचलपुर, मोरसी, दरवाह, पंधरकरवदा, चिखली, चन्दूर रेलवे तथा मुर्तिज़ापुर जैसे स्थानों के बीच टेलीफ़ोन सम्पर्क स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ख) क्या इन स्थानों के बीच टेलीफ़ोन सम्पर्क स्थापित करने के लिये कोई योजना है ?

(ग) यदि है, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग). मुर्तिज़ापुर, चन्दूर, तथा अचलपुर में तो पब्लिक काल कार्यालय पहले ही से मौजूद है और यह स्थान अखिल भारतीय ट्रंक सेवा से पहले ही से सम्बद्ध हैं। बाक़ी स्थान अभी इस प्रकार सम्बद्ध नहीं हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में दरवाह का अखिल भारतीय ट्रंक सेवा से सम्बन्ध स्थापित करने का विचार है। अन्य स्थानों का सम्बन्ध स्थापित करना आय की दृष्टि से लाभदायक नहीं होगा; अतः उन योजनाओं को इस समय प्रारम्भ करने का तब तक कोई विचार नहीं है जब तक कि कोई प्रत्याभूति न दे दी जाये।

मध्य प्रदेश में खाद्यानों का समाहार

३७. **डा० पी० एस० दशमुख**: (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश का वर्ष १९५२-५३ में ज्वार, गेहूं तथा चावल के समाहार का लक्ष्य क्या है ?

(ख) ३० अप्रैल, १९५२ तक प्रत्येक की कितनी कितनी मात्रा प्राप्त की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) मध्य प्रदेश सरकार का सन् १९५२ में ज्वार, गेहूं तथा चावल के समाहार का लक्ष्य क्रमशः ४०,००० टन, १३,००० टन तथा २२६,००० टन है।

(ख) उपरोक्त लक्ष्यों में से १-१-५२ और २६-४-५२ के बीच, ६१,९९२ टन ज्वार, ७,५६१ टन गेहूं तथा १५२,७३५ टन चावल प्राप्त किया गया।

टिड्डी विभीषिक

३८. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि ईरान की सरकार ने भारत सरकार से यह प्रार्थना

की है कि वह ईरान में टिड्डियों के ख़तरे का सामना करने के लिये उसे तुरन्त कुछ सहायता दे ; तथा

(ख) यदि की है, तो भारत सरकार ईरान को, वहां टिड्डियों के ख़तरे का सामना करने के लिये, क्या सहायता देने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने अपना एक कृमिशास्त्रवेत्ता तो ईरान भेज दिया है तथा दस टन बी० एच० सी०, तीन टन प्राल्ड्रीन और छै यंत्र द्वारा पाबडर छिड़कने वाले यंत्रों के वायुयान द्वारा तुरन्त भेजे जाने का भी प्रबन्ध कर दिया गया है ।

Wednessday 28, May, 1952

अंक १

संख्या १

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit 13.3.92 Fumigated Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग १—२४]

(मूल्य ६ आने)

312 P.S.D.

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरुदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन् नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [(जिला जालौन व जिला इटावा (पश्चिम) व जिला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (जिला पीलीभीत व जिला बरली (पूर्व)

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ जिला आगरा (पश्चिम)

अंचित राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालापाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा —पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी—महासू)

अयंगार, श्री एम० ए० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिंगलपुट)

अलबा, श्री जोशिम (कनारा)

आ

आगम दास जी, श्री (विलासपुर-दुर्ग-रायपुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

आजाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (विलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी-रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

इयुन्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया-उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला-जबलपुर दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री, शिवदयाल (जिला बांदा व जिला फ़तहपुर)

ए

एबनज़िर, डा० एस० एल० (विकाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० मदराई—रक्षित-अनुसूचित-जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर-उत्तर-रक्षित-अनसूचित-जातियां)

कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गौड)

कमल सिंह, श्री (शाहाबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमारकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर-चूरू)

कास्लीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा-झालावाड़)

कांबले, श्री देवरोआ नामदेवरोआ (नान्देड़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कचि रॉयर, श्री एम० डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर-उत्तर-व ज़िला फ़ैजाबाद दक्षिण पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री बिल्लिपुतूर)

काले, श्रीमती अनसुय्याबाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच-पूर्व)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रताप गढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई-दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (जिला मथुरा-पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवगंगार, श्री एन० (बंगलौर उत्तर)

केसकर, डा० बी० बी० (ज़िला सुल्तानपुर-दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बाकुंडा)

कौशिक, श्री पन्नालाल आर० (टोंक)

ख

खडकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)

खुदाबख्स, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना-अकोला)

खोंडामन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपतिराम, श्री (ज़िला जौनपुर-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

ग-जारी

गांधी, श्री मानिकलाल मगन लाल (पंच महल व बड़ोदा पूर्व)

गांधी, श्री फिरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़-पश्चिम व ज़िला राय बरेली-पूर्व)

गांधी, श्री बी० बी० (बम्बई नगर-उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहरी विष्णु (पूना मध्य)

गाम, श्री मल्लूडोरा (विशाखापटनम्-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरधारी, मोझ, श्री (कालाहांडी-बोलनगिर-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

गिरी, श्री बी० बी० (पथपठनम्)

गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी-पूर्व)

गुरुवाद स्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

गुलाम, क़ादिर श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)

गोपीराम, श्री (मंडी-महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)

गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर दक्षिण)

गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित-आसाम जन जाति क्षेत्र)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेंल (पैरिया-कुलम)

गौंडर, श्री के० पैरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर

चट्टोपाध्याय, श्री हरिन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)

चांडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा मध्य)

चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुबल्लूर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चाको, श्री पी० टी० (मीनाचल)

चाड़क, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

चावदा, श्री अकबर (बनासकोठा)

चिनारिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशी लिंग (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री बी० बी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गोहाटी)

चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)

चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहां-पुर-उत्तर व खीरी-पूर्व-रक्षित अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदीव कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री रामराज (संवाल परगना व हज़ारीबाग़)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

ज-जारी

जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई उपनगर)

जयसर्य, डा० एन० एम० (मेडक)

जसानी, श्री चतुर्भज वी० (भंडारा)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधो पुर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (देनकनाल-पश्चिम कटक-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर, (जाजपुर-क्योंझर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़रुख़ाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजीत प्रसाद (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व जिला मुज़फ्फरनगर-उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनोर-दक्षिण)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच-पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि दक्षिण)

जोशी श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

झ

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर उत्तर)

झा आज़ाद, श्री भागवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहबाद-पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्रीबैकुण्ठम)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी पिल्ले रामचन्द्र, श्री (बेलोर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार-रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री बेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर-उत्तर व ज़िला फ़रुखाबाद-दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर-झाड़ग्राम-रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेल्कीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर-उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर-पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फ़र-नगर-दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दारंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दामी, श्री फूलसिंह जी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांम उत्तर)

दास, श्री नयन तारा (मुर्गेर सदर व बसुई-रक्षित अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)

दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बी० (जाजपुर—क्योंझर)

दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री बेलीराम (बारपटा)

दास, श्री राम धनी (गया पूर्व – रक्षित-अनसूचित जातियां

दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)

दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल-पश्चिम कटक)

दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा-पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा-पूर्व)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर)

दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती-उत्तर)

देव, हिज़ हाइनस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)

देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)

देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)

दशमुख, श्री चितामणि द्वारका नाथ (कोलाबा)

देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)

द्विवदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी-दक्षिण)

धुसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती मध्य व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)

नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)

नरसिंहम, श्री सी० आर० (कृष्णगिरी)

नरसिंहम, श्री एस० बी० एल० (गुटूंर)

नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर) रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नानादास श्री, (आंगोल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

नामधारी, श्री आत्मा सिंह (फ़ाजिल्का—सिरसा)

नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंडी)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्कर)

नायर, श्री बी० पी० (चिरायांकिल)

नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)

नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर-उत्तर व खेरी-पूर्व)

नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)

नेहरु, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी-पश्चिम)

नेहरु, श्री जवाहर लाल (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा)

पन्त, श्री देवीदत्त (ज़िला अलमोड़ा-उत्तर पूर्व)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैजाबाद उत्तर पश्चिम रक्षित-अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वैकंटराव पीयूजी राव (दक्षिण सतार)

पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)

पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल-व ज़िला अलमोड़ा-दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली उत्तर)

पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)

पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाड़े (अहमदा-बाद-उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)

पारिख, श्री रसिक लाल यू० (जालावाड़)

पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेहसाना पूर्व)

पजारी

पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (एलप्पी)

पोकर साहब, जनाब बी० (मलघुरम)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां)

प्रसाद, श्री हरिशंकर (जिला गोरखपुर-उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डीलाल (झज्जर रिवाड़ी)

बदन सिंह, चौधरी (जिला बदायुं-पश्चिम)

बनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)

बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)

बहादुर सिंह, श्री फ़िरोज़पुर-लुधियाना-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया-पूर्व)

बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन, श्री एस० सी० (इरोड-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राहमण्यम, श्री एस० (मदुराई)

बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंद-शहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर पूर्व)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)

बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)

बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर-उत्तर लखीमपुर)

बुकआ, श्री देवकान्त (नोगांव)

बुवराधसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)

बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर दक्षिण)

बोस, श्री पी० सी० (मानभूम-उत्तर)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)

बह्यो-चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां रक्षित-अनुसूचित-जन-जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)

भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल-पूर्व व ज़िला मुरादाबाद-उत्तर-पूर्व)

भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)

भवनजी ए० खोमजी, श्री (कच्छ-पश्चिम)

भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालोर)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)

भार्गव, पण्डित ठाकुरदास (गैड़गांव)

भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (थदत माल)

भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)

भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

भ–जारी

भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्ण-राव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बाकुंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन तारन)

मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरूचिरपल्ली)

मल्लय्या, श्री श्रीनिवास य० (दक्षिणी कनाड़ा-उत्तर)

मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)

मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद-पूर्व व जिला जौनपुर पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)

महता, श्री अनूपलाल (भागलपुर व पूर्निया)

महता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

हता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)

महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)

महाता, श्री मजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़-रक्षित्-अनसूचित जन-जातियां)

महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिणव धालभम-रक्षित-अनुसूचित जन-जातियां)

मातन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर-दक्षिण)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना-दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा-पूर्व व ज़िला बस्ती-पश्चिम)

मालवीय, श्री मीतीलाल (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सूरज प्रसाद (ज़िला देवरिया-दक्षिण)

मिश्र, श्री पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विज्नश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर-रक्षित- अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूष्णन्, श्री एम० (वैल्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिककुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया-पूर्व)

म–जारी

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर-झंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूर)

मैनन, श्री के० ए० दामोद (कोज़िकौडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैत्थू, प्रो० सी० जी० (कोटय्यम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शौलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कीटा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा-उत्तरपूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्ला खां (सिहौर)

रणजोत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडौल-सिद्धि-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़जुर (ज़िला मुरादबाद-मध्य)

राउत, श्री मौला (सारन व चम्पारन-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रधवय्या, श्री पिशुपति वैंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर-रक्षित- अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शौलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हजारीबाग)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)

रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)

रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)

राम दास, श्री (होशियारपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद-पश्चिम)

राम सुगत सिंह, डा० (शाहबाद-दक्षिण)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)

रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली-पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण पूर्व–रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राय, श्री पतिराम (बड़ी रहाट-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राय, श्री विश्व नाथ (ज़िला देवरिया-पश्चिम)

राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)

राव, श्री कोड़ सुब्बा (एलुरु-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)

राव, दीवान रायवेन्द्र (उस्मीनाबाद)

राव, श्री पेडयाल राघव (वरंगल)

राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)

राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा-दक्षिण)

राव, श्री केनेट्टी मोहन (राजामंड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)

राव, डा० बी० रामा (काकिनाडा)

राव, श्री टी० बी० बिट्टल (खम्मभ)

राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)

रिचर्डसन, बिशप जान (नाम निर्देशित-अण्डमान निकोबार-द्वीप)

रिशांग किशिंग, श्री (बाहय मणिपुर-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

रूप नारायण श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री बाई० ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)

रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीम नगर)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फैजाबाद-उत्तर पश्चिम)

लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)

लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बरनी-मध्यपूव व ज़िला गोरखपुर-पश्चिम)

लालसिंह, सरदार (फिरोज़पुर-लुधियाना)

लाम्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां-रक्षित-अनुसूचित-जातियाँ)

लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा-पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर-रक्षित अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)

वर्मा, श्री बलाकी राम (ज़िला हरदोई-उत्तर पश्चित व ज़िला फरुखाबाद-पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर-दक्षिण-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन उत्तर)

वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया-पूर्व)

वल्लातराम, श्री के० एम० (पुडुकोटे)

वाधमारे, श्री नारायण राव (परमणी)

विजय लक्ष्मी, पंडि,त श्रीमती (ज़िला लखनऊ-मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)

विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस-पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

वैकंटारमन, श्री आर० (तजोर)

वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास मूघरदास (अहमदाबाद-रक्षित अनुसूचित जातियां)

वैष्ण, श्री हनुमन्त राव गणेशराव (अम्बड़)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पाडन्, श्री एम० (शंकरनाचिनार कोविल)

शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा-पश्चिम)

शर्मा, श्री राधाचरण मुरैना-भिंड)

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द (ज़िला मेरट-दक्षिण)

श—जारी

शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा-पूर्व)

शास्त्री, पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़-पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)

शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)

शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)

शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)

शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमती (ज़िला गढ़वाल-पश्चिम व ज़िला बिजनौर- उत्तर)

शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ-उत्तर पूर्व)

शाह, श्री चिमनलाल चाकू भाई (गोहित जाड़-सौरठ)

शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)

शिवा, डा० एम० बी० गंगाधर (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़-फुलवनी-रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

सखोर, श्री टी० सी० (मंडारा -रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)

सत्यनाथन, श्री एन० (बर्णपुरी)

सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द, श्री (ज़िला बरेली-दक्षिण)

सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ्फरपुर मध्य)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलूक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा रक्षित अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गीज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)

सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला गाज़ीपुर पश्चिम)

सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)

सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)

सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्व)

सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस पूर्व)

सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा-रायगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सिंह, जुवेद, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगजा-रायगढ़)

सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर-दक्षिण)

सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हासन-चिकमगालूर)

सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)

सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रताप)मुज़फ्फरपुर पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारी बाग पूर्व)

सिन्हा, श्री एस० (पाटली पुत्र)

सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व)

सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची)

सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)

स–जारी

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)

सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)

सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर-पूर्व)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया–पश्चिम)

सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुज़फ्फरपुर उत्तर-पश्चिम)

सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)

सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व ज़िला मुजफ़्फ़रनगर उत्तर–रक्षित अनुसूचित जातियां)

सुब्रहमण्यम, श्री कांडाला (विज़ियानगरम)

सुब्रहमण्यम्, श्री टेकूर (बैल्लारी)

सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)

सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड-रक्षित-अनूसुचित जातियां)

सैन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)

सैन, श्रीं फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)

सैन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर दक्षिण)

सेबल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमौर)

सैय्यद अहमद, श्री (होशंगाबाद)

सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)

सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)

सोमना, श्री एन० (कुर्ग)

सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)

सोरेन, श्री पाल जुझार पूर्णिया व सन्थाल परगना-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)

स्वामीनाधन, श्रीमती अम्मू (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा)

हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)

हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग-रक्षित-अनुसूचित जन जातियां

हेम राज, श्री (कांगड़ा)

हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा-उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री अनन्त शयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन

श्री हरि विनायक पाटसकर

श्री ऐन० सी० चटर्जी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कौल बैरिस्टर-एट-ला

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन

श्री एस० एल० शकधर

श्री एन० सी० नन्दी

श्री डी० एन० मजूमदार

श्री सी० वी० नारयण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री असीम कृष्ण दत्त

श्री गोविंदराव धर्मजी वर्तक

प्रो० सी० पी० मैथ्यु

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री—मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद

संचरण मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर

रक्षा मंत्री—श्री ऐन० गोपालस्वामी अय्यंगार

वित्त मंत्री—श्री सी० डी० देशमुख

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री—श्री के० एन० काटजू

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री रफी अहमद किदवई

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० बिश्वास

रेल तथा यातायात मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

श्रम मंत्री—श्री वी० वी० गिरि

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रीगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिन्हा

पुनर्वास मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

वित्त राज्य-मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना तथा प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

उप-मंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री—श्री एस० एन० बुरागोहिन

लोक सभा

बुधवार २८ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२३ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

आन्ध्र राज्य के सम्बन्ध में स्वामी सीता राम का अनशन

अध्यक्ष महोदय: मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना प्राप्त हुई है जिस का विषय आंध्रराज्य की मांग के बारे में स्वामी सीता राम का अनशन है। इस में दो बातें हैं- एक तो अनशन और दूसरी आन्ध्र प्रान्त का बनाया जाना। यदि हम आन्ध्र प्रान्त बनाने के महत्व को पहले लें तो हम देखेंगे कि इसे कोई मना नहीं कर सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। परन्तु इस में अविलम्बनीयता का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इस विषय में सदन में कई बार वक्तव्य दिये जा चुके हैं और आगे भी इस बारे में चर्चा का अवसर मिलेगा। रहा अनशन का प्रश्न तो मेरे विचार से एक व्यक्ति का अनशन इतनी अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है कि उस पर सदन में चर्चा की जाये। अतः मैं इस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे सकता।

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री वी० जी० देशपांडे की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय: इस सदन के तथा इस के सदस्यों के विशेषाधिकार के मामले का जहां तक सम्बन्ध है, जिसे कल श्री चटर्जी ने उठाया था, मैं ने इसे जैसा सदन को ज्ञात है विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है। कल उस के बाद मुझे ४-४५ म० प० पर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट से एक पत्र मिला जिस पर "गोपनीय" लिखा हुआ था। पत्र इस प्रकार है:

"जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय,
दिल्ली।
२७ मई, १९५२

अध्यक्ष महोदय,

मुझे आप को यह सूचित करना है कि सन् १९५० के संशोधित निवारक निरोध अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुझे इस बात का आदेश देना पड़ा है कि श्री वी० जी० देशपांडे, संसद् सदस्य को निरुद्ध किया जाये। अतः आज प्रातः श्री वी० जी० देशपांडे को हिरासत में ले लिया गया और अब वह दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जेल में हैं। गत तीन दिनों से दिल्ली की साम्प्रदायिक स्थिति में एक प्रस्तावित अन्तर्साम्प्रदायिक विवाह के सिलसिले में बहुत खिंचाव उत्पन्न हो गया है।

(अध्यक्ष महोदय)

अन्य लोगों के साथ श्री वी० जी० देशपांडे ने भी सभाओं और प्रदर्शन आदि को संगठित करने में बहुत बड़ा भाग लिया था जिसके परिणामस्वरूप २६ मई को शान्ति भंग हो गई थी। सभाओं और प्रदर्शनों को बराबर संगठित करते रहने में उनका जो व्यवहार था उस से शान्ति के और अधिक भंग होने का ख़तरा था, इसलिये सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिये उन्हें निरुद्ध किया जाना आवश्यक समझा गया है।

भवदीय—रामेश्वर दयाल"

इस पत्र पर बहस नहीं हो सकती परन्तु मैं इसे वशेषाधिकार समिति के पास भेज रहा हूं, जो अन्य बातों के साथ इस पर भी विचार करेगी। यह पत्र सांयकाल ४-४५ पर सीधा मेरे घर पर आया था। इस पर २७ तारीख़ लिखी है और श्री देशपांडे को हिरासत में लिए जाने के बाद ही इसे वहां से भेजा गया है।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): क्या आप श्री देशपांडे को संसद् की बैठकों में आने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उक्त समिति रिपोर्ट की प्रतीक्षा करूंगा। समिति अपना काम जल्दी ही समाप्त कर देगी।

जांच कमीशन विधेयक

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (श्री काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि जांच कमीशनों की नियुक्ति और इन कमीशनों को कुछेक अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय तटकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : पिछले दिन मैं कुछेक उद्योगों को दिये गये रक्षण के बारे में कह रहा था। मैं ने विशेषतः सागूदाना और मांडी उद्योगों की चर्चा की थी, जिन्हें सरकार की ओर से रक्षण मिल रहा है। सन् १९४९ में सागूदाने का उचित विक्रय मूल्य ३४ रुपये प्रति हंडरवेट था। वर्ष १९५० में यह ४१ रुपये था और अब ६१ रुपये है। समझ में नहीं आता कि लागत मूल्य इतना क्यों बढ़ रहा है। कभी कभी यह भी संदेह होता है कि रक्षण से उद्योग को अकुशलता और अपव्ययता का प्रोत्साहन मिला है। युद्ध काल में १०० फैक्टरियां थीं और सन् १९४९ में केवल ४० रह गईं। सन् १९५० में संख्या घटकर २० हो गई। सुरक्षण के होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है, यह बात समझ में नहीं आती है।

माननीय मंत्री के अनुसार जिन उद्योगों को इस विधेयक के ज़रिये रक्षण मिल रहा है उनमें उपभोक्ताओं की दृष्टि से साइकिल और एल्यूमिनियम ही उल्लेखनीय हैं। परन्तु मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि सागूदाना बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा के ग़रीब लोगों का खाना है। अतः हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि सागूदाने को रक्षण भी मिल रहा है और उसके साथ ही उसके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। तटकर आयोग ने हिसाब लगा कर १०३ - ४७ प्रतिशत रक्षण देना तय किया है जिससे कि इस देशी पदार्थ के विक्रय मूल्य को आयात किये गये पदार्थ के मूल्य के बराबर किया जाये। सरकार अब ३० प्रतिशत रक्षण देने का प्रस्ताव कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस से उद्योग को कैसे सहायता मिलेगी।

जहां तक रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का सम्बन्ध है, इसको रक्षण केवल दिसम्बर १९५२ तक ही प्राप्त है। यह एक कुटीर उद्योग है, अतः सरकार को इसे और अधिक समय तक रक्षण देना चाहिये।

इसके बाद, नक़ली रेशम और हमारे रेशम के कुटीर-उद्योग में बड़ी कड़ी स्पर्धा है। तटकर आयोग ने सिफ़ारिश की है कि नक़ली रेशम में सट्टेबाज़ी को वायदे के सौदे (नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियमित किया जाये या उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वायदे के सौदे (नियमन) विधेयक अभी पास नहीं हुआ है।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे खेद है, श्रीमान्। मेरे विचार से सरकार के पास सारभूत वस्तुएं (नियंत्रण तथा नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत भी नक़ली रेशम के मूल्य और वितरण को नियंत्रित करने का पर्याप्त अधिकार है। आयोग की दूसरी सिफ़ारिश रेशम के कीड़ों को अवाध रूप से आयात किये जाने के बारे में है। पता नहीं सरकार ने इसे कहां तक क्रियान्वित किया है। जब तक सरकार रेशम के कीड़ों की क़िस्म को नहीं सुधारेगी और लागत मूल्य में कमी करने के लिये प्रयत्न नहीं करेगी तब तक उद्योग फ़लेगा फ़ूलेगा नहीं। इस कुटीर-उद्योग को अधिक समय तक रक्षण मिलना चाहिये।

दूसरा उद्योग जिसे रक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है वह सान के पत्थर का उद्योग है। यहां रक्षण शुल्क १०५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत कर दिया गया है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि इस उद्योग का मुख्य कच्चा माल संश्लेषित रगड़ने वाले दाने हैं। सन् १९४८-४९ में पंजाब में इस की एक फ़ैक्टरी थी। अब पता नहीं कि सरकार ने इन्हें बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है। इन रगड़ने वाले दानों को बनाने के लिये भारत में समस्त कच्चे माल उपलब्ध हैं।

अब मैं ज़िप उद्योग को लेता हूं। एक प्रकार से यह तो एक कच्चा माल है जो थैलों, जर्सियों आदि वस्तुओं के बनाने में काम में आता है। तटकर आयोग ने सिफ़ारिश की है कि इस उद्योग के माल की अलीपुर परीक्षणालय (टेस्ट हाउस) में जांच होनी चाहिये और भारतीय प्रमाप संस्था द्वारा एक प्रमाप निर्धारित किया जाना चाहिये। मुझे पता नहीं कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है।

ज़िप बनाने के लिये मुख्य कच्चा माल पीतल की पट्टियां हैं जिन्हें बाहर से मंगाया जाता है। पीतल की पट्टियों के केवल ३५ प्रतिशत भाग की खपत होती है, शेष ६५ प्रतिशत छीलन में निकल जाता है। आयोग ने ६५ प्रतिशत छीलन को निर्यात करके इसके बराबर पीतल की पट्टियां मंगाये जाने की सिफ़ारिश की है। पीतल की पट्टियां यहां भी बनाई जाती हैं, परन्तु उस प्रकार की नहीं जैसी कि उद्योग को चाहियें। सरकार को इस विषय में भी आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि ज़िप उद्योग को रक्षण देते समय इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये कि उन उद्योगों पर, जो ज़िपों का कच्चे माल के रूप में उपभोग करते हैं, इस रक्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। यह इसलिए है क्योंकि यह वस्तुयें विदेशों में भी भेजी जाती हैं।

[श्री ए० सी० गुहा]

साइकिल उद्योग का जहां तक प्रश्न है, सब से पहले इसे जब रक्षण दिया गया था तो यहां केवल दो फैक्टरियां थीं; अब बहुत सी हो गई हैं । साइकिल उद्योग ने काफ़ी उन्नति की है और अब वहां पहले से बहुत अच्छी साइकिलें बन रही हैं । मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि साइकिल के पुर्ज़े बनाने वाले कुटीर उद्योगों को भी रक्षण दिया जायेगा या नहीं। यह उद्योग रक्षण चाहते हैं और उन्हें दिया जाना चाहिये ।

एक बात और है । इन में से बहुत से उद्योगों में वास्तविक उत्पादन उससे कहीं कम होता है जितनी की उनकी सामर्थ्य बताई जाती है। सान के पत्थरों के बारे में सामर्थ्य ३५० टन बताई जाती है। परन्तु उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष घट ही रहा है। यहां तक कि सन् १९५१ में यह १६२ टन रह गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि रक्षण देने के बावजूद भी उत्पादन में इतनी कमी क्यों है। मुझे यह भी नहीं ज्ञात है कि इस उद्योग में सब प्रकार के सान के पत्थर बनाये जाते हैं या नहीं । पता चला है कि अब और अच्छे सान के पत्थर बनाने के लिये एक विशेष प्रकार का भट्टा तैयार किया जा रहा है जिससे लागत मूल्य में भी कमी हो सकेगी। मैं समझता हूं कि अच्छे पत्थरों के तैयार करने में तथा लागत मूल्य में कमी करने में जितनी अड़चनें होंगी सरकार उन सबों को दूर करने का प्रयत्न करेगी ।

कुछेक उद्योग ऐसे भी हैं जिन में केवल एक सार्थ द्वारा ही माल बनाया जा रहा है जैसे सान के पत्थर और ज़िप उद्योग । ऐसे उद्योगों को रक्षण देख भाल कर दिया जाना चाहिये क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क इस प्रकार के उद्योगों में अक्षमता तथ भ्रष्टता आ जाती है । प्रबन्ध संचालक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) या प्रबन्धक अभिकर्ता (मैनेजिंग एजेन्ट) के वेतन आदि पर भी समुचित नियंत्रण होना चाहिये। सरकार को चाहिये कि रक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखे कि सम्बन्धित उद्योगों में आत्म-संतोष की झूठी भावना या बेकार पैसा फ़ेंकने की आदत न आ जाये । किसी भी उद्योग को रक्षण देते समय उपभोक्ता के हित को सब से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिये । रक्षण तो इसलिये दिया जाता है कि किसी उद्योग को अपने प्रारंभिक काल में कुछ सहायता दे दी जाये जिससे कि आगे चल कर वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमेशा तो किसी उद्योग को रक्षण दिया नहीं जा सकता ।

अतः मेरी माननीय मंत्री से इसी बात को देखने की प्रार्थना है कि इस प्रकार के उद्योगों को रक्षण देने के फलस्वरूप उन की कार्यक्षमता में कोई कमी न होने पाये और न ही धन का कोई अपव्यय हो। जब तक रक्षण मिलता रहे तब तक मैनेजिंग डाइरेक्टर या मैनेजिंग एजेन्टों के वेतनों आदि पर भी समुचित निगरानी रखी जानी चाहिये।

श्री नेवाटिया (जिला शाहजहांपुर—उत्तर खेरी—पूर्व): मैं केवल वर्णसंकर धातु, औजार तथा विशेष इस्पात उद्योग पर ही बोलूंगा । चूंकि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, अतः मैं इस के पक्ष में हूं कि इस उद्योग के बारे में रक्षण शुल्क लगाये जायें । हम चाहते हैं कि इसे एक सुदृढ़ एवं स्थायी आधार पर स्थापित किया जाये । तटकर पर्षद की रिपोर्ट से पता चलता है कि टाटा कम्पनी ने उसे यह बतलाया है कि वर्णसंकर धातु व औज़ारों का इस्पात बनाने वाले उन के वर्तमान महायन्त्र से देश की मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है । उस ने यह भी कहा है कि सम्भवतः दो या तीन वर्ष बा

उसे वर्णसंकर धातु, औज़ार व विशेष इस्पात के कुछ प्रकारों के उत्पादन में कमी करनी पड़े। कारण यह है कि वह अब नरम इस्पात अधिक मात्रा में बनायेंगे, जिस के कारण वर्णसंकर धातु, औजार व विशेष इस्पातों के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। अतः उस ने सुझाव दिया है कि मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स जैसी अन्य फर्मों को जिन के पास बिजली की भट्टियां हैं और जो विशेष इस्पात बनाने में रुचि रखती हैं प्रोत्साहन दिया जाये। बम्बई, कलकत्ता, कानपुर आदि बड़े बड़े शहरों में बिजली की भट्टियां हैं। यह फ़ैक्टरियां विशेष इस्पात बना रहीं हैं और उन में अधिक उत्पादन करने की क्षमता है। परन्तु उन के पास सहायक उपकरणों की कमी है। तटकर पर्षद् ने सुझाव दिया है कि इन फ़ैक्टरियों को सहायक उपकरण दे कर इन की कुल क्षमता के बराबर उत्पादन किया जा सकता है। उस ने सिफ़ारिश की है कि सरकार को इस विषय में एक दीर्घकालीन योजना बनाने के प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। यदि केवल रक्षण देने से इस उद्योग को स्थायी रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता तो हमें अन्य साधनों का प्रयोग करना चाहिये, जैसा तटकर पर्षद् ने कहा है, और अधिक बिजली की भट्टियां जो काफ़ी संख्या में इन विशेष इस्पातों के बनाने में समर्थ हैं, स्थापित की जानी चाहियें।

पंच वर्षीय योजना में छोटे उद्योगों के विकास पर काफ़ी जोर दिया गया है और यह कहा गया है कि यातायात सम्बन्धी भारी खर्चे से बचने के लिये तथा देश में समान रूप से आर्थिक विकास करने के लिये छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना नितान्त आवश्यक है। केवल बड़े उद्योगों को ही आर्थिक सहायता देना उचित नहीं है। वस्तुओं के लागत मूल्य में तो तब ही कमी होगी जब कि छोटे उद्योगों का भी साथ साथ विकास हो। विशेष इस्पात उद्योग विभिन्न प्रकार के मोटर तथा अन्य उद्योगों के लिये, जहां विशेष इस्पातों की आवश्यकता होती है एक प्रकार से सहायक उद्योग का काम कर सकता है।

अतः इस सम्बन्ध में मैं माननीय उद्योग मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात को देखें कि इन बिजली की भट्टियों की ओर उचित ध्यान दिया जाये और उन में नर्म इस्पात न बनाया जा कर, वही इस्पात बनाया जाये जिस के लिये यह स्थापित की गई हैं।

यह फ़ैक्टरियां लड़ाई के समय नरम इस्पात बनाने के लिये स्थापित की गई थीं परन्तु अब इन से यही माल बनवाये जाना अनार्थिक है। इन को आर्थिक सहायता दिये जाने के बावजूद भी नरम इस्पात का मूल्य आयात किये गये इस्पात से ५० प्रति शत अधिक है। इसलिये इन भट्टियों से वही इस्पात बनवाया जाना चाहिये जो कि अन्य देशों में बनता है। मेरा यह सुझाव है कि इन फ़ैक्टरियों में विशेष इस्पात ही बनना चाहिये क्योंकि यह इस्पात बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अब इस के बाहर से मिलने में भी कठिनाइयां आ गई हैं। इसलिये हमें चाहिये कि इन बिजली की भट्टियों वाली फ़ैक्टरियों को आवश्यक आर्थिक एवं प्रविधिक (टेकनिकल) सहायता दे कर इस उद्योग को यथासम्भव प्रोत्साहन दें।

श्री अलगेशन (चिंगलपट) : मुझे प्रसन्नता है कि वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के नये मंत्री महोदय एक विधेयक लाये हैं जिस में लिंक इंडस्ट्रीज को, जहां जिप बनाये जाते हैं, पहली बार रक्षण दिये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। यह उद्योग मेरे नग

[श्री अलगेशन]

भ ही स्थित है, इसलिये मुझे इस में काफ़ी रुचि है। देश में जिप का यही एकमात्र कारखाना है। जिपों की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है; इसलिये इस उद्योग की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक ही है।

१० म० पू०

तटकर पर्षद् ने अनुमान लगाया है कि अगले तीन वर्षों में देश **में लगभग १.२** लाख फुट जिप की मांगहोगी। मेरे विचार से यह अनुमान कम है। कहा जाता है कि इस उद्योग का उत्पादन बहुत कम रहा है। इसका कारण यह है कि जिप के बनाने में जो पीतल की पट्टियां काम में आती हैं उन के बाहर से मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसी वजह से उद्योग अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पाता। पीतल की पट्टियां आयात करने में कठिनाई यह है कि कुल माल जो बाहर से मंगाया जाता है उस की मात्रा बहुत कम होती है; इसलिये सरकार द्वारा ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि यदि वह अन्य उद्योगों की मांगों को मिला कर कुल माल मंगाये तो अधिक अच्छा होगा। कच्चा माल समुचित मात्रा में उपलब्ध होने पर ही इस उद्योग में उत्पादन पूरी क्षमता के अनुसार हो सकेगा।

अब, आयात की जाने वाली पीतल की पट्टियों पर ३१ १.२ प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लगाया जाता है। उद्योग ने इस को हटा देने के लिये कहा है और तटकर पर्षद् ने भी सरकार से सिफारिश की है कि इस में कम से कम कुछ कमी कर दी जाये। यदि रक्षण देने के साथ साथ आयात शुल्क में भी कुछ कमी कर दी जाये तो **उद्योग** को बड़ी सहायता मिलेगी।

कहा गया है कि इस बात की आशंका है कि रक्षण दिये जाने से कहीं उद्योग अपनी कार्यकुशलता और क्षमता में ढील न डाल दे मेरा निवेदन है कि तटकर पर्षद् ने उद्योग पर कुछ पाबन्दियां लगाई हैं। इसके अनुसार उद्योग को प्रति वर्ष अपने उत्पादन, स्टाक, लागत मूल्य, स्थानीय जिप के मूल्य, आयात किये गये जिपों के मूल्य, कार्यकुशलता आदि के बारे में पर्षद् को रिपोर्ट देना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इस चीज़ से उद्योग में कोई शिथिलता नहीं आने पायेगी। मुझे आशा है कि इस रक्षण से उद्योग को बहुत सहायता मिलेगी।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित–अनुसूचित जातियां) : चूंकि इस विधेयक में कोई विवादग्रस्त बात नहीं है, अतः मैं इस के बारे में केवल थोड़ा सा ही बोलूंगा।

जहां तक तटकर का सम्बन्ध है, इस का इतिहास बहुत दुखद है। भारत में तटकर सन् १९३४ में लागू किया गया था। जैसा हम सब जानते हैं, इस में भारतीय निर्माताओं तथा उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में न रख कर, केवल ब्रिटिश और अमरीकन उद्योगपतियों के लाभ को ही दृष्टि में रखा गया था। कुछ समय के बाद ही जब भारत में इस के विरुद्ध आन्दोलन किया गया तब जाकर कुछ उद्योगों को रक्षण दिया गया। अब हमारे सामने यह विधेयक है जिसमें चार या पांच उद्योगों पर तटकर लागू करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दक्षिण भारत के उद्योगों के साथ भारत सरकार का हमेशा से सौतेला व्यवहार रहा है वहां पर उद्योगों का बहुत धीरे धीरे विकास हुआ है। हमें प्रसन्नता है कि **अब जो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री आये हैं उन्हें दक्षिण भारत के उद्योगों के बारे में पूरी पुरी जानकारी है मुझे विश्वास है कि उन**

के आधीन, यह उद्योग, जिन्हें रक्षण दिया जा रहा है काफ़ी उन्नति कर सकेंगे ।

भारतीय उद्योगपति रक्षण दिये जाने का अनुचित लाभ उठाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं । हम बहुधा यह शिकायत सुनते हैं कि इस देश की चीजें बड़ी घटिया किस्म की होती हैं । इस का एक कारण यह भी है कि हम ने रक्षण उन्हीं उद्योगपतियों को दिया है जो सरकार के पास केवल कुछ प्रस्ताव ले कर चले आये थे परन्तु जिन्होंने अपने यहां उत्पादित माल की किस्म के बारे में कोई विशेष निगरानी रखने की व्यवस्था नहीं की है । भारत सरकार ने एक प्रमाप संस्था (स्टैन्डर्डस इंस्टीट्यूशन) स्थापित कर रखी है परन्तु इस से कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा है । यहां तो सरकार केवल रक्षण दे देती है, अन्य बातों को देखने का कष्ट नहीं करती है । परिणाम यह होता है कि हमारी चीजों की क़िस्म गिरती जाती है जिससे हमारे माल की बाहर देशों में बदनामी होती है । मैं किसी उद्योग विशेष को निर्दिष्ट नहीं कर रहा हूं । यह तो एक सामान्य बात है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये

यह कहा गया है कि बम्बई में एक औद्योगिक निगम की स्थापना की गई है । मुझे विश्वास है कि यह निगम दक्षिण भारत के उद्योगों की ओर समुचित ध्यान देगा और मूल्यानुसार शुल्क लगा कर जिस उद्योग को जो सहायता दी जा रही है, इस से वह भी काफ़ी उन्नति कर सकेगा ।

मैं कुछ शब्द मांड़ी उद्योग के बारे में कहूंगा । इस उद्योग को हम पहली बार रक्षण नहीं दे रहे हैं । युद्ध काल में हमारे यहां १२० से अधिक मांडी उद्योग थे । सन् १९४६ में यह ४४ रह गये और अब शायद एक दर्जन से अधिक नहीं हैं । हम ने इस उद्योग को पर्याप्त रक्षण नहीं दिया है । मेरा निवेदन है कि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि इस में कुछ स्थानीय कच्चे माल की विशेषतः टेपियोका की, जो त्रावनकोर-कोचीन में प्रचुर मात्रा में होता है, खपत होती है । हाल ही में टेपियोका की कीमतें बहुत गिर गई हैं । मुझे प्रसन्नता है कि तटकर में की गई इस वृद्धि से टेपियोका उगाने वालों को कुछ अधिक मूल्य मिल सकेगा । यदि त्रावनकोर-कोचीन और मालाबार जिलों से टेपियोका बड़ी मात्रा में बाहर भेजा जाने लगेगा तो यह उद्योग भली प्रकार उन्नति कर सकेगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे

अब मैं साइकिल उद्योग पर कुछ शब्द कहूंगा । भारत के इस उद्योग की बहुत बदनामी है । भारत में इस उद्योग को बिड़ला कम्पनी ने आरम्भ किया था । हमारे पास यही शिकायत आती है कि भारतीय साइकिलें अच्छी नहीं होती हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षण केवल बिड़ला उद्योग को रक्षित करने के लिये दिया गया है, अच्छी साइकिलें बनाने के लिये नहीं । हमें यह देखना चाहिये कि उद्योगों को प्रोत्साहन केवल पैसा बनाने के लिये नहीं वरन् देश को सामाजिक सेवायें उपलब्ध कराने के लिये दिया जाना चाहिये । हम देश भक्ति की भावना द्वारा ही भारत को एक उत्तम औद्योगिक देश बना सकते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को यह देखना चाहिये कि देश में जो साइकिलें बनें वह अच्छी हों जिससे कि वह विदेशी माल से स्पर्धा कर सकें ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): तटकर सुधार सम्बन्धी इस मामले को प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं ।

(डा० लंका सुन्दरम्)

श्रीमान, मैं इस विधेयक के बारे में केवल तीन चार बातों की ही चर्चा करूंगा। इस विधेयक का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आठ बड़े प्रश्नों पर तटकर विषयक कार्यवाही की जाने वाली है। इसके अतिरिक्त कई सम्बन्धित मामलों पर भी पारिणामिक कार्यवाही होगी। सब से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी यह देखने की चिन्ता की है कि उस की कोई निश्चयात्मक औद्योगिक नीति है? मांड़ी उद्योग को ही लीजिये। इस के बारे में शिकायतें हैं कि इस देश में जो मांड़ी बनाई जारही है वह बहुत ही घटिया प्रकार की है और कपड़े की मिलें इसे लेने से इन्कार करती हैं और बाहर से मांडी मंगाती हैं। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय में क्या कार्यवाही की है कि देश में जो मांड़ी बनती है उस की किस्म अच्छी हो जिससे कि माल के खरीदार विदेशों से आयात न करें और अपने देश के उद्योग को ही आगे बढ़ावें।

मैंने सान के पत्थर के उद्योग के बारे में तटकर पर्षद् की सिफ़ारिशें देखी हैं। एक समय ऐसा सुझाव था कि इस उद्योग को ८० प्रतिशत का रक्षण दिया जाये, जिसका अर्थ एक प्रकार से सारे आयात को समाप्त कर देना था। औद्योगिक और वाणिज्यिक मामलों में अभिरुचि रखने के नाते, मैं उन सब बातों का स्वागत करता हूं जिस से देश की औद्योगिक स्थिति स्थायी एवं दृढ़ हो सके। मेरा केवल यही निवेदन है कि उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

जिस उद्योग के बारे में पहले हा काफ़ी कहा जा चुका है। तटकर पर्षद् ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयात पर प्रतिबन्ध लगाना केवश राजकोष नीति का ही नहीं वरन् औद्योगिक नीति का भी भाग होना चाहिये जिससे देशी उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें और उचित मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। मेरे विचार से हमें इस देश में ऐसे उद्योगों पर, जो इस सदन के समक्ष रक्षण के लिये आयें उन के व्यवहार के बारे में ज़ोर डालना चाहिये। ऐसे व्यवहार खंड के विना जनता की औद्योगीकरण के प्रति जो सद्भावना है, उसे हम खो बैठेंगे और एक दिन ऐसा आयेगा जब हमें यह मान होगा कि अब आगे किसी को कोई रक्षण न दिया जाये। मैं चाहता हूं कि भारत में उद्योगों का सर्वोत्मुखी विकास हो।

अब मैं उस प्रश्न को लेता हूं जिस के बारे में मुझे बहुत दुःख होता है। मैं साइकिल उद्योग को तथा उस सापेक्ष रक्षण को निर्दिष्ट कर रहा हूं जो कि इस उद्योग को दिया जा रहा है। मेरा अभिप्राय साम्राजीय अधिमान से है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी यह चीज़ क्यों चली आ रही है। जिन दरों की सिफ़ारिश की गई है वह यह हैं : ब्रिटिश साइकिलों के लिये ६५ प्रति शत और अन्य देशों की साइकिलों के लिये ७५ प्रति शत। इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर, तटकर सूची में कई ऐसी मदें हैं जिन से प्रगट होता है कि हम अभी तक ब्रिटेन के साथ बंधे हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम इन बन्धनों से मुक्त नहीं होंगे हम अपने राष्ट्रीय विदेशी व्यापार का विस्तार नहीं कर सकेंगे।

मेरा निवेदन है कि चूंकि तटकर पर्षद् को बहुत कार्य रहता है और उस के सदस्य कम हैं, अत इस के सदस्यों की संख्या और अधिक बढ़ाई जाये।

मैं यह भी चाहता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जिससे कि समस्त विचार धाराओं के प्रतिनि

इस विषय पर भली प्रकार से विचार कर सकें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस सुझाव को स्वीकार करेंगे।

श्री नटेशन (तिरुवल्लूर) : मैं केवल ज़िप उद्योग के बारे में ही बोलूंगा। मैं वाणिज्य मंत्रालय की टिप्पणियों का निर्देश करना चाहता हूं जिस में कहा गया है कि इस समय ज़िप केवल लिंक इंडस्ट्रीज मद्रास में ही बनाये जाते हैं। उस की वार्षिक क्षमता का अनुमान ९ लाख फुट लगाया जाता है परन्तु उसका वास्तविक उत्पादन कुल क्षमता का लगभग ७ प्रति शत ही रहा है। इस से यह ख्याल होता है कि यह कम्पनी अपनी कुल क्षमता के बराबर उत्पादन नहीं कर रही है। परन्तु मैं उन माननीय सदस्यों की इस भ्रांति को दूर कर देना चाहता हूं जो यह समझते हों कि इस कम्पनी में उत्पादन कम हो रहा है। मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार वर्ष १९५१ के प्रथम चतुर्थांश में एक पारी चलाने पर ४०,००० फुट का उत्पादन हुआ था। यह उत्पादन साधारणतः तीन पारियों का है, जो इस कम्पनी से एक पारी में किया है। अक्तूबर १९५१ में भी कम्पनी द्वारा एक पारी चलाने की वार्षिक क्षमता का ६० प्रतिशत माल उत्पादित किया था। परन्तु अप्रैल-मई १९५१ से अगस्त-सितम्बर १९५१ तक कच्चे माल के न मिलने के कारण फैक्टरी बन्द रखनी पड़ी। इस से प्रगट होता है कि कम्पनी अपनी कुल क्षमता का कम से कम ६० प्रतिशत उत्पादन तो कर ही सकती है। इसलिये मैं यह कहना चाहता था कि यह कहना ग़लत है कि कम्पनी अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रही है। कच्चे माल के न मिलने से जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं, उस में तो कम्पनी कुछ नहीं कर सकती। बिना कच्चे माल के फैक्टरी क्या माल बनाये? भारत सरकार से कहा गया था कि इस उद्योग के लिये पीतल के टुकड़ों को नहीं बल्कि पीतल को पतली पतली पट्टियों की आवश्यकता है। कम्पनी ने सुझाव दिया था कि पीतल को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आयात किया जा सकता है और बाहर से उसे फिर से ढलवा कर मंगाया जा सकता है। पता नहीं सरकार ने किस कारण इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। कच्चे माल के मिलने में बहुत अधिक देर होने से फैक्टरी में उत्पादन बन्द रहा।

दूसरी बात शुल्क दर की है। मैं देखता हूं कि सरकार द्वारा मूल्यानुसार ३१ १/४ प्रतिशत की शुल्क दर स्वीकार की जाने वाली है। मैं समझता हूं कि यह दर उचित नहीं है क्योंकि इस उद्योग में ब्रिटेन और जापान हमारे प्रतिस्पर्धी हैं। संसार के इस भाग में अपने किस्म की यही एक फ़ैक्टरी है अतः इसे पूरी सहायता मिलनी चाहिये। परन्तु चूंकि सरकार तटकर पर्षद् की सिफ़ारिश को मानने का विचार कर रही है मुझे यह मामला उसी पर छोड़ना होगा।

टिप्पणियों में कहा गया है कि अगले तीन वर्षों में देश की ज़िपों सम्बन्धी मांग लगभग ७.५ लाख फुट प्रति वर्ष होगी। मैं ने पता किया है कि अविभक्त भारत में लगभग ७ लाख फुट ज़िप आयात किया जाता था। अब विभाजन के बाद ऐसा अनुमान है कि केवल ४ १/२ लाख फुट की ही वार्षिक मांग होगी। मेरे विचार से यदि मद्रास उद्योग को कच्चे माल की व्यवस्था करा कर सहायता दी जायेगी, तो वह इस मांग को पूरा कर सकेगा। वास्तव में पिछले तीन वर्षों से वह उद्योग नुक़सान उठा रहा है और जब तक सरकार उस को कोई सहायता नहीं देगी, वह उद्योग उन्नति नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूं कि सरकार मद्रास के उद्योग द्वारा दिये

(श्री नटेशन)

गये सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मैं माननीय मंत्री से यह भी प्रार्थना करूंगा कि भारत सरकार द्वारा उद्योगों के उन प्रार्थना पत्रों पर भी शीघ्र कार्यवाही की जाये जो आयात लाइसेंसों के बारे में दिये गये हैं।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व) : जहां तक इस विधेयक के अधिकांश खंडों का सम्बन्ध है, उन में वर्तमान शुल्क दरों को ही जारी रखा गया है कुछ मामलों में राजस्व शुल्क को रक्षण शुल्क में बदला जा रहा है। इस विधेयक के क्षेत्र में जिस नये उद्योग को लाया गया है वह जिप उद्योग है। इस समय केवल मद्रास लिंक इंडस्टरी ही जिप बना रही है और अब एक नयी फैक्टरी बम्बई में खोलने का प्रस्ताव है। मद्रास फैक्टरी की कुल क्षमता लगभग ६ लाख फुट है और बम्बई फैक्टरी की १८ लाख फुट बताई जाती है। यदि यह दोनों फैक्टरियां पूरी क्षमता के साथ काम शरू कर दें तो यह २७ लाख फुट जिप बनायेंगी; परन्तु हमसे कहा गया है और तटकर पर्षद् के अनुसार भी हमारी मांग कुल ७ फुट है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो बम्बई में फैक्टरी खोली जा रही है, उसके माल का क्या होगा। या तो वह बन्द पढ़ी रहेगी या उसका माल बिना बिका रहे जायेगा। दोनों हालतों में उद्योग को हानि होगी, चाहे आप उसे रक्षण दें या न दें।

मुझे विश्वास है कि नये उद्योगों के स्थापित करने पर हमें नियंत्रण करने का अधिकार है। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब एक फैक्टरी काफी थी तो इस नई फैक्टरी को क्यों खोलने दिया गया। हम अपना माल बाहर भी नहीं भेज सकते क्योंकि हमारा लागत मूल्य अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। जब हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिये रक्षण दिया जाता है, तो हमें दूसरी बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। या तो हमें मांग बढ़ानी होगी या लागत मूल्य में कमी लानी होगी। मुझे इन में किसी फैक्टरी में कोई रूची नहीं है, परन्तु मैं सरकार से इस बारे में उसकी स्पष्ट नीति जानना चाहता हूं।

इस के बाद, में यह कहना चाहूंगा कि सरकार को यह देखना चाहिये कि देश में ऐसा माल नहीं आने दिया जाये जो हमारे यहां के माल से होड़ करे। हम जो रक्षण दें वह अनमने भाव से नहीं दिया जाना चाहिये। इस समय हमारे यहां आयात पर काफी नियंत्रण हैं और इस के स्थान पर हम वास्तविक रक्षण दे सकते हैं, चाहे रक्षण शुल्क हो या न हो। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सारे माल को नियंत्रित करने की सम्भाव्यता पर विचार करें जिस से कि न केवल विदेशी विनिमय ही बचाया जा सकेगा बल्कि हमारे उद्योगों को रक्षण भी मिल सकेगा।

मेरा निवेदन है कि रेशम कीट पोषण उद्योग की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये। जो कुछ रक्षण उसे दिया जा रहा है उस पर भी फिर से विचार होना चाहिये। यदि इस उद्योग को पूर्ण रूप से विकसित किया जाय तो न केवल स्थानीय मांग की पूर्ती ही की जा सकेगी बल्कि बाहर भी इसकी मांग हो सकेगी और हमें विदेशी विनिमय काफी मात्रा में प्राप्त हो सकेगा।

वर्तमान औजार तथा उपकरण उद्योग के विकास की भी आवश्यकता है। रक्षण देने के साथ साथ हमें अपने वैज्ञानिक संसाधनों का भी पूरा पूरा प्रयोग करना चाहिये और इनके द्वारा लागत मूल्य में कमी करने और इसके कच्चे माल के खोज निकालने

के प्रयत्न करने चाहिये । प्रत्येक उद्योग की विशेष समस्याओं को एक विशेषज्ञ समिति अथवा वैज्ञानिक पर्षद को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये जिस से कि वैज्ञानिक साधनों द्वारा उद्योग को अधिकाधिक सहायता मिल सके ।

साइकिल और मांड़ी उद्योग को भी रक्षण देकर सहायता की जानी चाहिये । अन्त में मैं यही कहूंगा कि सरकार को यह देखना चाहिये कि प्रत्येक उद्योग में जिसे रक्षण दिया जाये वैज्ञानिक संसाधनों तथा वैज्ञानिकों और उनके ज्ञान का पूरा पूरा उपयोग किया जाये जिस से कि लागत मूल्य में कमी हो और उद्योग की अन्य प्रकार से भी उन्नति हो । इससे, सरकार को विभिन्न अधिनियमों द्वारा जो शक्ति व अधिकार प्राप्त हैं, उसे उनका रक्षित उद्योगों के बारें में पूरा इस्तेमाल करना चाहिये ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : मेरा निवेदन है कि इस मामले पर केवल वाणिज्य मंत्री को ही नहीं वरन वित्त मंत्री को भी विचार करना चाहिये क्योंकि हाल ही के चुनावों के बाद हमें इस तटकर विधेयक पर विचार करने को कहा गया है इस में पिछले विधेयक पर जो एक भिन्न शासन में बनाया गया था कुछ संशोधन किये गये हैं सन १९३१ के ओटावा समझौते के अनुसार भारतीय उद्योग को अधिमान देने के बजाये हमने जापान के मुकाबले में ब्रिटिश माल को अधिमान देना स्वीकार किया था । जापान ने बदले में बायकाट नीति अपनाई जिससे हमारे यहां के कपास उगाने वालों को बहुत नुकसान हुआ । हमने ब्रिटिश माल को अधिमान देने का ही निश्चय किया । सन् १९३४ में यह अधिनियम आया । परन्तु अब समय बिल्कुल बदल गया है । हम कहते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय उद्योगों का विकास करना चाहते हैं । मैं पूछता हूं कि क्या हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं ? मैं आप को उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करुंगा ।

दियासलाई उद्योग को लीजिये । भारत में विशेषत : दक्षिण में दिया सलाई उद्योग स्वीडन देश वालों के हाथ में है हम इसे रक्षण देते हैं परन्तु इसका नतीजा क्या है ? भारतीय उद्योगपतियों ने दक्षिण में दियासलाई उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया था परन्तु विमको ने उनके पैर नहीं जमने दिये । स्वीडिश उद्योगपति हमारे पैसे को लूटे चले जारहे हैं हम अपने उद्योग को तटकर सम्बन्धी रक्षण देना चाहते हैं परन्तु ब्रिटिश पूंजी पात अपनी मशीनें लगा कर और सस्ते मजदूरों को रख कर हमारा मुकाबला करते हैं । यह स्थिति चलने नहीं देनी चाहिये । इस ओटावा समझौते को अब भी क्यों चलने दिया जाये ? इस विधेयक में भी ब्रिटिश माल तथा गैर ब्रिटिश माल में विभेद किया गया है । ऐसा क्यों किया जाये ? मैं यह नहीं चाहता कि विदेशी पूंजीपतियों को एक दम निकाल बाहर कर दिया जाये; मेरा तो कहना यह है कि इन को तटकर रक्षण द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाकार भारतीय माल से मुकाबला नहीं करने दिया जाना चाहिये । तटकर रक्षण उन वस्तुओं के लिये है जो बाहर से आती हैं । लेकिन उनके बारे में क्या होगा जिनकी फैक्टरियां बहुत समय से यहां स्थापित हैं और जिनका कच्चे माल पर एकस्व अधिकार है और जो इस स्थिति में रह कर भारतीय उद्योगों से होड़ करते हैं ? यह तो एक अनुचित सी बात है इस को ध्यान में रखते हुए हमें स्थिति का फिर से निरीक्षण करना चाहिये ।

विधेयक में वर्णित उद्योगों को जो रक्षण दिया गया है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं । परन्तु मुझे कुछेक अन्य उद्योगों की ओर भी ध्यान दिलाना है । मालाबार में मुख्यत: खोपरा और काली मिर्च का

[श्री नम्बियार]

उत्पादन होता है जिससे हमें काफी डालर आय होती है। अब उसकी दशा क्या है ? रक्षण हटा लेने से लंका का खोपरा बाजार में सस्ते दामों पर मिल रहा है और बिचारे मालाबार वाले नुकसान उठा रहे हैं। वहां स्थिति बड़ी संकटमय है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस चीज को विधेयक के क्षेत्र में क्यों नहीं लाया गया है।

साइकिल उद्योग का जहां तक सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि इसमें उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखा जाय। उसे नुकसान नहीं होना चाहिये। यदि उपभोक्ता को भारत में बनी साइकिल लेने को कहा जाये, जिसके केवल एक साल चलने की आशा हो और उसी दाम पर लेने को कहा जाये जो ब्रिटेन में बनी साइकिल, जिस के १० वर्ष चलने की आशा है, तो इस का अर्थ उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा कर पैसा इक्कठा करना होगा।

मैं रक्षण देने के विरोध में नहीं हूं। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि साथ साथ सरकार एक ऐसी व्यवस्था या मशीनरी कायम करे जो इस रक्षण के ऊपर कड़ी निगरानी रखे अर्थात यह देखे कि उस से फायदा उठाया जा रहा है या अपना मतलब गांठा जा रहा है ; इस मशीनरी में उत्पादकों, सरकार और मजदूरों के प्रतिनिधि होने चाहिये। मजदूर बता सकते हैं कि किन किन बातों से उत्पादन में उन्नति हो सकती है। यह नहीं समझना चाहिये कि मजदूर कुछ नहीं समझते या कि वह सिर्फ हुक्म मानने के लिये ही हैं। हमें मजदूरों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। मजदूर चाहता है कि उद्योगों का विकास हो जिससे कि उसका जीवन स्तर भी ऊंचा हो सके। मुझे विश्वास है कि माननीय वाणिज्य तथा वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़): सन् १९४९ में साइकिल उद्योग को रक्षण देते समय तटकर पर्षद् ने दो बातों को सोचा था ; एक तो यह कि साइकिल उद्योग अभी नया है और दूसरे यह कि यह एक ऐसा उद्योग है जिस में उत्पादन बहुत कम हो रहा है। हिन्द साइकिल्स के बारे में यह समझा जाता था कि वह सन् १९४९ में एक लाख साइकिलें तैयार करेगी, पर वह केवल ६०,००० साइकिलें तैयार कर रही थी। हिन्दुस्तान साइकिल फैक्टरी से ५०,००० साइकिलें प्रति वर्ष बनाने की आशा की जाती थी परन्तु उसने बनाई केवल ३०,०००। कलकत्ता साइकिल मैन्युफैकचरिंग कम्पनी का तो उत्पादन नहीं के बराबर था। हमारी वार्षिक मांग पांच लाख साइकिलें हैं। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसे उद्योग को, जिसमें उत्पादन हमेशा कम होता रहा हो, वास्तव में रक्षण मिलना चाहिये ? मैं यह नहीं कहता कि साइकिल उद्योग को रक्षण न दिया जाये मेरा तो माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से यह निवेदन है कि वह इस बात को देखें कि साइकिल जैसी आवश्यक चीज़ के उत्पादन में कमी न हो।

दूसरी बात यह है कि कुछ उद्योग-पतियों की ऐसी आदत है कि वह चाहे जब फैक्टरी बन्द कर देते हैं। किसी भी दिन वह फैक्टरी इस कारण बन्द कर देते हैं कि उन्हें लाभ नहीं हो रहा है। यह एक गलत चीज़ है। हजारों मजदूर एकदम बेकार हो जाते हैं। कुछ समय बाद यह उद्योगपति सरकार से कहते हैं कि "यदि आप हमारी फैक्टरी चलाना चाहते हैं तो हमारे उद्योग को रक्षण दीजिये"। ऐसा नहीं होना चाहिये। किसी उद्योग को उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार ही रक्षण मिलना चाहिये, न कि इस कारण कि उसका मालिक आकर सरकार से यह कहे कि मुझे रक्षण दो नहीं तो मैं फैक्टरी बन्द कर दूंगा और हजारों व्यक्तियों को बेकारी के गर्त में ढकेल दूंगा।

ऐसा नहीं होना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे क्योंकि यह चीज सारे उद्योगों पर लागू होती है।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग–पश्चिम) : मैं मानता हूं कि देश के औद्योगिक विकास के लिये कभी कभी रक्षण देना आवश्यक हो जाता है। परन्तु भारत सरकार के व्यवहार को देख कर मुझे सन्देह होने लगा है। सार्वजनिक आय को खर्च करते समय सरकार को उस धन का संरक्षक समझ कर व्यवहार करना चाहिये। परन्तु बहुत समय से मैं देख रहा हूं कि संरकार अपने को इस रुपये का मालिक समझती है और पैसे को पानी की तरह बहा रही है। नये पदों, नये विभागों और रक्षण देने के मामलों में सरकार बहुत असावधानी से काम करती है। इस तरह की चीज बन्द होनी चाहिये। हम जानते हैं कि चीनी उद्योग एक बहुत सम्पन्न उद्योग है परन्तु फिर भी इसे बहुत समय से रक्षण मिल रहा है। मेरा कहना है कि रक्षण अवश्य दिया जाना चाहिये, परन्तु बहुत थोड़े समय के लिये। रक्षित उद्योग के खर्चे और कार्य संचालन की निगरानी होनी चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि ऐसे उद्योगों को स्वयं राज्य क्यों न चलाये ; पूंजीपतियों को और पैसा क्यों दें ? बस मुझे इतना ही कहना है। चूंकि मेरे माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी अभी नये वाणिज्य मंत्री बने हैं इसलिये मैं उनसे यही कहूंगा कि वह सावधान हो कर काम करें और पूंजीपतियों के लिये पैसा न व्यय करें।

११ म० पू०

श्री गुरूपादस्वामी (मैसूर) : मैं केवल रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के बारे में बोलूंगा। मैं मैसूर का रहने वाला हूं और इस उद्योग से मेरा बहुत समय से सम्बन्ध रहा है। इस देश में ६५ प्रतिशत रेशम केवल मैसूर में बनाया जाता है जहां १,१५,००० एकड़ ज़मीन पर शहतूत की कृषि होती है और जहां रेशम का कुल उत्पादन लगभग २९० लाख पौंड है। युद्धकाल में और युद्ध के कुछ समय बाद तक इस उद्योग ने, ऊंची क़ीमतों और अधिक मांग के कारण बहुत उन्नति की। परन्तु अब युद्ध के बाद इस उद्योग को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और उसमें एक ऐसी मन्दी आ गई जिस से उसके बिल्कुल नष्ट हो जाने का खतरा है। रेशम की मांग में बहुत कमी होती जा रही है जिससे मैसूर तथा अन्य भागों में उद्योग को बहुत घाटा हो रहा है।

अपने रेशम उद्योग के कारण मैसूर एक बहुत प्रसिद्ध राज्य बन गया है और दूर दूर तक उसका नाम है। परन्तु आज यह उद्योग खत्म होने की हालत में है। बहुत सी मिल बन्द हो गई हैं। छन्नापट्टनम की मिल जो अपने किस्म की भारत में एक ही है, दो महीने से बन्द है जिससे लगभग १६०० मजदूर बेकार हो गये हैं। इसी प्रकार बंगलौर के पास कालकानलो की फैक्टरी भी बन्द है और नरासीपुर की फैक्टरी में भी बहुत कम माल बन रहा है। यह इसलिये है कि केन्द्रीय सरकार इस उद्योग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उसकी इस उद्योग के बारे में रक्षण नीति भी उचित नहीं है।

यह ठीक है कि भारत सरकार इस उद्योग को सन् १९३४ से रक्षण दे रही है परन्तु ऐसे रक्षण से क्या लाभ जो न तो पर्याप्त हो और न स्थिर ही।

२२ जनवरी, १९५१ से पहले कच्चे रेशम, रेशम के कोये, तथा रेशम के धागे पर शुल्क दर मूल्यानुसार ३० प्रति शत तथा प्रति पौंड पर १२ रुपये थी। परन्तु २२ जनवरी, १९५१ को सरकार ने इस में कमी करके इसे मूल्यानुसार

[गुरुपादस्वामी]

३० प्रति शत तथा प्रति पौंड ६–८–० कर दिया। रेशम के कते हुए धागे पर भी इसी प्रकार की कमी कर दी गई है। इस प्रकार की कमी करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि उद्योग की सारी शाखाओं में अभी स्थिरता नहीं आ पाई है। मैसूर सरकार ने भारत सरकार से कहा था कि विदेशी रेशम के आयात से यहां के उद्योग को बहुत नुकसान हो रहा है इसलिये इस के रक्षण शुल्क को बढ़ा दिया जाये परन्तु सरकार ने इसे नहीं माना। इसके विपरीत सरकार ने आयात की और छूट दे दी। यह एक बहुत अनुचित नीति है। और यदि सरकार इसे जारी रखेगी तो हमारे देश का यह सुन्दर उद्योग नष्ट हो जायेगा। इस बारे में मेरा तुच्छ सुझाव यह है कि इस विधेयक को संशोधित किया जाये और वर्तमान रक्षण दर को २० प्रति शत बढ़ाकर कम से कम पांच वर्ष तक जारी रखा जाये।

रेशम उद्योग के बारे में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है। बंगलौर में हाथ का कपड़ा बनाने की कई फैक्टरियां बन्द हो गई हैं। सरकार से इस बारे में अभ्यावेदन किया गया था परन्तु उसने कोई उत्तर तक नहीं दिया है।

मेरे एक मित्र ने कहा कि देश में नक़ली रेशम का कई वर्ष से आयात हो रहा है। मैं पूछता हूं कि नक़ली रेशम को आयात करने की क्या आवश्यकता है। दुर्भाग्य से केन्द्रीय सरकार भी चुप बैठी है और उद्योग की इन दो शाखाओं में हो रही प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दे रही है। नक़ली रेशम का एक ऐसा उद्योग है जो विदेशों से यहां लाया गया है। इसको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। मैं कहता हूं कि यदि पर्याप्त ध्यान दिया जाये तो अकेला मैसूर कारे शम उद्योग ही सारे देश की मांग को पूरा कर सकता है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि यदि इस उद्योग को जल्दी और पर्याप्त सहायता नहीं दी गई तो यह एक दम नष्ट हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व सरकार पर ही होगा।

श्री बी० आर० भगत (पटना व शाहाबाद): वास्तव में मुझे यह देख कर कुछ आश्चर्य हुआ कि इस सीधे सच्चे विधेयक के बारे में कुछ सदस्यों ने, जो विरोधी दल के हैं, उच्च नीति के प्रश्न उठाये हैं। मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम ने कहा कि सारी तटकर नीति पर आयात निर्यात सम्बन्धी नीति तथा औद्योगिक नीति को दृष्टि में रख कर विचार होना चाहिये। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि यदि वह आयात-निर्यात कमीशन की रिपोर्ट तथा पंचवर्षीय योजना या सरकार की औद्योगिक नीति का निर्देश करे तो उन्हें पता लगेगा कि सरकार द्वारा एक निश्चित नीति का ही पालन किया जा रहा है। रक्षण देते समय सम्बन्धित उद्योग पर पूरी तरह से विचार किया जाता है। उन्हों ने कहा कि अब भी अंग्रेजी सामान को अन्य देशों के सामान की अपेक्षा अधिमान दिया जा रहा है। मैं उन से कहना चाहता हूं कि अब ओटावा समझौता या साम्राजीय अधिमान जैसी कोई बात नहीं है। यदि भारत ने ब्रिटेन को कुछ रियायतें दे रखी हैं तो उस को ब्रिटेन से भी तो कुछ रियायतें मिलती हैं।

अब मैं मांड़ी उद्योग के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। गत समय जब यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो यहां ऐसा कहा गया था कि केवल रक्षण देने से ही काम नहीं चलेगा; सरकार को यह भी देखना चाहिये कि इस उद्योग को कच्चा माल यानी मक्का बराबर मिल रही है या नहीं। चूंकि खाद्यान्नों की देश में पहले से ही कमी है, इसीलिये यह अनुभव किया गया था कि जब तक कच्चा माल आयात करके न दिया जायेगा तब तक रक्षण देने से कोई लाभ न होगा। पिछले दो वर्षों में

इस उद्योग की जो दशा देखी गई है वह बहुत शोचनीय है। हाल में आयात की गई मक्का की क़ीमत के ५६३ रुपये प्रति टन से ९६१ रुपये हो जाने से इस उद्योग का लागत मूल्य बढ़ गया है। तटकर पर्षद के अनुसार वर्ष १९४९-५० में लागत मूल्य ४१ रुपये प्रति हंडरवेट था। तटकर पर्षद द्वारा अगली बार जांच किये जाने पर देखा गया कि लागत मूल्य ६१.३९ रुपये हो गया है। यद्यपि अन्य सब बातों में वृद्धि नहीं हुई है, केवल कच्चा माल ही ऐसा है जिस की क़ीमत बढ़ी है। कार्यपूंजी पर ब्याज भी १७ रुपये प्रति टन से २५ रुपये प्रति टन हो गया है। रक्षण की वर्तमान दर को २० प्रति शत और बढ़ाने का मुख्य कारण मक्का की क़ीमतों में हुई वृद्धि ही है।

दूसरी बात यह है कि यदि हम कपड़े की मिलों द्वारा काम में लाई जाने वाली चीज़ों को देखें तो पता लगेगा कि सागूदाने के आटे की मांग मक्का की मांड़ी की मांग से बढ़ती जा रही है। एक तो कच्चा माल मिलने की ही कठिनाई थी, अब दूसरी कठिनाई यह हो गई है कि सागूदाने के आटे की क़ीमत इतनी कम हैकि अधिकतर इसी की मांग की जाती है। सन् १९४९-४७ में ५० प्रतिशत यही काम में लाया जाता था अब वह ८३ प्रतिशत काम में लाया जाता है। तो जब तक कच्चे माल और सागूदाने के आटे के मुक़ाबले की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक उद्योग उन्नति नहीं कर सकता।

मांड़ी उद्योग के निर्माता संघ ने एक सुझाव दिया है कि केवल मक्का के स्थान पर इमली के बीजों के चूरे का प्रयोग भी किया जाना चाहिये। यह एक सस्ती चीज़ है और देश में काफ़ी मात्रा में मिल सकती है। यदि हम इस की क़िस्म में सुधार कर लें तो हमें मक्का की मांड़ी के स्थान पर एक अच्छी चीज़ मिल सकेगी। इस समय चार फैक्टरियां हैं, एक बम्बई में, दूसरी मैसूर में, तीसरी अहमदाबाद में और चौथी ग्वालियर में। इनकी कुल क्षमता ९०,००० टन है। मांड़ी बनाने वाली फैक्टरियों की वर्त्तमान क्षमता ५८,००० टन है। यदि हम इमली के बीजों के चूरे के उद्योग को प्रोत्साहन दें तो समस्या हल की जा सकती है।

मैं दो शब्द एल्यूमीनियम उद्योग के बारे में भी कहूंगा। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। हमारे देश में एल्यूमिनियम उद्योग अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है इसलिये इस के बारे में पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। इस समय एल्यूमिनियम बनाने वाली दो फ़ैक्टरियां हैं, एक अलवाये में दूसरी कलकत्ता में। कलकत्ता की फ़ैक्टरी पूरी सहायता न मिलने के कारण बन्द सी पड़ी है। सरकार को चाहिये कि इस उद्योग में सुधार करके इसे भी सहायता प्रदान की जाती। मैं माननीय मंत्री की बात को मानता हूं कि किसी उद्योग को रक्षण देने से पहले उसे सब प्रकार की आर्थिक, टेकनिकल तथा वैज्ञानिक सहायता दी जानी चाहिये थी जिस से कि वह न केवल अपने पैरों पर खड़ी ही हो सके बल्कि दूसरे उद्योगों के लिये उदाहरण भी बने।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़–पूर्व): इससे पूर्व कि मैं उद्योगों के बारे में कुछ कहूं मैं उन लोगों का भ्रम दूर कर देना चाहता हूं जो समझते हैं कि उद्योगों को रक्षण निर्माताओं को फ़ायदा पहुंचाने के विचार से दिया जाता है। यह बात ग़लत है रक्षण देने का उद्देश्य केवल यही है कि सम्बन्धित उद्योग का विकास हो जिससे कि वह विदेशी उद्योग का मुक़ाबला कर सके। हो सकता है कि रक्षण का दुरुपयोग हो, परन्तु उद्देश्य यही है कि उद्योग सफलतापूर्वक उन्नति कर सके।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि चूंकि साइकिल ग़रीब व्यक्तियों की सवारी है अतः इस उद्योग को रक्षण नहीं दिया जाना चाहिये।

(पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय)

परन्तु मेरे विचार से यही कारण है जिस से कि इस उद्योग को रक्षण मिलना चाहिये। यदि रक्षण देकर उद्योग इतनी उन्नति कर सकता है कि वह विदेशी माल से मुकाबला कर सके, तो अन्ततः यह ग़रीब जनता की ज़रूरतों को सुविधापूर्वक पूरी कर सकेगा। ऐसा सुझाव दिया गया है कि रक्षण की अवधि मार्च १९५२ से बढ़ा कर दिसम्बर १९५२ कर दी जाये। मेरा निवेदन है कि यह समय बहुत थोड़ा है; रक्षण आगे के वर्षों के लिये भी दिया जाना चाहिये।

दूसरा उद्योग, जिस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, सान के पत्थर का उद्योग है। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि सान के पत्थरों का कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इन्हें सान धरने के काम में तथा रेलों के और जहाज़ बनाने के काम भी लाया जाता है; अतः इनकी मांग बहुत है। हमारे यहां सान के पत्थर की कुल खपत के केवल ५० प्रति शत के बराबर माल बनाया जाता है मांग ५०० टन प्रति वर्ष है और उत्पादन केवल ३०० टन। इसलिये यदि इस उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तो हमें विदेशी माल पर ही निर्भर रहना होगा। हमारे यहां के माल की क़िस्म काफ़ी संतोषजनक है; इसलिये थोड़े से प्रोत्साहन से यह विदेशी माल से मुकाबला करने लगेगा। इस समय शुल्क १०५ प्रति शत है और ऐसा प्रस्ताव है कि इसे घटा कर मूल्यानुसार ५० प्रति शत कर दिया जाये। मेरे विचार से यह प्रस्ताव ठीक ही है और इसे मान लेना चाहिये। जिन सान के पत्थरों का बनाना लाभप्रद नहीं है उन्हें सूची में से पहले ही निकाल दिया गया है; मेरे विचार से उन सान के पत्थरों को रक्षण दिया जाना चाहिये जो अच्छी क़िस्म के हैं और जिन का निर्माण संतोषजनक ढंग से हो रहा है। इस उद्योग के बारे में रक्षण की अवधि दिसम्बर १९५४ तक बढ़ाने का प्रस्ताव बिल्कुल उचित है। इन शब्दों के साथ, मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि सान के पत्थर के उद्योग को तथा साइकिल उद्योग को रक्षण मिलना चाहिये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्हों ने इस विधेयक में निहित प्रस्तावों का सामान्य रूप से समर्थन किया है। जैसा मेरे माननीय मित्र बाबू रामनारायण सिंह ने कहा, रक्षण का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सावधानी से निगरानी रखनी चाहिये और जिसे समय की आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिये।

मैं इस सदन का आभारी हूं जिस ने इस विधेयक पर मैत्रीभाव एवं सहयोग की दृष्टि से विचार किया है। माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसको भलीभांति नोट कर लिया गया है और उन पर मेरे मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा।

सब से प्रथम, मैं सलेम में सागूदाने के बनाये जाने के प्रश्न को लूंगा। तटकर पर्षद की इस रिपोर्ट से, जो इस समय विचाराधीन है, तथा तटकर पर्षद् की सन् १९५० की रिपोर्ट से यह निश्चित रूप से प्रगट होता है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जा सकता है, उस को करने का यथासंभव प्रयत्न किया जाता है। व्यापार में तथा निजी उपक्रम में ही कुछ ऐसे दोष हैं, जिन से कि बचा नहीं जा सकता है। सरकार इस उद्योग के प्रति उदासीन नहीं है। सरकार को तो उपभोक्ताओं के हित को पहले ध्यान में रखना होता है, उसके बाद ही वह देश के औद्योगीकरण आदि प्रश्नों पर विचार करती है। किसी उद्योग विशेष के साथ रियायत या पक्षपात नहीं किया जाता है।

मेरे माननीय मित्र, श्री नम्बियार ने कहा कि सरकार मज़दूरों के हितों का ध्यान नहीं रखती है। मेरा निवेदन है कि यह बात

सरासर ग़लत है । उपभोक्ताओं के बाद सरकार यदि किसी चीज़ को महत्व देती है तो वह मज़दूरों का प्रश्न ही है । राजनैतिक विचारों को सामने रख कर, सरकार के लिये भले ही कुछ कह दिया जाये, परन्तु वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं हैं । यदि कोई भी उद्योग अपने मज़दूरों के हित के प्रश्न को लेकर हमारी सहायता चाहता है, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा सब से प्रथम विचार किया जायेगा ।

ज़िप उद्योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । ज़िप दिन पर दिन हमारे बहुत काम की वस्तु होती जा रही है ; अतः यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण उद्योग हो गया है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय श्री टी० एन० सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्नों को लेना चाहता हूं । उनका कहना है कि जब देश में ज़िपों की मांग केवल सात लाख फुट है तो फ़िर दो फ़ैक्टरियों को क्यों खोलने दिया जार हा है—लिंक इंडस्ट्री की क्षमता नौ लाख फुट की है और बम्बई वाली की १८ लाख फुट । उनकी यह चेतावनी यदि उन लोगों को दी गई होती, जो उद्योग स्थापित करते हैं, तो अधिक अच्छा होता । सम्भवतः नये उद्योगपति ऐसा सोचते हों कि आगे चल कर उन के माल की मांग बहुत बढ़ सकती है । यदि कुछ व्यक्ति जोखिम उठाना चाहते हैं तो उन्हें उठाने दीजिये, हम उन्हें रोकना नहीं चाहते । हम तो कुछ विचारों के अधीन, उन्हें कुछ रक्षण देते हैं । माननीय श्री अलगेशन ने कहा कि साड़ियों में भी ज़िप लगाने का फ़ैशन चलने वाला है । यदि ऐसी बात है तो ज़िप की मांग बहुत बढ़ सकती है । सरकार तो यह देखती है कि कोई मूल्यवान सामग्री तो नष्ट नहीं हो रही है या विदेशी मुद्रा की स्थिति में तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही है ; इन मामलों को छोड़ कर सरकार निजी उपक्रम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती ।

मेरे माननीय मित्र श्री अरुण चन्द्र गुहा ने कई सुझाव दिये हैं । उन्हों ने मेरे यह कहने पर आपत्ति की है कि इस में केवल दो चीज़ें ही ऐसी हैं जो उपभोक्ता के लिये आवश्यक हैं । मैं अपनी ग़लती मानता हूं । सम्भवतः उस समय मैं ने उन सारी वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया था, जो इस विधेयक में शामिल हैं और जो उपभोक्ता के लिये काफी महत्व रखती हैं । माननीय सदस्य ने सागूदाना, मांड़ी तथा रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के बारे में जो, वाद-विषय उठायें हैं उनका तटकर पर्षद् की रिपोर्टों में सामान्यतः उत्तर दिया हुआ है ; फिर भी, मैं ने उन की बातों को नोट कर लिया है ।

माननीय सदस्य श्री गुरुपादस्वामी ने रेशम के कीड़े पालने के उद्योग की चर्चा की । सरकार इस उद्योग के बारे में पूरी गम्भीरता से विचार कर रही है और उसे मालूम है कि मैसूर सरकार इस उद्योग से बहुत अधिक सम्बन्धित है । तटकर पर्षद् की रिपोर्ट से भी पता चलेगा कि यह पर्षद् भी इस उद्योग को सहायता देने के लिये हमेशा तैयार है । परन्तु इस में कई बातें हैं जिन के कारण समस्या का हल करना कठिन हो रहा है—एक तो विदेशों में क़ीमतों में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है दूसरे विभिन्न पक्षों की विभिन्न मांगें हैं जैसे हाथ के करघे पर रेशम बुनने वाला कच्चे रेशम को किसी विशेष क़ीमत पर मांगता है और रेशम के कीड़े पालने वाला व्यक्ति चाहता है कच्चा रेशम बाहर से मंगाना बिल्कुल बन्द कर दिया जाये या देश में बने कच्चे रेशम पर बहुत भारी रक्षण शुल्क लगाया जाये । इन परस्पर विरोधी मांगों को देख कर तटकर पर्षद् इसी परिणाम पर पंहुचा है कि इस उद्योग को जो रक्षण मिल रहा है वह वर्ष के अन्त तक जारी रहे और जून १९५२ में इस मामले पर पुनः विचार हो । सरकार इस विषय में पर्याप्त रुचि ले रही है और उस ने तटकर

[श्री टी० टी कृष्णमाचारी]

आयोग से कहा है कि वह इस मामले की जांच करें कि दिसम्बर १९५२ के बाद उद्योग की किस प्रकार सहायता की जा सकती है । सरकार का इन विभिन्न मांगों और आवश्यकताओं में सामन्ज्यस रखने का प्रयत्न है । मेरे मंत्रालय की एक सब से बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि हस्तकरघा उद्योग को चालू रखा जाये और उसको बराबर सहायता दी जाये । यदि हम बाहर से कच्चा रेशम नहीं मंगाते हैं तो रेशम बुनने वालों को उन की मांगों के अनुसार कम क़ीमत पर कच्चा रेशम नहीं मिल सकता ; और यदि हम मंगाते हैं तो रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में लगे व्यक्तियों को हानि होती है । इसलिये यह एक जटिल प्रश्न है, सरकार का प्रयत्न दोनों पक्षों को सुविधायें देकर उद्योग की उन्नति करना है ।

शाहजहांपुर वाल माननीय सदस्य ने वर्णसंकर धातु औज़ार और विशेष इस्पात का ज़िक्र किया । मैं उन की बातों का स्वागत करता हूं और मेरा मंत्रालय इस उद्योग के बारे में उनकी बातों पर विचार करेगा । परन्तु यहां भी वैसी ही विचित्र समस्या है । जो चीज़ वर्णसंकर धातु और विशेष इस्पात के उद्योग के लिये अच्छी हैं वही मशीनों के औज़ारों के लिये हानिकारक हैं । इस देश में मशीनों के औज़ार बनाने वाले बहुत कम उद्योग हैं और उनकी भी दशा बुरी होती जा रही है । क्यों ? इसलिये कि आयात किये गये औज़ार उन औज़ारों के मुकाबले में जो हमारे देश में बने विशेष इस्पात से बनाये जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं । जब तक विशेष इस्पात बनाने वाला उद्योग कुछ त्याग नहीं करेगा तब तक यही स्थिति रहेगी । इसलिये आप देखते हैं कि यह एक जटिल प्रश्न है । हमें मशीन के औज़ारों के उद्योग के बारे में कुछ करना ही होगा क्योंकि सरकार स्वयं बंगलौर में एक उद्योग स्थापित करने के लिये वाग्बद्ध है । हमें दोनों बातों को देख कर ही समस्या पर विचार करना होगा । हम इस बात को मानते हैं कि अन्य सहायक उद्योगों की आवश्यकतायें कुछ भी हों परन्तु विशेष इस्पात जैसी अत्यन्त आवश्यक तथा मूलभूत वस्तु का उत्पादन राष्ट्रीय एवं सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ।

साइकिल उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में रक्षण बहुत थोड़े समय के लिये दिये जाने का प्रस्ताव है । तटकर आयोग इस पर विचार कर रहा है और वर्ष के अन्त तक अपनी रिपोर्ट देगा । इस बारे में मैं एक बात और बता दूं । इस समय देश में साइकिल बनाने की दो फैक्टरियां हैं ; अब बहुत जल्दी ही तीन फ़ैक्टरियां और स्थापित हो रही हैं । रैले साइकिल वालों के सहयोग से सेन-रैले कम्पनी और हरकुलीस कम्पनी के सहयोग से टी० आई० साइकिल कम्पनी खुल रही हैं । दिल्ली में भी एक स्थानीय उद्योगपति द्वारा एक कम्पनी स्थापित की जा रही है जो एक लाख साइकिलें बनायेगी । तो जब तटकर आयोग रक्षण के प्रश्न पर विचार करेगा तो उसके सामने यह बात भी होगी कि देश में साढ़े चार लाख साइकिलें बनाने की क्षमता है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं स्वयं इस बात को देखूंगा कि इस बारे में किसी नीति को निश्चित करते समय साइकिल का अधिकतम प्रयोग करने वाली जनता का पूरा पूरा ध्यान रखा जाये ।

माननीय श्री नटेशन ने ज़िप उद्योग के बारे में तथा उसको पीतल की पट्टियां उपलब्ध कराने के बारे में कहा । सरकार इस सम्बन्ध में जो कुछ कर सकती है अवश्य करेगी । रक्षण देने का मतलब यह भी ह कि सरकार उस उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने में सुविधायें दे ।

माननीय डा० लंका सुन्दरम् ने कहा कि उपभोक्ता के हित को उचित रूप से दृष्टि में नहीं रखा जाता है । मैं उन्हें बताना चाहता

हूं कि तटकर आयोग अधिनियम की धारा १५ के अनुसार आयोग का यह कर्त्तव्य है कि इस विशेष मामले पर ध्यान दे। आयात-निर्यात आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि किसी उद्योग को रक्षण देने के बाद उस पर पूरी सावधानी से निगरानी रखी जानी चाहिये। और इसी सिफ़ारिश के कारण तटकर आयोग अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि उपभोक्ता के हित का सदैव ध्यान रखा जायेगा।

मैं उन माननीय सदस्य का आभारी हूं जिन्हों ने यह कहा कि तटकर आयोग को बहुत अधिक काम रहता है और यह काम दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इस समय आयोग के केवल तीन सदस्य हैं। मुझे आशा है कि जब इस आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जायेगा तो मुझे विरोधी दल के सदस्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

माननीय सदस्य डा० लंका सुन्दरम् तथा श्री नम्बियार ने साम्राजीय अधिमानों की चर्चा की। मैं यहां बता दूं कि इस प्रश्न का उठाया जाना कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले समय हम भी इस तरह के प्रश्न उठाते रहे हैं; आज परिस्थितियों के बदलने के कारण, विरोधी दल के सदस्य इस की चर्चा कर रहे हैं और हम इसका उत्तर दे रहे हैं। आज साम्राजीय अधिमान नाम की कोई चीज़ नहीं है क्योंकि साम्राजीय राष्ट्रमंडल तो समाप्त हो चुका है। जो कुछ रियायतें हम इस समय ब्रिटिश माल को देते हैं उसका हम पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसा एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा हमें भी तो उस से कुछ लाभ होते हैं, चाहे वह बहुत थोड़े ही क्यों न हों।

यह मामला अन्तिम रूप से संभवतः उस समय तय किया जायेगा जब ब्रिटेन के साथ भारत के समस्त वाणिज्यिक सम्बन्धों पर पुनः विचार होगा। व्यापार सम्बन्धी मामलों पर दूसरे देशों से बातचीत चलती ही रहती है और शायद कुछ समय के बाद ब्रिटेन से हमारा कुछ समझौता हो जाये, और फिर साम्राजीय अधिमान का मामला सदा के लिये तय हो सकता है।

एक बात और है। हमने एक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार भविष्य में हम किसी को भी रियायतें नहीं दे सकते। शायद यह भी एक बात है जिसके कारण यह चीज़ें अभी चल रही हैं क्योंकि इन में हमें भी लाभ है और ब्रिटेन को भी। मैं माननीय डा० लंका सुन्दरम् तथा श्री नम्बियार को विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार इस विषय पर बराबर विचार कर रही है और वह कोई ऐसी बात नहीं होने देगी जिससे देश को किसी भी प्रकार की हानि हो।

अन्त में, मैं माननीय सदस्यों के प्रति, जिन्हों ने इस विधेयक पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

१२ मध्यान्ह

सभापति महोदय: प्रश्न है।

"भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ तथा २ विधेयक का अंग बना लिये गये।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

कलकत्ता पतन (संशोधन) विधेयक

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कलकत्ता पत्तन अधिनियम १८९० में संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह संशोधन केवल इसलिये किया जा रहा है कि रेलों के पुनःवर्गीकरण के कारण रेलों के नाम बदल गये हैं। ई० आई० आर०, बी० एन० आर० व अन्य रेलों के कुछ भागों को मिला कर उनका नाम पूर्वी रेलवे तथा उत्तर-पूर्वी रेलवे रख दिया गया है। ई० आई० आर० तथा बी० एन० आर के जनरल मैनेजर के बजाय अब पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर तथा रेलवे पर्षद् के कलकत्ता स्थित संचालक (डाइरेक्टर) कलकत्ता पत्तन आयोग में रेलवे का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे केवल इतना ही कहना है क्योंकि यह एक अविवादपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : मैं माननीय मंत्री को पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि बंगाल में इस विषय पर काफी आन्दोलन हुआ है। हमारा कर्त्तव्य है कि हमारे प्रान्त में जो भावना फैली हुई है उसे सदन के समक्ष प्रगट करें क्योंकि हम वहां की जनता के प्रतिनिधि हैं। ७ मई को वहां एक बड़ी ज़बरदस्त हड़ताल हुई थी जो किसी विशेष दल के कहने पर नहीं हुई थी .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य विधेयक के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। पुनः वर्गीकरण १४ अप्रैल १९५२ को लागू हो गया था और अब यह एक निश्चित चीज़ है। इस समय ईस्ट इंडियन रेलवे के जनरल मैनेजर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिये कलकत्ता पत्तन प्रन्यास में इनके स्थान पर रेलवे का एक प्रतिनिधि होना चाहिये। यदि पुनःवर्गीकरण को फिर से रद्द कर दिया जाता है तो इसमें आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा, परन्तु इस समय पुनःवर्गीकरण के बारे में -- कि यह होना चाहिये या नहीं-- चर्चा करना उचित नहीं है।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा निवेदन है कि कलकत्ता पत्तन प्रन्यास अधिनियम में इस बारे में अब भी कमी है इसलिये इसे थोड़े दिन और चलने दिया जाये। बंगाल के मुख्य मंत्री भी दिल्ली आ रहे हैं और वह भी शायद रेल मंत्री से इस बारे में बात करें। यदि इस विधेयक पर चर्चा थोड़े दिन के लिये स्थगित कर दी जाये तो बड़ी कृपा होगी।

श्री एल० बी० शास्त्री : कलकत्ता पत्तन आयोग में रेलवे का प्रतिनिधि होना बहुत आवश्यक है और इसे स्थगित नहीं किया जा सकता।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत किया गया।

खंड १ व तथा २ विधेयक का अंग बन लिये गये।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सारभूत वस्तुएं (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा अधिनियम) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान के अनुच्छेद २८६ के खंड (३) का अनुसरण करते हुए समाज के जीवन के लिये आवश्यक कुछेक वस्तुओं को सारभूत घोषित करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को जिसके सदस्य श्रीमती

बी खोंगमन, डा० रामसुभग सिंह, श्री तुलसीदास किलाचन्द, आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल, श्री पी० टी० चाको, श्री बी० दास, श्री गुरुमुख सिंह मुसाफ़िर, कर्नल बी० एच० जैदी, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री जी० डी० सोमानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री राजा राम गिरधरलाल दुबे, श्री केशव देव मालवीय, श्री अरुण चन्द्र गुहा, श्री लीला धर जोशी, श्री बलवन्त सिन्हा मेहता, श्री देव कांत बुरुआ, श्री सारंगधर दास, श्री महावीर त्यागी, श्री एम० वी० कृष्णप्पा, डा० शौकतुल्ला शाह अन्सारी तथा प्रस्तावक हों सौंप दिया जाये, तथा इस समिति को १२ जून १९५२ तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।"

विक्रय-कर युद्ध के तुरन्त बाद से राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत बनाया गया था। विकास संबंधी बढ़ते हुए खर्चे को तथा राजस्व में मद्य निषेध से हुई कमी को पूरा करने के विचार से ही इस कर का आश्रय लिया गया था। आरम्भ में यह कर राज्यों में फुटकर बिक्री तथा उपभोक्ताओं तक ही सीमित था। परन्तु बाद में राज्यों ने इसे अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा आयात व निर्यात की वस्तुओं पर तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल जैसे कोयला, रुई, पटसन, इस्पात आदि पर भी लगाना आरम्भ कर दिया। इसका फल यह हुआ कि अन्य राज्य सरकारों और विशेषतः केन्द्रीय सरकार से इस मामले में झगड़े उठने लगे। अतः यह स्वाभाविक था कि इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाये और इसके लिये अक्टूबर १९४८ में वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें बिक्री करों के बारे में एकरूपता लाने तथा आवश्यक वस्तुओं पर कर न लगने के प्रश्न पर विचार हुआ। परन्तु इसमें कुछ मतभेद होने के कारण अन्त में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल १९४९ में अन्य राज्यों से परामर्श करके यही निश्चय किया कि भारत के संविधान के प्रारूप में केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संशोधन किया जाये; संविधान का अनुच्छेद २८६ यही संशोधन है। इसी अनुच्छेद के एक खंड को क्रियात्मक रूप देने के विचार से यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है खंड १ व २ के अनुसार विभिन्न राज्य के ऐसे क्रय विक्रय पर जो क्रय या विक्रय भारत राज्य-क्षेत्र में आयात की गई अथवा बाहर निर्यात की गई वस्तुओं के संबंध में राज्य से बाहर होता है और अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में होता है कर नहीं लगा सकेंगे। परन्तु इस अन्तिम प्रतिबन्ध के बारे में राष्ट्रपति ने एक आदेश द्वारा ऐसे करों को ३१ मार्च १९५१ तक चलने देने की अनुमति दे दी थी जो नये संविधान के आरम्भ होने से पूर्व विधि द्वारा लागू किये गये थे। यह आदेश ३१ मार्च १९५१ को समाप्त हो गया जिसके फलस्वरूप १ अप्रैल १९५१ से अनुच्छेद २८६ के खंड १ व २ पूरी तरह लागू होने लगे। भारत सरकार को इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि राज्य सरकारें संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध बिक्री कर लगा रही हैं। अनुच्छेद २८६ की सही व्याख्या दिये जाने के बारे में भी कई प्रार्थनायें प्राप्त हुई थीं। हमने कानूनी राय प्राप्त करके राज्य सरकारों को उनके बिक्री कर अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने का परामर्श दिया। हमारी सूचना के अनुसार अधिकांश राज्य सरकारों ने ऐसा कर लिया है यद्यपि कुछ शिकायतें अब भी आ रही हैं।

इस विधान का मुख्य उद्देश्य राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल जैसे

[श्री सी० डी० देशमुख]

कोयला, रुई, पटसन, इस्पात आदि पर तथा अनाज और मोटा कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाये जाने से रोकना है। वर्त्तमान परिस्थितियों में यह कदम उठाना और भी आवश्यक हो गया है। भारत सरकार के एक निश्चय के अनुसार हमने जनवरी १९५० में मनुष्य जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार की थी। इस पर विचार करने में डेढ़ वर्ष निकल गया। हमने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियों और पक्षों की राय का इसमें ध्यान रखा जाये। मई १९५१ में प्रस्तावों का अन्तिम रूप से अनुमोदन किया गया और जून १९५१ में सारभूत वस्तुएं (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक १९५१ संसद् में पुरः-स्थापित किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यों के कारण यह विधेयक जल्दी नहीं लाया जा सका। अतः १६ मई १९५२ को यह फिर से पुरःस्थापित हुआ और अब यह सदन के विचाराधीन है।

विधेयक का उद्देश्य सारभूत वस्तुओं पर अनुचित रूप से कर लगाये जाने को रोकना और करारोपण में एकरूपता लाना है। इस विधेयक के अधिनियम हो जाने पर विभिन्न राज्यों में कुछ एकरूपता लाई जा सकेगी क्योंकि इससे आवश्यक वस्तुओं पर अनुचित रूप से कर नहीं लगाया जा सकेगा। यदि इस सूची में अधिक वस्तुएं रख दी जाती हैं तो विभिन्न राज्यों में वस्तुओं के करारोपण में असमानता रही चली आयेगी। इस सूची के तैयार करने में हमने यह भी ध्यान रखा है कि वस्तुओं की संख्या बढ़ाने से राज्य सरकारों के राजस्व पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

खंड एक व दो के अन्र्गत दिये गये प्रबन्धकों से विभिन्न राज्यों को पहले ही घाटा हो रहा है। लगभग ४५ करोड़ रुपये पर घाटे का अनुमान लगभग ५ से १० प्रतिशत लगाया गया है जो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। मैं यहां यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि इस विधान का करारोपण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विधि मंत्रालय के परामर्श के अनुसार अनुच्छेद २८६(३) वस्तुओं पर तब ही लागू होगा जब कि संसद् विधि द्वारा कुछ वस्तुओं को सारभूत घोषित कर देगी। एक बात और है; वह यह है कि जब पहले से चला आ रहा राज्य का कोई अधिनियम विमुक्ति को वापस लेने अथवा कर की दर बढ़ाने का अधिकार देता हो तो संसद् का यह प्रस्तावित अधिनियम उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगा। इस परामर्श को दृष्टि में रखते हुए वर्त्तमान विधेयक को इस तरह बनाया गया है कि अधिनियम होने पर यह उन्हीं वस्तुओं पर लागू होगा जिन्हें नये करारोपण अथवा कर की दर बढ़ाने के बारे में सारभूत समझा गया हो। दूसरे शब्दों में वर्त्तमान विधेयक के अधिनियम होने से पूर्व राज्य जो बिक्री कर लगा रहे थे उसे उन्हें लगाये रखने का अधिकार होगा। अर्थात् उन्हें बिक्री कर से होने वाली अपनी आय में कोई हानि नहीं होगी।

सूची से पता लगेगा कि ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो कुछ लोगों के अनुसार सारभूत हैं और जिन्हें इस सूची में स्थान मिलना चाहिये। एकरूपता के बारे में विमुक्ति की कुछ सीमायें निश्चित हैं जो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। उन राज्यों में जहां एक ही वस्तु पर कई जगह कर लगाया जाता है यह सीमा अधिक रखी गई है और जहां एक वस्तु पर एक ही जगह कर लगाया जाता है वहां कुछ कमी। विभिन्न राज्यों में बिक्री कर का ढांचा विभिन्न है जो वहां की परि-स्थितियों पर निर्भर करता है। चूंकि समस्त राज्यों में बिक्री कर को प्रभावीकृत करने में कर की दरों, विभुक्ति सीमाओं आदि की

फिर से व्यवस्था करनी होगी— और यह एक बड़ा जटिल कार्य है—इसलिये यह वांछनीय नहीं है कि बिक्री कर के प्रभावीकरण अथवा एकरूपता पर आवश्यकता से अधिक जोर डाला जाये।

संविधान की दृष्टि से केन्द्र द्वारा यह कर केवल अनुच्छेद २४९ के अधीन राज्य परिषद् के संकल्प पर अथवा अनुच्छेद ३५३—आपात अथवा संकटकालीन उपबन्धों—के अन्तर्गत लिया जा सकता है परन्तु प्रभावीकरण अथवा एकरूपता जैसे कार्यों के लिये इस कर को लेने के संबंध में राज्य सरकारों की सहमति चाहिये जो मेरे विचार से नहीं मिल सकेगी क्योंकि राज्य सरकारों के पास अपने राजस्व में वृद्धि करने का यही तो एक महत्वपूर्ण साधन है।

अब एक प्रश्न है। क्या हम वैज्ञानिकन का सहारा नहीं ले सकते जो जैसा कि सब मानते हैं देश के हित में होगा और आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद होगा ? परन्तु इसका उत्तर यह है कि हम तो राज्य सरकारों को केवल समझा कर ही ऐसा करने के लिये कह सकते हैं। राज्य सरकारों से हम कर की दरों में एकरूपता लाने, विमुक्ति सीमा निश्चित करने और करारोपण के तरीके आदि के बारे में केवल कह ही सकते हैं। अब इस एकरूपता के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं जैसे विलास-वस्तुओं के बारे में। हम उचित समय पर वैज्ञानिकन के प्रश्न पर विचार करने के लिये विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार कर रहे हैं। हम यह जानते हैं कि इस नीति में किसी प्रकार के संशोधन होने से राज्यों के वित्तीय संसाधनों के सारे क्षेत्र पर फिर से विचार करना होगा। इस समय तो इस क्षेत्र पर वित्त आयोग की सिफारिशों से प्रभाव पड़ने की संभावना है। वित्त आयोग की सिपारिशें प्राप्त होने के बाद ही भारत में बिक्री करों के वैज्ञानिकन संबंधी प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

गोरखपुर में रेलवे कर्मचारियों पर गोली चलाया जाना

अध्यक्ष महोदय : अब आध घंटे तक सदन गोरखपुर में रेलवे कर्मचारियों पर गोली चलाये जाने वाली घटना पर चर्चा करेगा।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे पास दो प्रार्थनापत्रों की प्रतिलिपियां हैं, जिन्हें प्रधान मंत्री तथा रेल मंत्री महोदय को इस घटना के बारे में भेजा गया था। इन रिपोर्टों के अनुसार, घटना इस प्रकार थी :

> "२३ अप्रैल १९५२ को कुछ शांतिमय प्रदर्शनकारी सी० ओ० पी० एस० से क्लेम्स तथा रेट्स शाखाओं (दावे तथा दर शाखाओं) के दूसरी जगह ले जाये जाने तथा अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में मिलने आये। सी० ओ० पी० एस० ने उन्हें अपना प्रतिनिधि भेजने को कहा, परन्तु जब यह प्रतिनिधि उनसे मिलने गये तो सी० ओ० पी० एस० ने और बाद में जी० एम० ने भी इन लोगों को कार्यालय से धक्के और गालियां देकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद ज़िलाधीश को बुला लिया गया और उसने प्रदर्शनकारियों से बाहर जाने को कहा। प्रदर्शनकारी उनके कहने पर वापस जाने लगे, परन्तु (ज़िलाधीश) ने १० व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर लिया। यह टी० एम० (ट्रैफ़िक मैनेजर) जी० एम० (जनरल मैनेजर) और ज़िलाधीश की ऐसी कार्यवाही थी जिससे लोगों में

[श्री ए० के गोपालन]

रोष भर गया । परन्तु प्रदर्शनकारी वापस चले गये । दूसरे दिन २४ अप्रैल, १९५२ को प्रातः जब क्लर्क एक प्रदर्शनकारी झुंड बनाकर लोको वर्कशाप के दरवाज़े से होकर जी० एम० के कार्यालय की ओर जाने लगे तो उन्हें पुलिस व ज़िलाधीश द्वारा रोका गया और उन में से ६१ व्यक्तियों को बिना चेतावनी के गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें बुरी तरह घसीट कर लारी में बन्द कर दिया गया था ।

२५ अप्रैल, १९५२ को जब प्रदर्शनकारी पूरी शांति के साथ टी० एम० (ट्रैफिक मनेजर) के कार्यालय की ओर जा रहे थे तो पुलिस ने उन पर बहुत ज़ोर का लाठी चार्ज किया और उन पर गोली भी चलाई गई जिसके फलस्वरूप २ व्यक्ति मारे गये (एक तो वहीं और दूसरा अस्पताल में) और १७ घायल हुए । इन मृत व्यक्तियों की लाशों को उनके संबंधियों को नहीं दिया गया, यद्यपि इन्होंने इसके लिये उनसे कहा था । इस बात का सबूत कि यह गोली जान बूझकर चलाई गई थी यह है कि ज़िलाधीश ने कांग्रेसी संसद् सदस्य श्री सिंहासन सिंह से गोली चलाये जाने से पूर्व यह कहा था कि इस मामले में वह लड़कर ही फ़ैसला करना चाहते हैं और इसके नतीजे भुगतने के लिये वह भली भांति तैयार हैं।"

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात बताना चाहता हूं । जहां तक पुलिस व ज़िलाधीश के व्यवहार का प्रश्न है, यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार से संबंध रखता है और इस पर हम बहस नहीं कर सकते । मैं ने इस प्रश्न को इसलिये अनुमति दी है कि यह एक उच्च रेलवे अधिकारी से संबंधित मामला है । चूंकि झगड़ा इसी अधिकारी के कथित बर्ताव से हुआ इसलिये मैं इस पर बहस की अनुमति दे रहा हूं । जहां तक शांति एवं व्यवस्था तथा ज़िलाधीश व पुलिस के व्यवहार का प्रश्न है, यह मामला उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उठाया जा सकता है, यहां नहीं ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं गोली चलाने या पुलिस और ज़िलाधीश के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । मैं तो यह बतलाना चाहता हूं कि जनरल मैनेजर ही इस घटना के लिये उत्तरदायी है । जब इतने सारे लोग उनसे किसी बात के लिये मिलने आये थे तो उसने बिना कारण ही ज़िलाधीश और पुलिस को बुलाकर लोगों को गिरफ़्तार करवाया । उसे चाहिये था कि लोगों की बातें सुनता परन्तु उसने ऐसा न करके २३ ता० से २५ तक तीनों दिन पुलिस की सहायता बुलाई और इस घटना के लिए वह ही ज़िम्मेदार है ।

जब कभी इस प्रकार की गोली चलने की घटना हो और उसमें केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की ज़िम्मेदारी का प्रश्न हो तो इस सदन का और मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है कि वह इस घटना के कारणों का पता लगायें और यह देखें कि अधिकारियों तथा मृत व्यक्तियों की ओर से जो बातें कही गई हैं वह कहां तक ठीक हैं । इस घटना विशेष में दो आदमी मारे गये थे । अतः सरकार का और माननीय मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि इस मामले को जांच करवायें और देखें कि कौन दोषी हैं । मैं पूछता हूं कि जनरल मैनेजर ने पुलिस किस लिये बुलवाई जिस के कारण कि यह सारा झगड़ा हुआ ? यदि इस प्रकार की घटनाओं के लिये जांच का आदेश न दिया जायेगा तो

हर एक जनरल मैनेजर या अन्य अधिकारी पुलिस बुला कर गोली चलवाने लगेगा । क्या जनरल मैनेजर का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह लोगों की बात सुने ? यदि वह समझते थे कि स्थिति खराब हो रही है तो उन्हें रेलवे मंत्री से अनुदेश लेने चाहिये थे । प्रार्थनापत्र में यह साफ़ लिखा है कि जनरल मैनेजर ज़िलाधीश के संबंधी थे इसीलिये उन्होंने ज़िलाधीश को बुलाया था जिससे कि सारी गड़बड़ी हुई । जनरल मैनेजर की कार्यवाही बिल्तुल ग़लत थी ।

कहा गया है कि जनरल मैनेजर ने मृत व्यक्तियों की अन्तिम बातों को नोट भी नहीं किया और जब घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया तो जनरल मैनेजर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका इलाज न किया जाये । मृत व्यक्तियों के शवों को उनके संबंधियों को नहीं सौंपा गया क्योंकि जनरल मैनेजर सारी घटना को छिपाना चाहता था ।

अतः हम यह चाहते हैं कि सारी घटना की एक खुली और निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाये जिससे आगे चल कर ऐसी बातें न हों । जब लोग अपनी शिकायतें या बातें किसी अधिकारी से कहने जायें तो उसका जबाव गोलियों और लाठियों से नहीं दिया जाना चाहिये । यदि अधिकारी और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम लोगों की बातों को तो शांतिपूर्वक सुन सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहिले कि माननीय सदस्य प्रश्न पूछें यह अच्छा होगा कि माननीय मंत्री अपनी ओर के सारे तथ्य सदन के समक्ष रखें ।

नियमों के अन्तर्गत, वह ही सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेने की पूर्व सूचना दे रखी है ।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मेरे विचार से यह बहस ग़लत की जा रही है । शिकायत वास्तव में २५ अप्रैल की घटना के बारे में है जिसका जनरल मैनेजर से कोई संबंध नहीं है । यह मामला ज़िलाधीश तथा पुलिस सुपरिन्टेंडेंट से संबंधित है क्योंकि यही अधिकारी शांति एवं व्यवस्था के लिये उत्तरदायी हैं ।

जहां तक जनरल मैनेजर का प्रश्न ह, उनका तो केवल २३ अप्रैल की घटना से संबंध है । समय बचाने के लिये, मैं सदन के सामने श्री हिफ़ाज़त हुसैन की रिपोर्ट के कुछ भाग प्रस्तुत करूंगा । श्री हिफ़ाज़त हुसैन उत्तर प्रदेश सरकार में कमिश्नर के पद पर हैं और एक बहुत वरिष्ट अधिकारी हैं और उन्होंने इस संबंध में निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल की है ।

श्री हिफ़ाज़त हुसैन की रिपोर्ट के पैरा ९ के अनुसार:

> "गोरखपुर में रेलवे कर्मचारी कई दिन से आन्दोलन तथा बड़े शोरगुल के साथ प्रदर्शन कर रहे थे । हाल ही, ओ० टी०रेलवे कर्मचारी संघ के कुछ सदस्यों तथा अस्थायी क्लर्कों ने रेलवे सेवा आयोग के समक्ष जाने से बचने के लिये आन्दोलन आरम्भ किया था । आयोग ने जब १८ अप्रैल को अपना कार्य आरम्भ किया तो इन लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों को जबरदस्ती आयोग के समक्ष जाने से रोका जिसके फलस्वरूप २३ अप्रैल तक आयोग के समक्ष आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ५० प्रति दिन से कम होते होते ३ और ११ के बीच में रह गई ।"

२३ अप्रैल की शाम को साढ़े पांच बजे के लगभग उन के कार्यालय के सामने बहुत से प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और उन्होंने उनसे बाहर आने को कहा । उनसे असफ़ल

[डा० काटजू]

बातचीत होने के बाद और यह देखकर कि प्रदर्शनकारी अपने नारे बराबर लगाये जा रहे हैं, जनरल मैनेजर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा पुलिस सुपरिन्टेंडेंट से स्थिति संभालने के लिये कहा । इस पर इन लोगों ने वहां आकर भीड़ को हटाया । स्थिति को देख उन्होंने वहां धारा १४४ लागू कर दी ।

२४ तारीख़ को इस आदेश की अवहेलना करके एक लम्बा जलूस निकाला गया और उस ने काम में बाधा डालने का प्रयत्न किया जिसके फ़लस्वरूप ज़िलाधीश ने कुछ गिरफ्तारियां कीं ।

२५ को प्रातः हज़ारों लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पहले तो इंन्जन शेड और फिर पूर्वी कैबिन पर क़ब्ज़ा करना चाहा, परन्तु दोनों स्थानों पर पुलिस पहिले से घेरा डाल चुकी थी । इसके बाद इन लोगों ने ईंटें फेंकनी आरम्भ कीं इसे देखकर ज़िलाधीश ने पहले लाठी चार्ज का और फिर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे कुछ लोग घायल हुए ।

यह अभियोग लगाया गया है कि घायल व्यक्तियों की कोई चिंता नहीं की गई । कमिश्नर के अनुसार, गोली चलाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट घायलों को उठाने के विचार से उस स्थान पर गये थे । परन्तु इन लोगों को उनके साथी पहले ही उठाकर ले गये थे । यह बात जनरल मैनेजर के वक्तव्य से मिलती है कि दस बजे के लगभग यानी गोली चलने के आध घंटे के अन्दर गोरखपुर के ज़िला चिकित्सा अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मैडीकल आफ़ीसर) ने उन्हें फ़ोन किया था कि १६ व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है । उन्हें अनुदेश दिये गये कि इन घायलों का ठीक तरह से इलाज किया जाय । इन में से दो व्यक्ति मर गये, शेष सब अच्छे हो गये । अन्त में कमिश्नर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे डी० एम० के इस वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हैं कि उस समय भीड़ के क्रोध को तथा अन्य गड़बड़ को रोकने के लिये उन के पास गोली चलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था । आगे चलकर कमिश्नर ने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गोली चलाये जाने का आदेश बिल्कुल ठीक और उचित था : हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है । जहां तक जनरल मैनेजर का प्रश्न है उनका सम्बन्ध २३ अप्रैल की घटना से है । यह एक विचित्र सुझाव है कि जब जनरल मैनेजर यह देखें कि यह प्रदर्शनकारियों के झुंड से मामला तय न कर सकें और स्वयं ख़तरे में हों तो उन्हें चुपचाप अपने कार्यालय में जाकर रेलवे मंत्रालय या रेलवे बोर्ड को सूचना देकर उनसे आदेश लेना चाहिये । ठीक तरीक़ा यह है कि उन्हें ज़िला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी चाहिये और उनसे व्यवस्था करवानी चाहिये । आखिर यह रेलवे की सम्पत्ति और यातायात का मामला है और गोरखपुर एक बहुत बड़ा रेलवे कार्यालय है । अतः मेरा निवेदन है कि यह जो प्रश्न उठाया गया है उस में कोई विशेष बात नहीं है ।

ज़िला मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दिया था परन्तु जब उन्होंने देखा कि स्वयं उन पर हमला किया जाने वाला है तो उन्होंने अपने रिवालवर से गोली चलाई परन्तु वह अपना निशाना चूक गये ।

श्री बैलायुधन : (क्विलोन व मावेलिक्कारा –रक्षित-अनूसूचित जातियां) : इस शिकायत के बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है कि मरते समय उस व्यक्ति की बात को नोट नहीं किया गया और उसके मृत शरीर को सम्बन्धियों को नहीं सौंपा गया ?

डा० काटजू : मुझे इस बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है । मृत शरीर

साधारणतः दे दिये जाते हैं। परन्तु यह जनरल मैनेजर की ग़लती नहीं है।

मैं एक बात और कह दूं। कहा गया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट और जनरल मैनेजर सम्बन्धी हैं। यह बात बिल्कुल ग़लत है। ज़िला मजिस्ट्रेट श्री सी० डी० एल० दुबे, आइ० ए० एस० हैं और जनरल मैनेजर श्री जी० पांडे हैं। दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या माननीय मन्त्री कमिश्नर की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डा० काटजू : वास्तव में यह रिपोर्ट राज्य सरकार की सम्पत्ति है; परन्तु यदि सदन की ऐसी इच्छा है तो मैं इसे पटल पर अवश्य रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आध घन्टा समाप्त हो गया है।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, २९ मई १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।